REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012024-251264 CG-DL-E-11012024-251264

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 9, 2024/पौष 19 1945 No. 28] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 9, 2024/PAUSHA 19, 1945

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 33(अ).—केंद्र सरकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" का अभिप्राय तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) से है;
- (ख) "प्राधिकरण" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण से है;
- (ग) "जैव सुरक्षा उपायों" का अभिप्राय तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक को उच्च जोखिम वाली सभी बीमारियों के प्रवेश और परिणामों से बचाने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक और जैविक उपायों सहित सभी जैव सुरक्षा उपाय और कार्यक्रम से है;

- (घ) "जैव सुरक्षा जाँच" का अभिप्राय किसी भी बीमारी के प्रवेश से ऐसी तटीय जलकृषि इकाइयों और मत्स्य स्टॉक को सुरक्षित करने में जैव सुरक्षा उपायों के प्रकार, उनकी प्रासंगिकता, निष्पादन और प्रभावशीलता की जांच करने से है ;
- (ङ) "अध्यक्ष" का अभिप्राय प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;"
- (च) "फार्म" का अभिप्राय एक तटीय जलकृषि इकाई से है जहां मछली की कल्चरिंग(पालन), जिसमें क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश, समुद्री शैवाल या कोई अन्य जलीय जीवन शामिल है और जो,तालाबों, पेन, केजों, राफ्टों, बाड़ों या नियंत्रित परिस्थितियों में तटीय क्षेत्रों में लवणीय या खारे जल में की जाती है और इसमें नर्सरी पालन शामिल है, लेकिन इसमें मीठे जल में जलीय कृषि शामिल नहीं है;
- (छ) "फीस" का अभिप्राय इन नियमों में निर्धारित किसी फीस से है;
- (ज) "प्रारूप" का अभिप्राय इन नियमों से संलग्न प्रारूप से है;
- (झ) "दिशानिर्देश" का अभिप्राय नियम 3 में निर्दिष्ट किसी दिशानिर्देश से है;
- (ञ) "हैचरी" का अभिप्राय मछली के प्रजनन और बीज उत्पादन की तटीय जलकृषि क्रियाकलाप को करने वाली एक तटीय जलकृषि इकाई से है, जिसमें लवणीय या खारे जल में क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश, समुद्री शैवाल या कोई अन्य जलीय जीवन शामिल है और इसमें नौपली और लाइव फीड का पालन शामिल है, लेकिन इसमें ताजे पानी में जलीय कृषि शामिल नहीं है;
- (ट) "उच्च स्वस्थ स्टॉक" का अभिप्राय ऐसा कोई मत्स्य स्टॉक से है, जिसमें क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश या कोई अन्य जलीय प्रजातियां शामिल हैं, जिन्हें जैव सुरक्षित प्रबंधन उपायों के साथ सुविधाओं में पाला जाता है, जैव सुरक्षित चारा खिलाया जाता है और कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि के लिए विशिष्ट रोगजनकों से मुक्त होने का प्रमाण रखते हैं;
- (ठ) "लाइव फीड" का अभिप्राय लाइव इनवर्टेब्रेट्स, माइक्रो एलगे और ऐसे अन्य जीव से है जो या तो प्रकृति से कैप्चर किए गए हैं या कलचर्ड हैं और क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश या किसी अन्य जलीय प्रजातियों सहित किसी भी मत्स्य पालन के विभिन्न चरणों में जीवित फीड के रूप में उपयोग किए जाते हैं;
- (ड) "नर्सरी" का अभिप्राय या तो आंतरिक या बाहरी एक तटीय जलकृषि इकाई से है जहां क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश, समुद्री शैवाल या किसी अन्य जलीय जीवन सहित किसी भी मछली के लार्वा को पालकर उसे किशोर (जूविनाइल) अवस्था तक पहुंचाकर उसे फार्म में स्थानांतरित करना है जहां उन्हें किशोर अवस्था से वाणिज्यिक आकार तक बढ़ाया जाता है;
- (ढ) "सदस्य" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकरण के सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;
- (ण) "विनियम" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम से है;
- (त) "अनुसूची" का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न कोई अनुसूची से है;
- (थ) "विशिष्ट रोगजनक मुक्त" का अभिप्राय कोई जैव सुरक्षित तटीय जलकृषि इकाई के मत्स्य स्टॉक से है, जिसमें क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश या कोई अन्य जलीय प्रजातियां शामिल है, जिन्हें जैव सुरक्षित प्रबंधन उपायों का पालन करते हुए जैव सुरक्षित चारा खिलाया जाता है और जो कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए विशिष्ट रोगजनकों से मुक्त होने का प्रमाण रखते हैं;
- (द) "विशिष्ट रोगजनक सहिष्णु" का अभिप्राय ऐसे मत्स्य स्टॉक से है, जिसमें क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश या कोई अन्य जलीय प्रजाति शामिल है जो किसी विशिष्ट बीमारी के प्रभाव में नहीं आते हैं जिससे कि स्टॉक संक्रमित तो हो सकता है लेकिन बीमारी विकसित नहीं होती है या कम हद तक विकसित होती है;
- (ध) "विशिष्ट रोगजनक प्रतिरोधक" का अभिप्राय क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश या किसी अन्य जलीय प्रजातियों सहित किसी भी मत्स्य स्टॉक के गुणात्मक लक्षण से है जो एक विशिष्ट रोगजनक के कारण संक्रमण से प्रतिरोध कर सकते हैं;
- (न) "अधिसूचना" का अभिप्राय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है।

(2) उन शब्दों और पदों का जो यहां प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभाषित हैं का वही अर्थ है जो अर्थ उक्त अधिनियमों में हैं । **3. दिशानिर्देश-** यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों से कि तटीय जलकृषि से तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विभिन्न वर्गों की आजीविका की रक्षा करने के लिए, सभी तटीय जलकृषि इकाइयां और गतिविधियां अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन में जारी किए गए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगी, अर्थात्: -

- (क) तटीय जलकृषि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश ;
- (ख) विशिष्ट रोगजनक मुक्त लिटोपेनियस वेन्नामी के बीज उत्पादन और कल्चर के लिए हैचरी और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
- (ग) विशिष्ट रोगजनक मुक्त पेनियस मोनोडोन के बीज उत्पादन और कल्चर के लिए दिशानिर्देश;
- (घ) भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक के स्वास्थ्य की निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगजनक मुक्त प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देश;
- (ङ) जलकृषि इनपुट के अनुपालन प्रमाण पत्र के लिए दिशानिर्देश;
- (च) भारत में न्यूक्लियस ब्रीर्डिंग सेंटर्स और ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर्स की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश;
- (छ) तटीय जलकृषि इकाइयों या गतिविधियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश।

4. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें- (1) अध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्तों और छुट्टी, पेंशन और अन्य मामलों के संबंध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जो भारत सरकार के सचिव के लिए अनुज्ञेय हैं।

(2) प्राधिकरण का सचिव भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक अधिकारी होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार की केंद्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसे तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो नियुक्त किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (चक) और (छ) के अधीन नियुक्त सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे और इन नियमों के अधीन किसी भी वेतन और भत्ते के हकदार नहीं होंगे:

परंतु गैर-शासकीय सदस्य बैठक फीस के साथ-साथ ऐसे यात्रा भत्ते, महंगाई भत्ते आदि के हकदार होंगे जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए।

(4) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (चक) और (छ) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य तब सदस्य नहीं रहेगा जब उक्त सदस्य उस पद को धारण करना बंद कर दे जिसके आधार पर उसे नियुक्त किया गया था।

(5) अध्यक्ष, केन्द्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग कर सकेगा और केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर अध्यक्ष का पद रिक्त समझा जाएगा ।

(6) कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(7) किसी सदस्य का पद उस तारीख से रिक्त होगा जिस तारीख पर उक्त सदस्य का त्यागपत्र केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो ।

(8) केन्द्र सरकार ऐसे किसी सदस्य को, जो अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता के अधीन हो जाता है, हटा सकेगी ।

(9) केन्द्र सरकार किसी ऐसे सदस्य को भी हटा सकेगी यदि वह अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है ।

(10) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3क) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण का कोई सदस्य निम्नलिखित के संदर्भ में अध्यक्ष की शक्ति का प्रयोग करेगा-

(i) प्राधिकरण की बैठकों की तारीख और स्थान निश्चित करना;

- (ii) प्राधिकरण की बैठकें बुलाना;
- (iii) ऐसी बैठकों के लिए कार्यसूची का अनुमोदन;
- (iv) प्राधिकरण की बैठकों में विशेष अतिथि को आमंत्रित करना;
- (v) बैठकों की अध्यक्षता करना और;
- (vi) ऐसी अन्य शक्तियां और कार्य जो उसे केन्द्र सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(11) सचिव, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा स्थापित समितियों द्वारा किए गए कार्य, कार्यक्रमों और निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा और इन नियमों के अधीन उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

- (12) सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से, प्रत्येक बैठक के लिए तारीख, समय, स्थान और एजेंडा भी तय करेगा ।
- (13) सचिव के पास प्राधिकरण के कामकाज पर सामान्य अधीक्षण की शक्तियां होंगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है-
- (क) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी प्रदान करना;
- (ख) प्राधिकरण के सभी प्रभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना;
- (ग) इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित भंडारण या कारोबार के खातों और स्थानों का निरीक्षण करने या निरीक्षण किए जाने को कारित करने के लिए दस्तावेजों और अभिलेख की मांग करना ;
- (घ) आकस्मिकताओं, आपूर्ति और सेवाओं और प्राधिकरण के कार्यालय के कामकाज के लिए अपेक्षित वस्तुओं की खरीद के लिए व्यय को मंजूरी देना;
- (ङ) सभी महत्वपूर्ण कागजातों और मामलों को प्राधिकरण को यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाने को कारित करना ; और
- (च) प्राधिकरण के विनिश्चयों को पूरा करने की पद्धति के बारे में निदेश जारी करना।

(14) सचिव, अधिनियम और इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के शीघ्र और समयबद्ध निपटान के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार जिला, उप-मंडल स्तर या ऐसी अन्य समितियों की बैठकों का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करेगा।

(15) सचिव, क्षेत्र में अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के शीघ्र और समयबद्ध निपटान के लिए अधिनियम के अधीन अधिकृत अधिकारियों और न्यायनिर्णायक अधिकारियों के कृत्यों की निगरानी करेगा।

5. प्राधिकरण के कृत्य.– प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 11 के अधिन विनिर्दिष्ट कृत्य के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्-

- (i) यह सुनिश्चित करना कि कृषि भूमि, मैंग्रोव, आर्द्र भूमि, वन भूमि, गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि और राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों को तटीय जलकृषि फर्मों के निर्माण के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा ताकि तटीय समुदाय की आजीविका का संरक्षण किया जा सके;
- (ii) तटीय जलकृषि से संबंधित किसी भी मुद्दे का निपटान करना, जिसमें वे मुद्दे भी शामिल हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए;
- (iii) देश के संपूर्ण तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलकृषि विकास को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने की सलाह देना;
- (iv) एक राष्ट्रव्यापी जलकृषि मानचित्रण और जोनेशन विकसित करना, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है, अर्थात्: -
 - (क) विधि के अधीन भूमि उपयोग और नियामक अपेक्षाओं के साथ भूमि सर्वेक्षण, उप-प्रभाग, सीमाओं और भूमि स्वामित्व के साथ एकीकृत उच्च संकल्प भौगोलिक सूचना प्रणाली (हाई रेसोल्यूशन जियोग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम मैप्स) मानचित्रों का उपयोग;
 - (ख) फिल्ड सर्वे द्वारा सत्यापित बहु मापदंडों के निर्णय प्रणाली के आधार पर जल संसाधन जैसे कि समुद्री फ्रंट, मुहाने, नदी, क्रीक, बैकवाटर, सहित विविध पैमानों के बेस पर संभावित क्षेत्रों को पहचानना और लोकेट करना, जो क्षेत्र सर्वेक्षणों द्वारा विधिमान्य हैं;
 - (ग) विभिन्न प्रकार के जलकृषि और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों या प्रजातियों या भंडारण घनत्व के लिए या इन सभी के संयोजन के लिए उपयुक्त व्यापक क्षेत्रों को परिभाषित करना, ताकि किसी भी पर्यावरणीय खतरे को रोका या कम किया जा सके;
- (v) ट्रेसेबिलीटी के साथ जलकृषि प्रबंधन के विकास के माध्यम से संक्रमण को रोकने और रोग प्रबंधन के लिए कदम उठाने के लिए राज्यों को सलाह देना और सहायता करना;
- (vi) जलकृषि मानचित्रों के माध्यम से पहचाने गए संभावित क्षेत्रों में स्थित तटीय जलकृषि इकाइयों के लिए स्वत: रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए कदम उठाना;

- (vii) तटीय जलकृषि के पर्यावरण-अनुकूल और सतत् विकास को प्राप्त करने के लिए तटीय जलकृषि फार्मों और सामान्य अपशिष्ट उपचार प्रणालियों द्वारा सामान्य जल ग्रहण और निर्वहन नहरों जैसे सामान्य अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना और सहायता प्रदान करना;
- (viii) तटीय जलकृषि इनपुट जैसे बीज, चारा, प्रोबायोटिक्स, चिकित्सकों सहित संवृद्धि अनुपूरक और तटीय जलकृषि में उपयोग किए जाने वाले ऐसे अन्य इनपुट का मानक, प्रमाणित, निगरानी, विनियमन या निषेध करना या अपनाना, जो जल निकायों के रखरखाव के लिए तटीय जलकृषि या तटीय पर्यावरण के लिए किसी भी नुकसान की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए तटीय जलीय जीवन और उसमें पाले गए जीवों और अन्य जलीय जीवन के रखरखाव के लिए तटीय जलकृषि या तटीय पर्यावरण जो नियम 3 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र के लिए दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं;
- (ix) तटीय जलकृषि में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन से संबंधित अनवेषणों और अध्ययनों या योजनाओं को कार्यान्वित करना और प्रायोजित करना;
- (x) तटीय जलकृषि से संबंधित मामलों के संबंध में डेटा और अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक-आर्थिक जानकारी एकत्र करना और प्रसारित करना;
- (xi) तटीय जलकृषि के सतत् विकास और उससे संबंधित गतिविधियों से संबंधित मैनुअल, कोड और ऑडियो-विजुअल सामग्री तैयार करना;
- (xii) मीडिया और संचार के अन्य साधनों के माध्यम से जलकृषि प्रयोजन के लिए तटीय संसाधनों के सतत् उपयोग और निष्पक्ष तथा समान बंटवारे के संबंध में एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना;
- (xiii) जलकृषि प्रयोजनों के लिए तटीय संसाधनों के सतत् उपयोग में लगे या लगे होने की संभावना वाले कर्मियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उनका आयोजन करना;
- (xiv) विभिन्न तकनीकी समितियों, उप-समितियों, कार्य समूहों, उप-समूहों का गठन करना जिसमें तकनीकी मैनुअल, आचार संहिता, आदि तैयार करने के लिए प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों या राज्य सरकारों के वैज्ञानिक और अधिकारी, लोक प्रतिनिधि या नागरिक समाज के प्रतिनिधि या तटीय जलकृषि संघ या स्थानीय निकाय या किसान उत्पादक संगठन शामिल हो सकेंगे ।
- (xv) तटीय जलकृषि इकाइयों के स्वामियों या ऑपरेटरों को भंडारण घनत्व और प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित जलकृषि इनपुट के उपयोग सहित तटीय पर्यावरण पर प्रभावों को कम करने के लिए इस तरह के संशोधनों को करने का निर्देश देना;
- (xvi) तटीय जलकृषि प्रथाओं की स्थिरता, पर्यावरणीय संधारणीयता बनाए रखने और आजीविका की सुरक्षा के लिए या तटीय पर्यावरण के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य कारणों से तटीय जलकृषि इकाइयों को मौसमी बंद करने का आदेश देना;
- (xvii) प्रौद्योगिकी, कृषि पद्धतियों, आदि में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन करने और ऐसे दिशानिर्देशों में, पर्यावरण संरक्षण और तटीय समुदायों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधनों को शामिल करने के लिए सरकार को सिफारिशें करना;
- (xviii) जोखिम विश्लेषण, जोखिम शमन उपायों, निरीक्षण और शमन प्रतिक्रिया व्यवस्था के कार्यान्वयन के माध्यम से तटीय जलकृषि और पर्यावरण को बीमारियों और कीटों के प्रभाव से सुरक्षित करना;
- (xix) नियम 3 के खंड (घ) में निर्दिष्ट भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक की स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी तथा विशिष्ट रोगजनक मुक्त प्रमाणन के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार बीमारियों से मुक्ति सुनिश्चित करके तटीय जलकृषि इकाइयों के लिए स्टॉक की स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगजनक से मुक्त के रूप में प्रमाणन के लिए आवश्यक मदें तैयार करना।

6. एकल व्यक्ति प्राधिकारी की शक्तियां और कार्य- (1) अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त किया जाने वाला एकल व्यक्ति प्राधिकारी मुआवजे के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा मुआवजा जैसा कि कर्मकारों और प्रबंधन के बीच तय किया जाए।

(2) कर्मकारों को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का निपटान करते समय, कर्मकारों के लिए आय की संभावित हानि, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर और नियोक्ता की भुगतान क्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाए। (3) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों से कि निर्णय अनुसार मुआवजे की रकम का भुगतान कर्मकारों को किया जा रहा है, एकल व्यक्ति प्राधिकारी संबंधित राज्यों के भू-राजस्व विधियों के अधीन कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

7. किसी तटीय जलकृषि इकाई में प्रवेश करने की शक्ति- (1) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस नियम में उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिए पुलिस कर्मचारीवृन्द सहित एक या अधिक व्यक्तियों को लेने की शक्ति होगी।

(2) किसी तटीय जलकृषि इकाई में प्रवेश करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की शक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी, अर्थात्: -

(i) किसी भी संरचना का निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने के साथ-साथ किसी भी संरचना को हटाने या गिराने के लिए प्राधिकरण के निर्णयों को तटीय जलकृषि इकाई के मालिक या उसके प्रतिनिधि को लिखित रूप में कम से कम चौबीस घंटे पहले सूचित किया जाएगा और उसे रजिस्ट्रीकृत डाक या संदेश वाहक द्वारा भेजा जाएगा और ऐसा नोटिस तटीय जलकृषि इकाई परिसर के सहज दृश्य भाग पर चिपका दिया जाएगा:

परन्तु यदि स्वामी नोटिस स्वीकार करने से इनकार करता है, तो तामील के लिए ऐसे चिपके हुए नोटिस को मालिक द्वारा स्वीकारा माना जाएगा:

परन्तु ऐसे मामले में और ऐसे कारणों को अभिलिखित करते हुए जैसा वह ठीक समझे प्राधिकारी द्वारा नोटिस की अपेक्षा अधित्यक्त की जा सकेगी:

- (ii) अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित क्रियाकलाप स्वामी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएंगी यदि वह ऐसा करना चाहता है और ऐसे स्वामी को निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच में सहायता करने के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों (दो से अधिक नहीं) को लाने की अनुमति भी दी जा सकती है;
- (iii) किसी भी संरचना को हटाना या ध्वस्त करना पंचनामा के अधीन किया जाएगा और जहां भी संभव हो स्थानीय निकाय के एक प्रतिनिधि को टीम में शामिल किया जा सकेगा और पंचनामा में उसके हस्ताक्षर होगे:

परन्तु स्वामी विध्वंस की लागत और पर्यावरण को नुकसान की लागत, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

- (iv) अधिनियम की धारा 12 के खंड (क) और (ख) के अधीन उल्लिखित कार्यों को करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसा केवल दिन में, सूर्य के अस्त होने के पूर्व करेंगे;
- (v) अधिनियम की धारा 12 के खंड (क) के अधीन कार्यों को करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि ऐसे कार्य सिविल संरचनाओं, उपकरण, मशीनरी या विद्यमान फसल को कोई नुकसान पहुंचाए बिना किए जाए।
- 8. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अन्य कृत्य- प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, -
- (i) संग्रह, विश्लेषण, रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को अपनाने वाले प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स, रसायनों और अन्य औषधीय रूप से सक्रिय यौगिकों का पता लगाने के प्रयोजन से जल, मिट्टी, जलकृषि इनपुट और खेती वाले जीवों के नमूने लेना;
- (ii) अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा निकालने या तोड़ने के लिए दिए गए आदेश के तहत प्रदूषण फैलाने वाले किसी तटीय जलकृषि इकाई या उसमें किसी संरचना को नियम 7 के उपबंधों के अधीन हटाना या तोडना;
- (iii) तटीय जलकृषि इकाई से जल निकालना या उसमें खड़ी फसल को नष्ट करना, जिसे प्राधिकरण द्वारा प्रदूषण फैलाने के कारण नष्ट करने का आदेश दिया गया है;
- (iv) स्वास्थ्य निगरानी और रोग निगरानी; प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स, रसायनों और अन्य औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों या ऐसी अन्य सामग्री का पता लगाने के प्रयोजन से मिट्टी, जल, जलकृषि आदानों, कृषि जीवों या अन्य कृषि जलीय जीवन का विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशालाओं को अधिकृत या मान्यता देना ।

9. रजिस्ट्रीकरण और फीस- (1) अधिनियम की धारा 13 के अधीन किसी तटीय जलकृषि इकाई या तटीय जलकृषि गतिविधि के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारूप-I या प्रारूप-II में किया जाएगा, जो प्रत्येक तटीय जलकृषि इकाई या अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट गतिविधि के लिए विशिष्ट है, जिसे उप-मंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति के सदस्य संयोजक के कार्यालय से या प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

- (2) निम्नलिखित किसी तटीय जलकृषि इकाई या गतिविधि के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-
- (क) समुद्री शैवाल की खेती, केच कल्चर, राफ्ट कल्चर, पेन कल्चर, री सरक्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायो फ्लोक, नर्सरियां आदि तथा पारंपरिक तटीय जलकृषि फार्म, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, प्रारूप-I में मालिक या उसके प्रचालक द्वारा उप प्रभागीय स्तरीय समिति या सीधे जिला स्तरीय समितियों (किसी विशेष जिले में उप-प्रभाग की अनुपस्थिति में) को प्रस्तुत किया जाएगा जहां तटीय जलकृषि इकाई स्थित है।
- (ख) हैचरी, नौपली रियरिंग हैचरी, लाइव फीड यूनिट, न्यूक्लियस ब्रीडींग सेंटर और ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर प्रारूप-II में स्वामी या प्रचालन द्वारा सीधे प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) प्राधिकरण, जनहित में, रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने का उपबंध कर सकता है।
- (4) तटीय जलकृषि इकाई या गतिविधि के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे-
 - (क) अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट फीस; और
 - (ख) अनुसूची-II में निर्दिष्ट दस्तावेज ।

(5) रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस एक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन मोड के माध्यम से किसी विशेष जिले में उप-खंड की अनुपस्थिति में उप-खंड स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समितियों के सदस्य संयोजक के पक्ष में या तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा।

(6) आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर, संबंधित उपखण्ड स्तरीय समिति के सदस्य संयोजक, आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर, आवेदक को लिखित रूप से संसूचित करेंगे कि ऐसी जानकारी प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर त्रुटि को सुधार लिया जाये :

परंतु आवेदक ऐसी अवधि के भीतर त्रुटि को ठीक करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया माना जाएगा।

(7) किसी विशिष्ट जिले में उप-मंडल की अनुपस्थिति में उप-मंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समितियां, यदि संतुष्ट हैं कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो नियम 10 में दी गई रीति से इसके रजिस्ट्रीकरण के लिए सिफारिश कर सकेगी ।

(8) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, ऐसे इनकार के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा और इनकार आदेश की एक प्रति आवेदक को दी जाएगी ।

(9) यथास्थिति, उप-मंडलीय स्तरीय समिति या मंडल स्तरीय समिति से आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, आवेदक, से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो वह रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसा प्रत्येक आवेदक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

(10) प्राधिकरण संतुष्ट होने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकता है या आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण से इनकार कर सकता है यदि आवेदक आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, आवेदक को ऐसे इनकार के कारणों के साथ आदेश की एक प्रति दी जाएगी।

(11) प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण मंजूर या इनकार किया जाएगा:

परंतु उपमंडल स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और प्राधिकरण द्वारा आवेदन पर कार्रवाई करने की समय सीमा वह होगी, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट हो ।

(12) इस नियम के अधीन इनकार आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इनकार आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकता है जो या तो ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसे अपास्त कर सकता है ।

10. कतिपय तटीय जलकृषि इकाइयों या क्रियाकलापों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने की रीति.—

(1) नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, उप-मंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति (किसी विशिष्ट जिले में उप- मंडल की अनुपस्थिति में) तटीय जलकृषि इकाइयों के आकार की परवाह किए बिना उनके संबंध में दिए गए आवेदन जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, की जांच करेगा और उनकी निम्नानुसार जाँच करेगा, अर्थात्:

- (क) 2.0 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र तक के तटीय जलकृषि फार्मों, समुद्री शैवाल की खेती, केज कल्चर, राफ्ट कल्चर, पेन कल्चर, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायो-फ्लॉक, नर्सरी आदि और पारंपरिक तटीय जलकृषि फार्मों के मामले में, उनके आकार पर ध्यान दिए बिना, उप-मंडलीय स्तरीय समिति, उसमें दी गई जानकारी से संतुष्ट होने पर, रजिस्ट्रीकरण पर विचार करने के लिए सीधे प्राधिकरण को आवेदन की सिफारिश करेगी,
- (ख) 2.0 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र और 5.0 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र तक के तटीय जलकृषि फार्मों के मामले में, उप-मंडलीय स्तरीय समिति ऐसी जांच जिसके अंतर्गत निरीक्षण भी है, जो वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात् यह समाधान होने पर ही कि ऐसे फार्म का रजिस्ट्रीकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा, रजिस्ट्रीकरण पर विचार करने के लिए सीधे प्राधिकरण को आवेदन की सिफारिश करेगी ;
- (ग) जल प्रसार क्षेत्र के 5.0 हेक्टेयर से ऊपर के तटीय जलकृषि फार्मों के मामले में, उप-मंडल स्तरीय समिति,--
 - (i) ऐसी जांच और निरीक्षण, जो वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात् यह समाधान होने पर कि ऐसे फार्म का रजिस्ट्रीकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा;
 - (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए आगे की जांच करने के पश्चात् कि तटीय जलकृषि फार्म नियम 3 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट तटीय जलकृषि को विनियमित करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों में अधिकथित शर्तों के अनुरूप है,

रजिस्ट्रीकरण पर विचार करने के लिए जिला स्तरीय समिति को आवेदन की सिफारिश करेगी ।

(2) उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, जिला स्तरीय समिति, समाधान होने पर, रजिस्ट्रीकरण पर विचार करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन की सिफारिश करेगी।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, उप-मंडलीय स्तर और जिला स्तरीय समितियों की संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात्: -

- (अ) उप-मंडलीय स्तरीय समिति:
- (क) राजस्व मंडलीय अधिकारी या उप-मंडल का उप-कलेक्टर अध्यक्ष, पदेन;
- (ख) उप-मंडल के भीतर तहसीलदार या मंडल राजस्व अधिकारी सदस्य, पदेन;
- (ग) उप-मंडलीय कृषि अधिकारी या समतुल्य अधिकारी- सदस्य, पदेन;
- (घ) सहायक वन संरक्षक या समतुल्य अधिकारी सदस्य, पदेन;
- (ङ) सिंचाई या जल संसाधन के उप-मंडलीय अधिकारी पदेन सदस्य;
- (च) खंड विकास अधिकारी- सदस्य, पदेन;
- (छ) जिले में सहायक निदेशक मात्स्यिकी या समतुल्य अधिकारी सदस्य संयोजक, पदेन।
- (आ) जिला स्तरीय समिति:
- (क) जिला कलेक्टर या जिला उपायुक्त या अतिरिक्त कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या अतिरिक्त उपायुक्त-अध्यक्ष, पदेन;
- (ख) उप-मंडल के राजस्व मंडलीय अधिकारी या उप-कलेक्टर- सदस्य, पदेन;
- (ग) जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य- सदस्य, पदेन;
- (घ) जिला कृषि प्रमुख- सदस्य, पदेन;
- (ङ) मंडल वन अधिकारी या समतुल्य- सदस्य, पदेन;
- (च) सिंचाई या जल संसाधन के जिला प्रमुख- पदेन सदस्य;
- (छ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि- पदेन सदस्य;
- (ज) जिले में कोई अन्य सरकारी अधिकारी, जिसे कलेक्टर या जिले के उपायुक्त द्वारा सहयोजित किया जाए पदेन सदस्य;
- (झ) जिला मत्स्यपालन प्रमुख सदस्य संयोजक, पदेन।

(4) इस नियम के अधीन यथास्थिति, जिला स्तरीय समिति या उप-मंडलीय समिति द्वारा कोई भी सिफारिश, ऐसी सिफ़ारिश करने के लिए उसकी बैठक में अध्यक्ष और सदस्य संयोजक सहित दो तिहाई सदस्यों की गणपूर्ति द्वारा की जाएगी । 11. तटीय जलकृषि हैचरी, नौप्ली रीयरिंग हैचरी, लाइव फीड यूनिट, ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन केंद्र और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने की रीति.--

कोई भी व्यक्ति, हैचरी या नौप्ली रियर्रिंग हैचरी या लाइव फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन केंद्र या न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर,--

(क) हैचरी या नौप्ली रियरिंग हैचरी या लाइव फीड यूनिट के लिए, प्रारूप- II में प्राधिकरण को; और

(ख) ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर के लिए, नियम 3 के खंड (च) में निर्दिष्ट, भारत में न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों और ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट प्रारूप में, केन्द्र सरकार को,

सुसंगत दस्तावेजों के साथ आवेदन करके, पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, स्थापित नहीं करेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, यथास्थिति, प्राधिकरण या केन्द्र सरकार, आवेदन में दी गई विशिष्टियों को उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ सत्यापित करेगा और नियम 3 के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रीति से आवेदन पर कार्रवाई करेगा। ।

(3) प्राधिकरण या केन्द्र सरकार, इस बात का समाधान होने पर कि आवेदन, नियम 3 के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (च), में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करता है, हैचरी, नौप्ली रीयरिंग हैचरी या लाइव फीड यूनिट, ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रीडींग सेंटर के निर्माण के लिए पूर्व अनुमति जारी करेगी;

(4) उप-नियम (3) के अधीन पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर, सुविधा का स्वामी या प्रचालक, नियम 3 के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट जैव सुरक्षा उपायों के अनुसार हैचरी, नौप्ली रियर्रिंग हैचरी या लाइव फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर का निर्माण करेगा और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारूप-II में आवेदन के साथ इकाई के निरीक्षण के लिए प्राधिकरण को निर्माण पूरा होने की सूचना दी जाएगी।.

(5) ऐसी सूचना पर, ऐसे उद्देश्य के लिए गठित तकनीकी और निरीक्षण समिति, तटीय जलकृषि इकाइयों या क्रियाकलापों का निरीक्षण करेगी और ऐसी सूचना के तीन सप्ताह के भीतर प्राधिकरण को अपनी विनिर्दिष्ट सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(6) तकनीकी और निरीक्षण समिति द्वारा देखी गई और सूचित की गई कमियां या कमी, यदि कोई हो, को स्वामी या प्रचालक द्वारा ठीक किया जाएगा और उसके अनुपालन के बारे में प्राधिकरण को संसूचित किया जाएगा।

(7) प्राधिकरण, उप-नियम (5) या उप-नियम (6) के अधीन अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा और किसी इनकार के बारे में आदेश, सम्यक् कारण बताते हुए आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

(8) उप-नियम (7) के अधीन इनकार आदेश से व्यथित कोई भी स्वामी या प्रचालक, इनकार के ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अध्यक्ष को लिखित रूप में अपील कर सकता है, जो या तो उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या इनकार के ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है ।

12. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप.- (1) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है, -

(क) नियम 9 के उप-नियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप के मामले में, प्रारूप-IV में; और

(ख) नियम 9 के उप-नियम (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप के मामले में, प्रारूप-V में, प्रदान कर सकता है ।

(2) इन नियमों के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और नियम 13 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार समान रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ समान अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा, जो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट हो ।

(3) सरकार द्वारा आबंटित या समनुदेशित की गई भूमि पर स्थापित तटीय जलकृषि इकाइयों के मामले में, तटीय जलकृषि इकाई के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता उस अवधि के साथ समाप्त हो जाएगी जिसके लिए सरकार द्वारा भूमि आबंटित या समनुदेशित की गई है या पुनः आबंटित या पुन: समनुदेशित की गई है : परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकरण की संचयी विधिमान्यता पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के विस्तार के लिए इस उप-नियम के अधीन पांच वर्ष की ऐसी अवधि के भीतर किसी पृथक आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए भूमि को पुनः आबंटित या पुन: समनुदेशित किया गया है।

(4) प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत तटीय जलकृषि इकाइयों को दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुपालन में निकटतम स्रोत से गुणवत्ता वाले खारे पानी या समुद्री जल तक पहुंचने और खींचने और तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पाइपलाइन बिछाकर उपचारित अपशिष्ट का निर्वहन करने का अधिकार होगा।

13. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.- (1) किसी तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, उसके स्वामी या प्रचालक द्वारा, इसकी विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति की तारीख से नब्बे दिन पहले, तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप के स्वामित्व और परिचालन प्रास्थिति को स्थापित करने वाले दस्तावेजों के साथ, अनुसूची- II में विनिर्दिष्ट प्रारूप- I, या प्रारूप- II में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण उप-नियम (1) के अधीन आवेदन से संतुष्ट होने पर, रजिस्ट्रीकरण को पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत करेगा।

(3) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करने में देरी के मामले में, तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ देरी के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए देरी को माफ करने का अनुरोध किया जाएगा और उसके साथ ऐसी अतिरिक्त फीस संलग्न होगी, जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए लागू फीस का दो गुना होगी।

(4) प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है कि देरी पर्याप्त कारण से हुई है, तो उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के अधीन, विनिर्दिष्ट समय के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन करने में देरी को माफ कर सकता है:

परंतु सभी रजिस्ट्रीकरणों को, जिनकी विधिमान्यता राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को समाप्त हो गई है, ऐसी फीस के संदाय पर माफ किया जा सकता है जो प्राधिकरण उचित समझे, यदि देरी की माफी के लिए आवेदन ऐसे प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाता है।

(5) प्राधिकरण, इन नियमों के अधीन आवेदन में किए गए दावों की पुष्टि के लिए स्वयं या उप-मंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जांच और निरीक्षण कर है, जो वह उपयुक्त समझे, कर सकता है और तटीय जलकृषि इकाई के स्वामी या प्रचालक, इन नियमों, अधिनियम, विनियमों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन किसी भी कार्य या लोप के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए देय फीस वही होगी, जो तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसूची- I में विनिर्दिष्ट है और प्राधिकरण को मांग पत्र के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन मोड के माध्यम से संदाय की जाएगी ।

(7) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण पर विचार करने की समय सीमा विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

(8) जहां प्राधिकरण संतुष्ट है कि उक्त तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप को आगे जारी रखना तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वह उसके रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने से इंकार कर देगा:

परंतु प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए इस तरह के इनकार से पहले, संबंधित स्वामी या प्रचालक को सुनवाई का अवसर देगा और इनकार के कारणों के साथ आदेश की एक प्रति ऐसे स्वामी या प्रचालक को दी जाएगी।

(9) नवीकरण से इनकार करने के आदेश से व्यथित कोई भी स्वामी या प्रचालक, इनकार आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकता है जो ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसे अपास्त कर सकता है।

14. तटीय जलकृषि इकाई के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या जलकृषि इनपुटों के अनुपालन प्रमाणपत्र का अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करना.-- (1) तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या जलकृषि इनपुटों के अनुपालन प्रमाणपत्र की कोई भी हानि या विकृति, स्वामी या प्रचालक द्वारा तुरंत संबंधित पुलिस प्राधिकारी को दी जाएगी।

(2) तटीय जलकृषि इकाई के रजिस्ट्रीकरण के अनुलिपि प्रमाणपत्र या जलकृषि इनपुट के अनुपालन के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के साथ पांच सौ रुपये की फीस इलेक्ट्रॉनिक रूप से या संबंधित पुलिस प्राधिकारी द्वारा जारी गैर-अनुमार्गणीय प्रमाणपत्र (नॉनट्रेसेबल सर्टिफिकेट)या स्व-घोषणा के साथ नुकसानी प्रमाणपत्र तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में डीमान्ड ड्राफ्ट के रूप में संदत्त की जाएगी। (3) प्राधिकरण, तथ्यों और दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो को सम्यक् सत्यापित करने के पश्चात् और आवेदन की वास्तविकता के बारे में स्वयं का समाधान होने पर, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, यथास्थिति, तटीय जलकृषि इकाई के रजिस्ट्रीकरण का एक अनुलिपि प्रमाणपत्र या जलकृषि इनपुट के अनुपालन का एक अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करेगा।

15. रजिस्ट्रीकरण रद्द करना. - (1) जहां प्राधिकरण को इस बात का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर या इन नियमों के किसी उपबंध या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों में से किन्ही का उल्लंघन करके, नियम 12 के उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, वह, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा:

परंतु ऐसे प्रमाणपत्र को अपास्त करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और आदेश की एक प्रति रद्द करने के कारणों के साथ संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(2) इस नियम के अधीन रद्द करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, रद्द करने के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकता है जो या तो ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसे अपास्त कर सकता है।

16. जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप के स्वामित्व या उसमें हित का अंतरण. —

(1) विक्रय के माध्यम से या विधि के प्रचालन के माध्यम से, तटीय जलकृषि इकाई के स्वामित्व या उसमें हित के अंतरण के लिए प्रत्येक आवेदन, दावे को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य और अनुसूची- I में विनिर्दिष्ट फीस के साथ किया जाएगा ।

(2) प्राधिकरण, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की शेष अवधि के लिए तटीय जलकृषि इकाई के स्वामित्व के अंतरण की अनुमति देगा:

परंतु प्राधिकरण, आदेश द्वारा, तटीय जलकृषि इकाई के स्वामित्व या उसमें हित के अंतरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, यदि आवेदक मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है और ऐसे इनकार के कारणों के साथ आदेश की एक प्रति आवेदक को दी जाएगी ।

(3) उप-नियम (2) के अधीन इनकार आदेश से व्यथित कोई भी स्वामी या प्रचालक, इनकार के ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अध्यक्ष को लिखित रूप में अपील कर सकता है जो या तो उसकी पुष्टि कर सकता है या उसमें परिवर्तन सकता है या उसको अपास्त कर सकता है ।

(4) यदि रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि के दौरान, तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप का स्वामी या प्रचालक रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण को आवेदन करना होगा। ऐसे रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि और प्राधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, जहां वह परिवर्तन के लिए सहमत है, ऐसे परिवर्तन का विवरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित कराएगा।

17. पर्यावरण को होने वाले नुकसान की लागत का आकलन करने की रीति.—

(1) प्राधिकरण, पर्यावरण को होने वाले नुकसान की लागत और मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट विध्वंस की लागत का आकलन करने के लिए ऐसे सदस्यों, जिन्हे वह उपयुक्त समझे, से सम्मिलित पर्यावरण मानीटरिंग समिति के नाम से एक समिति का गठन करेगा ।

(2) ऐसी तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप का प्रचालक या स्वामी, प्राधिकरण के खाते में ऐसी इकाई के विध्वंस की लागत सहित तटीय पर्यावरण को नुकसान की निर्धारित लागत के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) रकमों की प्राप्तियां प्राधिकरण द्वारा रखी जाएंगी और मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाएंगी।

18. जलकृषि इनपुटों के मानक और प्रमाणीकरण.—

(1) प्राधिकरण, विशेषज्ञ समितियों का गठन करेगा जिसमें स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल होंगे जिनमें हितधारकों के ऐसे प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जो वह समुचित समझे, जो -

- (क) उत्पाद या लेबलिंग के नए मानक;
- (ख) जलकृषि इनपुट की विभिन्न श्रेणियों के लिए किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या संस्थान द्वारा विकसित उत्पाद या लेबलिंग के मानक अपनाने के लिए; और

- (ग) ऐसे औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ, रोगाणुरोधी अभिकर्मक (ऐन्टीमाइक्रोबियल एजेंट) या अन्य सामग्री के निषेध के लिए, जिससे तटीय जलकृषि में उपयोग से मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, सहित उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर, निम्नलिखित अर्थात्: -
 - (i) क्लोरैम्फेनिकॉल;
 - (ii) नाइट्रोफ्यूरन्स जिनमें शामिल हैं: फुराल्टाडोन, फुराज़ोलिडोन, फ्यूरिलफुरैमाइड, निफुराटेल, निफुरोक्सिम, निफुरप्राज़िन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, नाइट्रोफुराज़ोन;
 - (iii) नियोमाइसिन;
 - (iv) नेलिडिक्सिक एसिड;
 - (v) सल्फामेथोक्साज़ोल;
 - (vi) अरिस्टोलोचियास्प और उसकी तैयारी;
 - (vii) क्लोरोप्रारूप;
 - (viii) क्लोरप्रोमेज़िन;
 - (ix) कोलचिसिन;
 - (x) डैपसोन;
 - (xi) डिमेट्रिडाज़ोल;
 - (xii) मेट्रोनिडाजोल;
 - (xiii) रोनिडाज़ोल;
 - (xiv) इप्रोनिडाजोल;
 - (xv) अन्य नाइट्रोइमिडाज़ोल्स;
 - (xvi) क्लेनब्यूटेरोल;
 - (xvii) डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल (डीईएस);
 - (xviii) सल्फोनामाइड दवाएं (अनुमोदित सल्फाडीमेथॉक्सिन को छोड़कर);
 - (xix) सल्फाब्रोमोमेथाज़िन और सल्फेएथोक्सीपाइरिडाज़िन);
 - (xx) फ़्लुरोक्विनोलोन;
 - (xxi) ग्लाइकोपेप्टाइड्स,
- की सिफारिश करेंगी ।
- (2) ऐसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश की स्वीकृति पर, प्राधिकरण, समय-समय पर,--
- (क) जलकृषि इनपुटों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विकसित या अपनाए गए मानकों को विनिर्दिष्ट करेंगा;
- (ख) एक आदेश द्वारा, किसी भी तटीय जलकृषि में उपयोग के लिए ऐसे औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ (फारमाकोलो जिकेली एक्टिव सबस्टेंस), रोगाणुरोधी अभिकर्मक (एंटिमाईक्रोबियल एजेंट) या अन्य सामग्री को प्रतिबंधित करेगा;
- (ग) मानकों की पुष्टि और औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों, रोगाणुरोधी अभिकर्मकों और अन्य निषिद्ध पदार्थों से मुक्ति के लिए विशेषज्ञ समितियों द्वारा अनुशंसित अन्य उपाय करेगा;
- (घ) इनपुट की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानकों का पर्याप्त प्रचार करेगा और ऐसे औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ, रोगाणुरोधी अभिकर्मक या अन्य सामग्री की सूची सभी संबंधित पणधारियों के साथ साझा करेगा, जो किसी भी तटीय जलकृषि क्रियाकलाप में उपयोग के लिए निषिद्ध हैं ।

(3) प्राधिकरण से प्रमाणीकरण के बिना तटीय जलकृषि में कोई भी जलकृषि इनपुट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा या उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जिन्हें प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है, जैसाकि नियम 3 के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट जलकृषि इनपुट के अनुपालन के प्रमाणपत्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) जलकृषि इनपुट के अनुपालन के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन, अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में आहरित डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में संदेय प्रति उत्पाद दस हजार रुपये की फीस के साथ प्रारूप-III में प्रस्तुत होगा । (5) प्राधिकरण आवेदन और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा, ताकि यह पुष्ट किया जा सके कि जलकृषि, इनपुट मानकों का अनुपालन करती है और औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों, रोगाणुरोधी अभिकर्मकों(ऐन्टीमाइक्रोबियल एजेंट) और अन्य निषिद्ध पदार्थों से मुक्त है, जैसाकि नियम 3 के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट जलकृषि इनपुट अनुपालन प्रमाणपत्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट है।

(6) जहां प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि जलकृषि इनपुट मानकों के अनुरूप है, वहां प्राधिकरण, प्रारूप-VI में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुपालन का प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।

(7) यथास्थिति, प्रमाणीकरण प्रदान करना या अस्वीकार करना, प्रमाणीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(8) उप-नियम (6) के अधीन दिया गया अनुपालन प्रमाणपत्र ऐसे अनुपालन प्रमाणपत्र के प्रदान किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(9) जलकृषि इनपुट के अनुपालन के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारूप-III में होगा, जिसके साथ अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट ऐसे दस्तावेज और उप-नियम 4 में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होगी।

(10) उप-नियम (6) के अधीन प्रदत् जलकृषि इनपुट के अनुपालन का प्रमाणपत्र, नियम 3 के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट जलकृषि इनपुट के अनुपालन के प्रमाणपत्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकरण द्वारा समान अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा।

(11) प्राधिकरण, नियम 3 के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट जलकृषि इनपुट के अनुपालन प्रमाणपत्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रीति से जलकृषि इनपुट के अनुपालन की मानीटरिंग करेगा।

19. स्वास्थ्य मानीटरिंग, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगाणु मुक्त प्रमाणन.-

- (1) विशिष्ट रोगाणु मुक्त प्रमाणन निम्नलिखित के लिए अनिवार्य होगा
- (क) सभी ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर, न्यूकलियस ब्रिडिंग सेंटर, आर्टेमिया और पॉलीकेट वेर्म्स के लिए लाइव फीड इकाई और उनके स्टॉक ; और
- (ख) कोई अन्य तटीय जलकृषि इकाई या स्टॉक, जिसे केन्द्र सरकार आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्राधिकरण किसी भी तटीय जलकृषि इकाई और स्टॉक के लिए विशिष्ट रोगाणु मुक्त नि:शुल्क प्रमाणन की आवश्यकता की सिफारिश कर सकेगा।

- (3) केन्द्र सरकार, समय-समय पर, निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकेगी -
- (क) स्वास्थ्य मानीटरिंग, रोग सर्वेक्षण और विशिष्ट रोगाणु मुक्त नि:शुल्क प्रमाणन के लिए सक्षम प्राधिकारी;
- (ख) संदर्भ (रेफेरल) प्रयोगशालाओं की सूची;
- (ग) किसी तटीय जलकृषि इकाई के संदर्भ में चिंताजनक पथोजेन या इससे संबन्धित कोई अन्य मामले को इस प्रयोजनार्थ गठित तकनीकी सलाहकार समिति के साथ परामर्श के साथ;
- (4) केन्द्र सरकार निम्नलिखित को अनुदत्त कर सकेगी-
- (क) किसी भी तटीय जलकृषि इकाई या स्टॉक को विशिष्ट रोगाणु मुक्त स्थिति का प्रत्यायन ; और
- (ख) उच्च स्वस्थ या विशिष्ट रोगाणु मुक्त स्टॉक का विक्रय करने के लिए प्राधिकार ।

(5) रोगाणुओं से मुक्ति की पुष्टि तथा प्रमाणन के लिए स्वास्थ्य मानीटर्रिंग, रोग सर्वेक्षण, कस्टडी सैंपलिंग तथा परीक्षण की प्रक्रिया, वह होगी, जो स्वास्थ्य मानीटर्रिंग, रोग सर्वेक्षण और भारत में तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक के लिए रोगाणु मुक्त प्रमाणन हेतु नियम 3 के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट है।

20. बजट का प्रारूप और तैयार करने का समय--(1) प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्राधिकरण के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा और मंजूरी के लिए इसे केन्द्र सरकार को ऐसी तारीखों से पूर्व प्रस्तुत करेगा, जो केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाएं ।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा बजट की मंजूरी और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा व्यय के लिए मंजूरी प्राप्त करने तक कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

- (3) बजट को निम्नलिखित या केन्द्र सरकार द्वारा, जैसा निर्देश दिया जाए, को अंतर्विष्ट करते हुए तैयार किया जाएगा :-
- (क) अनुमानित अतिशेष ;
- (ख) अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुमानत प्राप्तियां ;
- (ग) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमों के अनुसार निम्नलिखित वृहत्त शीर्षों अथवा अन्य शीर्षों के अधीन वर्गीकृत अनुमानित व्यय, अर्थात् :-
 - (i) प्रशासन ;
 - (ii) विकास ;
 - (iii) सांख्यिकी ;
 - (iv) निरीक्षण या कार्य ;
 - (v) वित्तीय और अन्य सहायता / सहायक स्कीम ;
 - (vi) अन्य ।

(4) जहां भी लागू हो, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यापक शीर्ष के लिए विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन पूर्ण ब्यौरे दिए जाएंगे, जिनमें अधिकारियों के वेतन, स्थापना व्ययों, भत्ता, मानदेय, आकस्मिकताओं और सदृश को शामिल करते हुए प्राक्कलित व्यय को उपदर्शित किया जाएगा ।

(5) व्यय के अनुपूरक प्राक्कलन, यदि कोई हों, को केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए ऐसे प्रारूप और ऐसी तारीखों को प्रस्तुत किया जाएगा जो उसके द्वारा इस निमित्त निदेश किया जाए ।

21. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप और समय

(1) प्राधिकरण का अध्यक्ष या ऐसा कर्मचारी, जिसे इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ के पश्चात् यथाशीघ्र एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण के कार्यकलापों का लेखा सम्मिलित होगा, जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल होगी, अर्थात् :-

- (क) प्राधिकरण के वाणिज्यिक और प्रचालन लक्ष्यों और उद्देश्यों का एक विवरण ;
- (ख) लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक कार्यनिष्पादन के संक्षिप्त समीक्षा के साथ विभिन्न कार्यकलापों के लिए भौतिक और वित्तीय अर्थ में रखे गए वार्षिक लक्ष्य ;
- (ग) पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण के कार्यकलापों की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा उन कार्यकलापों का लेखा,
 जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाना है ;
- (घ) पूर्व वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट किए जाने वाले वर्ष के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश;
- (ङ) नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन और किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपाय, जिनका प्राधिकरण की लाभग्रहृयता या कार्यकरण पर प्रभाव है या प्रभाव होने की संभावना है ;
- (च) परिकल्पित नई परियोजनाएं या विस्तार स्कीमों के साथ उनके फायदे, वित्तीय विवक्षाएं और निष्पादन कार्यक्रम;
- (छ) प्राधिकरण के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन ;
- (ज) नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों और प्राधिकरण की कल्याणकारी कार्यकलापों पर रिपोर्ट ; और
- (झ) ऐसे अन्य विविध विषयों पर रिपोर्ट, जो प्राधिकरण या केन्द्र सरकार द्वारा संगत केन्द्र सरकार स्तर को रिपोर्ट करने के लिए उपयुक्त समझे जाएं ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट को अंगीकार करने के लिए प्राधिकरण की बैठक के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट को रखा जाएगा और इस पर अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे प्राधिकरण की सामान्य सील के साथ अधिप्रमाणित किया जाएगा और उसकी अपेक्षित प्रतियों को पश्चातवर्ती वर्ष की 31 तारीख तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

22. प्राधिकरण के लेखे रखने का प्रारूप और रीति -

(1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा रखेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण फीस के लिए पृथक् बैंक खाता रखा जाएगा।

(3) किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय को पृथक शीर्ष और उपशीर्ष के अधीन दर्शित किया जाएगा।

- (4) अतिशेष, यदि कोई हो, को भी पृथक् रूप से उल्लिखित किया जाएगा।
- (5) वर्ष के इतिशेष को व्यय के लेखाओं के अंत में दर्शित किया जाएगा।

(6) लेखाओं के संबंध में लेखा बहियों और अन्य बहियों को समय-समय पर प्रवृत्त विभिन्न सामान्य वित्तीय नियमों, केंद्रीय कोषागार नियमों और प्राप्ति तथा संदाय नियमों में यथा निर्धारित प्रारूप में बनाए रखा जाएगा।

(7) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, केन्द्रीय कोषागार नियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 और समय-समय पर प्रवृत्त केन्द्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के उपबंधों के उपबंध ऐसे उपांतरणों या अंगीकारों के पश्चात्, जो केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा किए जाए, प्राधिकरण के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे।

अनुसूची-1

[नियम 9(3)(क), 13(6) और 16(1) देखें]

तटीय जलकृषि इकाई या कार्यकलाप फीस क्रम सं. स्वामित्व या उसमें हित का रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण/अंतरण फार्म न्यूनतम पांच सौ रुपये के अधीन रहते हुए दो सौ रुपए (या हेक्टेयर 5.0 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र तक का अंश) एक हजार रुपये और पांच हेक्टेयर से अधिक प्रति हेक्टेयर (या एक 5.0 हेक्टेयर से अधिक 10 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र तक हेक्टेयर का अंश) के लिए पांच सौ रुपये 10 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र तक तीन हजार रु/- और दस हेक्टेयर से ऊपर प्रति हेक्टेयर (या एक हेक्टेयर का अंश) के लिए एक हजार रु/-हैचरी, नौपली रियरिंग हैचरी, लाइव फीड इकाई रजिस्ट्रीकरण शुल्क दस हजार रुपये 2 पचास हजार रुपये मानीटरिंग फीस और कार्य निष्पादन गारंटी जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । रजिस्ट्रीकरण शुल्क बीस हजार रुपये ब्रुडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्युक्लियस 3 ब्रिडिंग सेंटर रोग से मुक्ति के लिए निगरानी शुल्क और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन गारंटी। प्रति रजिस्ट्रीकरण एक सौ रुपये 4 समुद्र शैवाल कृषि दो सौ रुपये न्यूनतम के अधीन रहते हुए दो रुपये प्रति घन मीटर पेन कल्चर, राफ्ट कल्चर और केज कल्चर आदि । 5 इंडोर या आउटडोर सीमेंट सिस्ट्रन में रीसर्क्युलेटरी पांच सौ रुपये न्यूनतम के अधीन रहते हुए दस रुपये प्रति घन मीटर 6 एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लोक सिस्टम

तटीय जलकृषि इकाइयों या कार्यकलापों के स्वामित्व या हित के रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण/अंतरण के लिए फीस

अनुसूची-2

[नियम 9(1), (3)(ख) और 13(1) देखें]

तटीय जलकृषि इकाई या कार्यकलापों के रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र और दस्तावेज

कग	फार्म, समुद्री शैवाल कृषि, पेन कल्चर, राफ्ट कल्चर, केज	ਤੈਜ਼ਰੀ ਜੈਂਸਰੀ ਰਿਹਰਿੰਸ ਤੈਜ਼ਰੀ ਕਾਟਰ ਸੀਰ
क्रम सं.	काम, समुद्रा रावाल कृष्प, पन कल्पर, राफ्ट कल्पर, कज कल्चर, रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लोक	हचरा, नापणा रियारेग हचरा, लाइव फाड इकाई, ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर और
N.	ગેલ્વર, રાશવયુલદરા દ્વાવાલ્વર શિલ્લન બાર વાવાવલાવે	न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर
(1)	(2)	(3)
(1)	्रारूप-1 में निर्धारित अनुसार: भरा हुआ आवेदन	(२) निर्धारित अनुसार: भरा हुआ प्रारूप-2
2		
2	लागू रजिस्ट्रीकरण फीस विशिष्ट ट्रेंसेक्शन रेफरेस संख्यांक सहित इलेक्ट्रॉनिक संदाय का सबूत	लागू रजिस्ट्रीकरण फीस विशिष्ट ट्रेंसेक्शन रेफरेस संख्या सहित इलेक्ट्रॉनिक
	विशिष्ट द्रसभराग रफरस संख्याक साहत इलफ्ट्रानिक संदाय का संबूत	ावाराष्ट ट्रसकरान रकरस संख्या साहत इलक्ट्रानिक संदाय का सबूत
3	रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख/साइट के पट्टा विलेख की प्रति l सरकार द्वारा	
5	राजरद्रानृत्या पत्रज्या परिखारा ३८ के नट्टा विराख का प्रारा सरकार द्वारा समनुदेशन का सबूत/आबंटन दस्तावेज/स्थानीय भाषा और उसका	
	अंग्रेजी में अनूदित स्व:सत्यापित संस्करण	दस्तावेज/स्थानीय भाषा और उसका अंग्रेजी में
		अनुदित स्व:सत्यापित संस्करण
4	भागीदारी विलेख, यदि लागू हो	ू भागीदारी विलेख, यदि लागू हो
5	कंपनी/फर्म रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)	कंपनी/फर्म रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
		यदि पट्टे पर हो, तो रजिस्ट्रीकृत पट्टा करार की प्रति
6	फील्ड माप पुस्तिका की प्रति, साइट का रेखाचित्र	फील्ड माप पुस्तिका की प्रति, साइट का रेखाचित्र
7	फार्म का लेआउट (5 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र वाले फार्मों के	पचास रुपये के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रारूप-II
	लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र तथा 20 से अधिक के स्टॉर्किंग घनत्व वाली	के भाग क में घोषणा
	विदेशी प्रजातियों की कृषि को सम्यकत: दर्शाते हुए । जल प्रसार क्षेत्र के	
	विस्तार पर ध्यान न देते हुए प्रति वर्ग मीटर² लार्वा)	
8	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्माण का ब्लूप्रिंट, यदि कोई हो	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्माण का ब्लूप्रिंट
	और यदि लागू हो	
9	पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट (दस हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र से ऊपर के	
	फार्मों, मैरीकल्चर इकाइयों के लिए अनिवार्य)	मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रीर्डिंग सेंटर का
		लेआउट, जल निकासी के साथ।
10	पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट (40 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र से ऊपर के फार्मों/मैरीकल्चर इकाइयों के लिए अनिवार्य)	जल स्रोत से जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट ।
11	स्थानीय प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र	स्थानीय प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र
12	परियोजना रिपोर्ट, यदि लागू हो	पिछले तीन वर्ष के लिए फर्म के प्रमाणित संपरीक्षित
		वित्तीय विवरण (यदि लागू हो)
13	कोई अन्य दस्तावेज (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	भारतीय फर्मों के साथ करार के निबंधन और शर्तें
14		आवश्यकतानुसार विशिष्ट रोगाणु मुक्त झींगा
		ब्रुडस्टॉक या मूल पश्च-लार्वा की पूर्ति के लिए फर्म की
		प्रतिबद्धता को उपदर्शित करते हुए समझौता/करार
		ज्ञापन की प्रति
15	-	कम से कम दो वर्ष की लगातार अवधि के लिए सक्षम
		प्राधिकारी द्वारा जारी रोग से मुक्ति का प्रमाण पत्र
16	-	एनिमल हेल्थ रेफेरल लेबोरेटरी के लिए सरकार द्वारा
		प्राधिकृत अथवा विश्व संगठन द्वारा हाल की समीक्षा
		के दौरान विदेशी सप्लायर की सुविधा के संबंध में डायाग्नोस्टिक रिपोर्ट ।
		डायाग्नास्टिक रिपाट ।

अनुसूची-3

[नियम 18(4) और (9) देखें]

जल कृषि इनपुट/नवीकरण के लिए आवेदन प्रारूप और अनुपालना प्रमाणपत्र के लिए दस्तावेज

क्र म	प्रारूप और दस्तावेज
सं.	
(I)	(2)
Ι	प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रारूप-3 में निर्धारित अनुसार: भरा हुआ आवेदन
2	डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आवेदन प्रोसेसिंग फीस
3	आवेदक कंपनी के ब्यौरे जैसे निगमन प्रमाण पत्र, माल और सेवा कर प्रमाण पत्र, सूक्ष्म, लघु या मध्यम उपक्रम, आदि)
4	आवेदक कंपनी और व्यापारी विनिर्माता के बीच करार की प्रति (यदि लागू हो) (केवल भारतीय विनिर्मित उत्पाद के लिए)
5	विनिर्माणकारी प्रसुविधा के ब्यौरे (कारखाना चलाने के लिए अनुज्ञप्ति / अच्छी विनिर्माणकारी पद्धति या सर्वोत्तम जल कृषि पद्धतियां या जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु प्रणाली या रजिस्ट्रीकरण आदि के मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमाणपत्र (भारतीय विनिर्मित उत्पाद और आयातित उत्पाद दोनों के लिए लागू)
6	आयातित उत्पाद के लिए प्रोसेस प्रमाणपत्र (अच्छी विनिर्माणकारी पद्धति या सर्वोत्तम जल कृषि पद्धतियां या जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु प्रणाली या मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कोई अन्य प्रमाणपत्र)
7	नियम 3 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट इनपुट जल कृषि के लिए अनुपालना प्रमाणपत्र हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार मूल लेबल
8	क्वालिटी नियंत्रण के लिए विनिर्माण प्रक्रिया (विस्तृत) और परीक्षण प्रक्रिया
9	नियम 3 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट इनपुट जल कृषि के लिए अनुपालना प्रमाणपत्र हेतु दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के लिए परीक्षण और केलीब्रेशन के लिए नेशनल एक्रेडिरेशन बोर्ड द्वारा एक्रेडिट किए गए लैब से मूल लैब रिपोर्ट बोर्ड से प्रत्ययित प्रयोगशाला के लिए
10	नियम 3 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट जलकृषि इनपुटों के अनुपालना प्रमाणपत्र के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रारूप में कार्यदल द्वारा संग्रहित नमूनों और उनकी लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अंडरटेर्किंग ।
11	नियम 3 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट जलकृषि इनपुटों के अनुपालना प्रमाणपत्र के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रारूप में नोटेरीकृत स्व:घोषणा ।
12	आवेदक कंपनी और विदेशी मूल विनिर्माता के बीच नोटेरीकृत करार (केवल आयातित उत्पादों के लिए)
13	उद्गम देश द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र/स्वच्छता प्रमाण पत्र/पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र या कोई अन्य प्रमाण-पत्र जो एंटी बायोटिक मुक्त स्थिति दर्शाता है।
14	छेड़छाड़ रोधी तंत्र, यदि उपलब्ध हो (विस्तृत ब्यौरे और प्रदर्श सहित)
15	इकाई में रखे गए अभिलेखों की सूची

प्रारूप-1

[नियम 9(1), (2)(क) और 13(1)देखें]

नियम 9 के उपनियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट तटीय जलकृषि इकाई या कार्यकलाप के रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन

1.	आवेदक के ब्यौरे	
	(क) आवेदक/रजिस्ट्रीकृत कंपनी/स्थापना का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	:
	(ख) स्थायी पता	:
	(ग) संपर्क के लिए पता	:
	(घ) मोबाइल नंबर	:
	(ङ) ई-मेल पता	:
	(च) आधार नंबर	:

2.	तटीय जल कृषि इकाई/कार्यकलाप ; फार्म ; नर्सरी ; समुद्री शैवाल कृषि ; पेन कल्चर ; राफ्ट कल्चर ; केज कल्चर ; रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के ब्यौरे ; बायो-फ्लोक सिस्टम, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया गया है : कृपया विवरण दें ।			
	 (क) राज्य (ख) जिला (ग) तालुक मंडल/ (घ) राजस्व ग्राम (ङ) सर्वेक्षण संख्या 	:		
	(च) भौगोलिक समन्वयक	अक्षांतर	देशांतर	
	(सागरीय कृषि इकाईयों के लिए अनिवार्य)			
	(छ) स्वामित्व अधिकार (क्या प्री होल्ड अथवा पट्टाधृत या सरकार द्वारा आबंटित/समनुदेशित भूमि/तटीय सार्वजनिक जल निकाय) कृपया विवरण प्रस्तुत करें।	:	I	
	(ज) लीस होल्ड/ सरकार द्वारा आबंटित/समनुदेशित भूमि/तटीय जल निकाय की वैधता अवधि	से	तक	
3.	कृषि का प्रकार, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया गया है			
4.	 कुगिष की प्रकीर, जिसके लिए राजस्ट्रीकरण हतु आवदन कियी गया ह (क) मिट्टी के जलशायों का फार्म (ख) पेन (ग) केज (घ) राफ्ट (इ) आहाते (च) अन्य (विवरण दें) तटीय जल कृषि इकाई/कार्यकलाप ; फार्म ; नर्सरी ; समुद्री शैवाल कृषि ; पेन कल्चर ; रा रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम ; बायो-फ्लोक प्रणाली के ब्यौरे (क) नए निर्मित (ख) पहले से विद्यमान प्रचालन कर रहे/ (ग) यदि पहले से विद्यमान प्रचालन कर रहे/, निम्नलिखित का ब्यौरा दें : (i) प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (ii) यदि तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या और समाप्ति की तारीख 	: : : : : रां/नहीं हां/नहीं : :	; केज कल्चर	;
	 (घ) कुल क्षेत्र (1) तटीय जल कृषि इकाई फार्म :; रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम; बायो-फ्लोक प्रणाली (हेक्टेयर) (2) समुद्री शैवाल कृषि ; पेन कल्चर ; राफ्ट कल्चर ; केज कल्चर, सागरीय कृषि इकाईयां (मीटर³/मीटर²) (ङ) जल प्रसार क्षेत्र 	संख्या संख्या	इकाई क्षेत्र प्रति इकाई	कुल क्षेत्र कुल जल
			जल प्रसार क्षेत्र	प्रसार क्षेत्र
5.	यदि पूर्वोक्त तटीय जलकृषि इकाईयों का संपूर्ण या भाग निम्नलिखित में से किसी एक श्रेण करें	ी के अधीन	आता है तो ब्य	गौरा प्रस्तुत

	श्रेणी	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	विस्तार (हेक्टेयर में)
	(क) कृषि भूमि (ख) वन भूमि			
	(ग) ग्राम के सामान्य प्रयोजन के लिए भूमि (घ) लोक प्रयोजन के लिए आशयित भूमि			
	(ङ) आर्द्रभूमि (च) मेंनग्रोव			
6.	जल कृषि इकाई के लिए जल स्रोत			
	(क) सागर (हां/नहीं हां/नहीं		
	(ख) खाड़ी बैक वाटर/नहर/नदीमुख/ (ग) यदि जल स्रोत ऊपर में वर्णित है तो स्रोत के नाम को उपदर्शित करें (ख)	हा/गहा :		
7.	निम्नलिखित में से इकाई स्थल की दूरी			
	(क) ज्वार रेखा (ख) निकटतम पेय जल स्रोत	:		
	(ग) कृषि भूमि	:		
	(घ) मैनग्रोव	:		
	(ङ) समुद्री संरक्षित क्षेत्र	:		
	(च) निकटवर्ती जलकृषि फार्म	:		
	(छ) मानव बस्तियां (बस्ती की जनसंख्या बताएं)	:		
	(ज) राष्ट्रीय उद्यान	:		
	(झ) अभयारण्य	:		
	(ञ) आरक्षित वन	:		
	(ट) प्रजनन, अंडा देने वाले स्थल और अन्य जलीय जीवन	:		
	(ठ) समुद्र तट	:		
	(ड) कोरल रिफ्स	:		
	(ढ) विरासत क्षेत्र	:		
8.	प्रजातियाँ और भंडारण घनत्व	प्रजातिय	Ť	भंडारण घनत्व (संख्या प्रति मीटर ²/मीटर ³)
	(क) क्रस्टेशियन			
	(ख) मोलस्क			
	(ग) फिनफिश			
	(घ) समुद्री शैवाल			
	(ङ) कोई अन्य			
9.	जैव-सुरक्षा व्यवस्था का विवरण			

	(क) क्रेब के लिए फेनसिंग	:
	(ख) पक्षी के लिए फेनसिंग	:
	(ग) हाथ पैर धोने के लिए	:
	(घ) जलाशय	:
	(ङ) फिल्टर	:
10	परिचालन विवरण, जल उपयोग और अपशिष्ट जल उपचार सुविधा के साथ संचालित/प्रस्तावित जलकृषि फार्म के डिजाइन और लेआउट के स्केच (आकार अनुसार) के विवरण के साथ परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	:
11	यदि प्रवाह उपचार प्रणाली चालू/प्रस्तावित है, तो कृपया लेआउट, डिज़ाइन और तकनीकी विवरण प्रस्तुत करें	:
12.	क्या पर्यावरण प्रभाव आकलन/पर्यावरण प्रबंध योजना जलकृषि फार्म के पर्यावरण पर इसके पड़ोस में अन्य भूमि उपयोग के संदर्भ में और परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तुत इकाई के परिचालन विवरण के आधार पर की गई थी, कृपया विशेष रूप से बताएं, क्या-	:
	(क) जलकृषि गतिविधि का असर आस-पास के क्षेत्रों में जल-जमाव या पेयजल स्रोत को प्रदूषित करने पर पड़ता है	:
	(ख) पूरक आहार/औषध/दवाओं आदि के उपयोग के परिणामस्वरूप अवसादन में वृद्धि होगी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा	:
	(ग) ऐसी गतिविधि से स्थानीय जीवों और वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव के साथ गाद, गंदगी पैदा होगी	:
13.	यदि, पर्यावरण प्रभाव आकलन किया गया है, तो कृपया रिपोर्ट संलग्न करें (10 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र से ऊपर तटीय जलकृषि इकाई/ समुद्रीकृषि इकाइयों के लिए अनिवार्य)	:
14.	यदि पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गई है, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें (40 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र से ऊपर तटीय जलकृषि इकाई/ समुद्रीकृषि इकाइयों के लिए अनिवार्य)	:
15.	प्रसंस्करण शुल्क के प्रेषण का विवरण	:

घोषणा

मैं/हम

स्थान:

तारीख:

आवेदक या आवेदकों के हस्ताक्षर

प्रारूप- II

[नियम 9(1), (2)(ख), 11 (1)(क), (4) और 13(1) देखें]

नियम 9 के उप-नियम (2) (ख) के खंड (ख) में निर्दिष्ट तटीय जलकृषि इकाई या गतिविधि के रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन

1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)				पासपोर्ट आकार का चित्र
2	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	न्यूक्लियस ब्रिडिंग	सेंटर	हां/नहीं	
		ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लि सेंटर	केशन	हां/नहीं	
		हैचरी		हां/नहीं	
		नौपोली रियरिंग है	चरी	हां/नहीं	
		लाइव फ़ीड (आर्टेमि या पॉलीचेट)	ोया	हां/नहीं	
3	क्या पूर्व अनुमति/नए रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है	:			
4	यदि रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:				
	(क) तटीय जलकृषि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण संख्या				
	(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख				
	(ग) वैधता अवधि	से			
5	निर्माण हेतु पूर्व अनुमति का विवरण				
6	तटीय जलकृषि इकाई का नाम				
7	पिन कोड सहित तटीय जलकृषि इकाई का पता				
8	सम्पर्क करने का विवरण				
	(क) संचार पता				
	(ख) मोबाइल नंबर				
	(ग) ई मेल आईडी				
9	संगम ज्ञापन/ संगम अनुच्छेद की प्रति के साथ निदेशक मंडल और प्रबंध निदेशक का विवरण				
10	पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म का प्रमाणित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (यदि लागू हो)				
11	के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया गया	न्यूक्लियस ब्रिडिंग	सेंटर	हां/नहीं	
		ब्रूडस्टॉक बहु मल्टीप्लिकेशन सेंटर	र	हां/नहीं	
12	प्रचालन का प्रकार	पेरेंट पोस्ट लार्वा	पोस्ट	ब्रूडस्टॉक	

	(हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिर्डिंग सेंटर)		लार्वा	
13	उत्पादित की जाने वाली प्रजातियाँ (केवल एक प्रजाति निर्दिष्ट करें)			
	(क) विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त <i>पेनियस मोनोडोन</i>	हां/नहीं		
	(ख) विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त <i>लिटोपेनियस वेन्नामेई</i>	हां/नहीं		
	(ग) स्कैम्पी (प्रजाति का नाम विनिर्दिष्ट करें)			
	(घ) समुद्री फ़िनफ़िश (प्रजाति का नाम विनिर्दिष्ट करें)			
	(ङ) केकड़ा (प्रजाति का नाम विनिर्दिष्ट करें)			
	(च) अन्य (प्रजाति का नाम विनिर्दिष्ट करें)			
14	हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रीडींग सेंटर का स्वामित्व अधिकार (सरकारी/सोसाइटी/पब्लिक लिमिटेड/निजी/सांपत्तिक/भागीदारी)			
15	हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर			
	(क) राज्य			
	(ख) जिला			
	(ग) तालुक या मंडल			
	(घ) राजस्व गांव			
	(ङ) सर्वेक्षण संख्या			
	(च) भौगोलिक निर्देशांक	अक्षांश		देशान्तर
16	हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर साइट की कुल सीमा (मी ² में)			
17	उच्च ज्वार रेखा से दूरी (मीटर में)			
18	चाहे स्वामित्व हो या पट्टे पर (सहायक दस्तावेज संलग्न करें)			
19	यदि पट्टे पर है, तो पट्टा अवधि विनिर्दिष्ट करें और रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख की प्रति भी संलग्न करें।			
20	उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर (जैसा लागू हो)			
	सुविधाएँ		क्ष	मता
	क. समुद्री जल इनटेक प्रणाली:			
	(i) समुद्री जल की आवश्यकता/दिन			
	(ii) पंप की संख्या और क्षमता			
	(iii) फिल्टेशन प्रणाली और स्थापित दबाव वाले रेत फिल्टर की संख्या (कम रेत फिल्टर, रैपिड रेत फिल्टर और कार्ट्रिज फिल्टर की राज्य संख्या)			

(iv) अल्ट्रावॉयलेट स्टरलाइज़ेशन (कुल एम्प के साथ लैंप की संख्या)	
(ν)भंडारण टैंकों की संख्या	
(vi) प्रत्येक भंडारण टैंक की क्षमता	
(vii) क्लोरीनीकरण टैंकों की संख्या और क्षमता	
(viii) सेडिमेंटिशन टैंकों की संख्या और क्षमता	
ख. मीठे पानी के इनटेक की प्रणाली	
(i) पंप्स:	
(ii) उच्च घनत्व पॉलीथीन सीमेंट ओवरहेड टैंक	
ग. परिपक्वता / स्पॉर्निग	
(i) परिपक्वता टैंकों की संख्या	
(ii) प्रत्येक टैंक की क्षमता	
(iii) स्पॉर्निंग/हैचिंग टैंकों की संख्या (चाहे सीमेंट या फाइबर	
प्रबलित प्लास्टिक, यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा)	
(iv) प्रत्येक टैंक की क्षमता	
घ. लार्वा पालन	
(i) लार्वा पालन टैंकों की संख्या	
(ii) प्रारंभिक लार्वा पालन टैंकों की संख्या और क्षमता	
(iii) लार्वा पालन के बाद टैंकों की संख्या और क्षमता	
ङ. ग्रो आउट	
(i) परिपक्वता टैंकों की संख्या	
(ii) प्रत्येक टैंक की क्षमता	
(iii) स्पॉर्निंग/ हैचिंग टैंकों की संख्या (चाहे सीमेंट या फाइबर प्रबलित प्लास्टिक, यदि हां, तो विवरण)	
(iv) प्रत्येक टैंक की क्षमता	
च. लाइव फ़ीड कल्चर सुविधाएं	
(i) इनडोर शैवाल कल्चर टैंक (फाइबर प्रबलित प्लास्टिक) की	
संख्या और क्षमता	
(ii) आउटडोर टैंकों की संख्या और क्षमता	
(iii) आर्टेमिया हैचिंग टैंकों की संख्या और क्षमता (फाइबर प्रबलित प्लास्टिक)	
छ. चारा/भंडारण सुविधा	
ज. सामान्य सुविधाएं	
ुं. (i) जनरेटर की संख्या और क्षमता (किलोवोल्ट एम्पीयर में)।	
(ii) एयर ब्लोअर/कंप्रेसर की संख्या और क्षमता (हॉर्सपावर में)।	
(iii) स्टाफ क्वार्टर	
(iv) कार्यालय भवन	
झ. हैचरी लैबोरेटरी (प्रयोगशाला)	

	(i) जल विश्लेषण प्रयोगशाला	
	(ii) माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला	
	(iii) पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन प्रयोगशाला	
	(iv) डीप फ्रीजर	
	(v) इनसीनेटर	
	(vi) अन्य प्रयोगशाला सुविधाएं	
21	1 ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर के लिए स्पेसिफिक पैथोजन प्री (विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त)श्रिम्प पोस्ट लार्वे या न्यूक्ति सेंटर के लिए ब्रूडस्टॉक :	नयस ब्रिडिंग
	(i) विदेशी विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त सुविधा का नाम	
	(ii) विदेशी विशिष्ट रोगजनक मुक्त सुविधा का पता (ई-मेल आईडी सहित)	
	(iii) मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ विदेशी आपूर्तिकर्ता के भारतीय प्रतिनिधि का विवरण	
	(iv) फर्म का विवरण	
	(v) रजिस्ट्रीकरण का देश	
	(vi) सुविधा का स्थान	
	(vii) भारतीय फर्मों के साथ समझौते के नियम और शर्तें (प्रतिलिपि करें)	
	(viii) विनिर्दिष्ट रोगजनक मुक्त पैरेन्ट पोस्ट लार्वा या ब्रूडस्टॉक की वाणिज्यिक आपूर्ति की सीमा का विवरण	
	(ix) किसी अन्य देश में संचालित किसी अन्य मल्टीप्लिकेशन सेंटर का विवरण	
	(x) परिपक्वता के समय आकार, परिपक्वता के लिए विलंबता अवधि, उर्वरता, प्रति मादा अंडा देने की संख्या, अंडे देने की दर और न्यूप्ली से पोस्ट लार्वा तक जीवित रहने की दर के संदर्भ में फर्म के विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त ब्रूडस्टॉक का प्रजनन प्रदर्शन	
	(xi) विकास और बीमारी के लिए व्यावसायिक कल्चर में फर्म की विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त ब्रूडस्टॉक से प्राप्त पोस्ट लार्वा का प्रदर्शन	
	(xii) ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर को आपूर्ति की गई फर्म की विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त ब्रूडस्टॉक से प्राप्त पैरेंट पोस्ट लार्वा का प्रदर्शन (जिवित रहने की दर, वृद्धि और रोग-मुक्त स्थिति सहित)	
	(xiii) पूर्ण विवरण के साथ अलग शीट संलग्न करें	
	(xiv) आवश्यकतानुसार विशिष्ट रोगजनक मुक्त झींगा ब्रूडस्टाक या पैरेंट पोस्ट लार्वा की आपूर्ति के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता का संकेत देने वाले समझौता ज्ञापन/समझौते की प्रति का दिया जाना है।	
22	2 विदेशी विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त सुविधा का विस्तृत इन्फ्रास्ट्रक्चर और कार्मिक	
	(i) विशिष्ट रोगजनक मुक्त सुविधा की ले-आउट योजना (स्पष्टीकरण के साथ आरेख संलग्न करें)	

	(ii) जल उपचार और आपूर्ति	
	(iii) पालन-पोषण की सुविधाएँ	
	(iv) प्रयोगशाला सुविधाएं	
	(v) जैव सुरक्षा कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल ,शॉवर कक्ष, फेंसिंग आदि	
	(vii) तकनीकी कर्मचारियों की संख्या और उनकी विशेषज्ञता का विवरण बायोडाटा संलग्न करें	
	(viii) लेखापरीक्षित विवरण सहित पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति	
23	विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त सुविधा में रोग निगरानी	
	(i) सुविधा में शामिल नहीं किए गए रोगजनकों की सूची	
	(ii) निदान के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति या नैदानिक प्रोटोकॉल का पालन	
	(iii) पिछले दो वर्षों के लिए सुविधा की रोग मुक्ति का प्रमाण पत्र (सरकार द्वारा जारी) संलग्न किया जाना चाहिए निगरानी की आवृत्ति	
	(iv) संगठन की रेफरल प्रयोगशाला से हाल की निगरानी के दौरान नैदानिक रिपोर्ट का विवरण	
24	चयनात्मक प्रजनन कार्यक्रम का विवरण	
	(i) संस्थापक जनसंख्या का स्रोत (भौगोलिक स्थान की संख्या/प्राप्त विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त सुविधाओं की संख्या)	
	(ii) जनसंख्या का आनुवंशिक विविधता (प्रत्येक स्थान/प्रत्येक विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त सुविधा से प्रकार की संख्या)।	
	(iii) संस्थापक जनसंख्या में अतिरिक्त प्रकार के परिचय की आवृत्ति	
	(iv) अपनाए गए चयन कार्यक्रम का प्रकार	
	(v) लाइनों की संख्या और बनाए गए प्रकारों की संख्या	
	(vi) बढ़ाई पीढ़ियों की संख्या	
	(vii) पीढ़ियों द्वारा न्यूनतम प्रभावी जनसंख्या का आकार	
	(viii) चयन के लिए गुणों पर विचार	
	(ix) पीढ़ियों से आनुवंशिक लाभ	
	(x) प्रजनन योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल आनुवंशिकीविद् का नाम और संक्षिप्त बायोडाटा।	
	(xi) अंतःप्रजनन (इन ब्रीडींग) से बचने के लिए विशिष्ट विवरण दर्शाने वाली प्रजनन योजना	
25	भारतीय ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर सुविधा का विवरण	
	(i) प्रस्तावित वार्षिक क्षमता (ब्रूडस्टॉक की संख्या) (अंकों में) या	
	·	

	पैरेंट पोस्ट लार्वा (मिलियन में) (प्रति वर्ष)		
	परट पास्ट लावा (ामालयन म) (प्रात वष)		
	(ii) विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त ब्रूडस्टाक (अंकों में) या पैरेंट पोस्ट लार्वा (मिलियन में) की आवश्यकताएं और प्रति वर्ष आयात की आवृत्ति		
	(iii) प्रस्तावित पालन-पोषण के मासों/वर्षों की संख्या		
	(iv) पैरेंट पोस्ट लार्वा से ब्रूडस्टाक तक पालन/ ब्रूडस्टाक उत्पन्न करने के दौरान प्रत्याशित उत्तरजीविता		
26	प्रस्तावित अवसंरचना सुविधाएं		
	(i) भूमि क्षेत्र		
	(ii) स्थान		
	(iii) क्या किसी मौजूदा सुविधा को ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर के रूप में दोबारा तैयार किया जा रहा है? यदि हॉं, तो इसके पूर्व उपयोग एवं वर्तमान स्थिति बतायें		
	(iv) निकटतम हैचरी/फार्म के बीच की दूरी		
	(v) प्रस्तावित सुविधा की ले-आउट योजना जिसमें संगरोध, पानी का उपयोग और उपचार; बंद परिस्थितियों में रियरिंग टैंक, जैव सुरक्षा सुविधाएँ, प्रवाह उपचार प्रणाली, आदि, दर्शायी गई हो और टैंकों की क्षमता और संख्या को दर्शाएं (स्पष्टीकरण के साथ आरेख संलग्न करें)		
	(vi) नैदानिक प्रयोगशाला सुविधा का विवरण		
	(vii) संक्षिप्त लागत प्राक्कलन और धन का स्रोत		
	(viii) ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर के प्रचालन में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित तकनीकी कर्मचारी और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र का संकेत देने वाला उनका संक्षिप्त बायोडाटा		
	(ix) ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर में परीक्षण के लिए प्रस्तावित रोगजनकों की सूची और पालन किए निगरानी प्रोटोकॉल		
	(x) नमूना विवरण		
	(xi) नमूनाकरण और परीक्षण की आवृत्ति		
	(xii) कोई अन्य विवरण/विवरण		
27	वर्तमान में हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर में उत्पादित प्रजातियां, यदि कोई हैं।		
28	स्थापित क्षमता और उपयोग (मिलियन / वर्ष)		
29	अनुमानित वार्षिक उत्पादन का विवरण जिसमें उत्पादन दर्शाया गया है (मिलियन)		
	(क) झींगा/स्कैम्पी	नौपली	

	(ख) समुद्री फ़िनफ़िश	फ्राई	
		फिंगरलिंग्स	
	(ग) केकड़ा	इंस्टार	
		क्रैबलेट्स	
30	क्या हैचरी में निम्नलिखित जैव-सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं		
	(i) पेरीफेरल फेंसिंग		
	(ii) हैचरी के सेक्शन को अलग-अलग करना		
	(iii) शॉवर और चेंजिंग रूम		
	(iv) वाहन डिप		
	(v) पैर स्नान		
	(vi) हाथ धोना		
31	हैचरी परिसर में प्रवाह उपचार प्रणाली का विवरण दें (मीट्रिक टन क्षमता वाले टैंकों की संख्या)		
32	नियोजित योग्य तकनीकी कर्मचारियों का विवरण, उनके नाम और संपर्क विवरण के साथ योग्यता।		
33	भुगतान की गई फीस का विवरण	रकम:	
		डिमांड ड्राफ्ट नंबर और तारी	ख:
		बैंक:	

घोषणा

स्थान:

मैं/हम

तारीख:

आवेदक या आवेदकों के हस्ताक्षर

भाग-क

हैचरी, नौपली रियरिंग हैचरी, लाइफ फीड यूनिट, न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर और ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर के स्वामी द्वारा प्रारूप- 2 के साथ प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा (पचास रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर किए जाने हैं)

1.	मैं/हम		आयुआयु	के
पुत्र			लियन के स्वामी(ओं)वार्षिक स्थापित क्षमता	
झींगा	बीज	हैचरी		राजस्व
गांव	मंडल/तालुक,	ज़िला	(राज्य) घोषणा करता	ा हूं कि
मैं/हम तटीय जलकृ	षे हैचरी या नौपली रियरिंग हैचर	ी या लाइफ फीड यूनिट या	ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस	ब्रिडिंग
), (ग) और (च) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों में अधि	
शर्तों का पालन करने	ने के लिए जैव-सुरक्षा और		प्रजाति का नाम) बीज उत्पादन के लिए सहमत	हैं।

2. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट भौतिक सुविधाएं पहले ही स्थापित/प्रदान कर दी हैं और मैं/हम ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जारी रखेंगे, जिसके न होने पर मुझे दिया गया रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है और तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकता हूं।

3. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर को(प्रजाति का नाम)बढ़ाने/उत्पादन के लिए आवश्यक विशिष्ट दिशानिर्देशों और सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे.

4. मैं/हम निम्नलिखित विशिष्ट अधिकथित विनिर्देशों का पालन करते हुए अपनी हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर में केवल बीज का उत्पादन करने का वचन देते हैं, जिसके न होने पर मैं/हम रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए सहमत हैं और तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

5. मैं/हम तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा सुझाए गए सुधार, परिवर्धन, परिवर्तन या उन्नयन करने का भी वचन देते हैं, जिसके न होने पर मैं/हम समझते हैं कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकता है।

6. मैं/हम हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर के संचालन के संबंध में तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए भी सहमत हूं, जिसके न होने पर मैं/हम समझते हैं कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकता है।

7. मैं/हम बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के किसी भी नामित अधिकारी द्वारा हैचरी या नुप्ली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर के निरीक्षण के लिए सहमत हूं/हैं।

8. मैं/हम निरीक्षण दल को उत्पादन रिकॉर्ड, प्रयोगशाला, विश्लेषण पत्रक आदि प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं और तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

9. मैं/हम किसानों को बीज के उत्पादन और आपूर्ति तथा हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर के संचालन और किसी भी रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में तटीय जलकृषि प्राधिकरण को कोई भी विवरणी जमा करने के लिए सहमत हैं जैसा कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

10. मैं/हम बीज की विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त स्थिति के संबंध में किसी भी स्थापन (स्व-प्रमाणन) से भेजे गए बीज की खेप के साथ एक गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भी सहमत हैं।

11. मैं/हम किसानों के साथ बीज की गुणवत्ता पर यदि कोई विवाद है तो उसे उचित विवेक से निपटाने के लिए भी सहमत हूं/हैं।

12. मैं/हम समय-समय पर तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार नियम 3 के खंड (क), (ख), (ग) और (च) में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों और पर्यावरणीय आवश्यकताओं का पालन करने के लिए भी सहमत हैं।

13. मैं/हम प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश/शर्तों का पालन करने के लिए भी सहमत हूं/हैं।

14. मैं/हम हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर में उपयोग किए जाने वाले इनपुट जैसे ब्रूडस्टॉक, नौपली, फ़ीड, रसायन, प्रोबायोटिक्स, दवाएं और फसल विवरण उत्पादन के लिए जैसे रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए भी सहमत हूं/हैं और जिस व्यक्ति को उपज बेची जाती है उसका नाम और पता हर चक्र के लिए बनाए रखा जाएगा और प्राधिकरण को रिपोर्ट किया जाएगा।।

15. मैं/हम नियम 3 के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ, रोगाणुरोधी अभिकर्ता या अन्य सामग्री का उपयोग नहीं करने के लिए भी सहमत हूं जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

16. मैं/हम हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के लिए सहमत हैं।

17. मैं/हम ऐसी प्रजातियों का कल्चर करने के लिए केवल तटीय जलकृषि प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत (तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने पर) और अनुमति प्राप्त (तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रति) किसानों को ही बीज बेचने के लिए सहमत हैं। ।

तारीख:

स्थान:

प्रारूप-3

[नियम 18 (4) और (9) देखें।]

जलकृषि आदानों/नवीकरण के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

I.आवेदक का विवरण	पासपोर्ट
1. आवेदक का नाम	साइज
2. आवेदक का पदनाम	फोटो
(क) प्रबंध निदेशक	
(ख) निदेशक	
(ग) अधिकृत व्यक्ति	
(प्राधिकार पत्र संलग्न करें)	
3. आवेदक का आईडी प्रूफ	
(क) आधार	
(ख) ड्राइविंग लाइसेंस	
(ग) मतदाता पहचान पत्र	
(घ) पासपोर्ट (च) रोर्ट अन्य (निर्दीय स्वय नॉन्स)	
(ङ) कोई अन्य (निर्दिष्ट पाठ बॉक्स)	
4. क्या अनुपालन के लिए नए अनुपालन/नवीकरण के लिए आवेदन करना है	
5. यदि नवीकरण अनुपालन के लिए आवेदन किया जाता है, तो विवरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें	
(क) तटीय जलकृषि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण संख्या	
(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
(ग) वैधता अवधि	_ से
	तक
ll. फर्म/कंपनी का विवरण	
1. रजिस्ट्रीकृत कंपनी/फर्म का नाम	
(क) व्यक्तिगत	
(ख) कार्पोरेट	
(क) अन्य	
2. संपर्क विवरण	
(क) मोबाइल नंबर	
(ख) ईमेल आईडी	
3. कंपनी/फर्म का पता	
4. संचार हेतु पता	
5. कंपनी/फर्म की श्रेणी	
(क) भारतीय स्वयं विनिर्माता	
(ख) भारतीय व्यापारी विनिर्माता	
	+
(ग) विदेशी उत्पाद के वितरक 6. क्या सरकार की अधिकृत अभिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत है	हाँ / नहीं

 मुन्स वर्षु और सन्प्रम उद्योग कर मुन्स वरुषु और सन्प्रम उद्योग ग) उद्योग आधार प) तिराम का प्रमाण पत्र प) तिराम के पास उत्पाद के लिए कांग्रे प्रमाणन है (स्वरं और व्यापारी तिमांग ग्रेगा (स) अल्धी वित्तिमांग प्रथा (ग) मानवीकरण के लिए कंतराष्ट्रीय संगठत (भ) मार्वायम दिमाग (ग) मारवीकरण के लिए कंतराष्ट्र विदि सांता के लिए (व) कोद्यि विद्येपण महत्वपूर्ण तिराव व्यापारी वित्तिमांता के लिए (क) मारतीय स्व निर्मावा/ भारतीय व्यापारी वित्तिमांता के लिए (क) मारतीय स्व निर्मावा/ भारतीय व्यापारी वित्तिमांता के लिए (क) मारतीय स्व निर्मावा/ भारतीय व्यापारी वित्तिमांता के लिए (क) मारतीय स्व निर्मावा/ भारतीय व्यापारी वित्तिमांता के लिए (क) विदेशी विद्या के प्रता व्यापारी वित्तिमांता के लिए (त) विदेशी के प्रति स्वरत के लिए (त) विदेशी वेयति/फर्म का नाम (ख) विदेशी विर्माता के पता (ग) विदेश वित्तिक के लिए (त) विदेशी विर्माता के बीच समझीता (त) विदेशी विविमांता के बीच समझीता (त) विदेशी विविमांता के बीच समझीता (त) विदेशी विविमांता के बीच समझीता (त) तही (त) व्याद को विदय के प्रत्योगवशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को दिकर (व) त्रावक सिकर (व) त्रावक के प्रिय प्रियाशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को दे कोई दी) 3. उत्पाद को दे कोई प्रोगशालाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद की के प्रिय (व) त्रित नेवक (व) क्रिय नेवक (व) क्रीत न्वक (व) क्रीत निव्रक (व) क्रीत कि (व) क्रित निव्रक (व) त्रित निव्रक (व) व्रात निव्रक (व) व्रात निव्रक (व) व्रात न		
 ग) उप्रोप्त आधार ग) तप्तमन का प्रमाण एक ग) तंग्री- अन्य 7. कया भर्म्न के पास उत्पाद के लिए कोई प्रमाणन है र क्या भर्म्न के पास उत्पाद के लिए कोई प्रमाणन है र क्या भर्म्न के पास उत्पाद के लिए कोई प्रमाणन है र क्या भर्म्न के पास उत्पाद के लिए कोई प्रमाणन है र क्या भर्म्न के पास उत्पाद के लिए कोई प्रमाणन है र क्या भर्म्न के पास उत्पाद के लिए काई प्रमाणन है र क्या मा विभाग श) अच्छी विनिर्माण प्रथा (ग) मानवीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंगठन (श) अच्छी विनिर्माण प्रथा (ग) मानवीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंगठन (श) अच्छी विनिर्माण विद् (श) कोई अन्य 8. पारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (श) पारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृण्या विनिर्माण (कंगनी/फर्म के साथ नमझते की प्रति प्रस्तु करें) 9. विदेशी कर्माराज्य कामम (श) विदेशी विनिर्माता है, तो कृण्या विनिर्माण (कंगनी/फर्म के साथ नमझते की प्रति प्रस्तु करें) 9. विदेशी कर्माराज्य कामम (श) विदेशी विनिर्माता है, तो कृण्या विनिर्माण (कंगनी/फर्म के साथ नमझते की प्रति प्रस्तु करें) 9. विदेशी वर्भाग्रिक के काण्य (श) विदेशी विनिर्माता है, तो कृण्या विनिर्माण (कंगनी/फर्म के साथ नमझते की प्रति प्रस्तु करें) 9. विदेशी वर्भाग्रिक के ताम (श) विदेशी विनिर्माता के नाम (श) विदेशी विनिर्माता के नाम (श) विदेशी विनिर्माता के वाच समझौता हों / नहीं (श) विदेश विनिर्मा का पाव / पशु चिकिस्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य प्रंटीवायोटिक पुक्त प्रमाण पत्र 1. उत्पाद का नाम (देवळ और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद का ना स (देवळ और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को ना मा (देवळ और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 3. उत्पाद को ना (देवळ और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 3. उत्पाद का ना सा (देवळ और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 3. उत्पाद का ना स (देवळ और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 3. उत्पाद का ना स (देवळ और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 3. उत्पाद	क) वस्तु एवं सेवा कर	
भ / नियमन का प्रमाण पत्र 9) पंत्रीकरण का प्रमाण पत्र 37) क्या फर्म/कॉनी के पास उत्पाद के लिए कोई प्रमाणन है (स्वरं औत ज्यापति निर्माता दोनों के लिए लागू) 37 क्या फर्म/कॉनी के पास उत्पाद के लिए कोई प्रमाणन है (स्वरं औत ज्यापति निर्मात दोनों के लिए लागू) 37 क्या फर्म/कॉनी के पास उत्पाद के लिए लागू) 37 क्या कर्म/कॉली के पास उत्पाद के लिए लागू) 38 कड्यी विनिर्माण प्रथा (श) सर्वों नम विश्वेषण महत्वपूर्ण नियंवण विंदु (श) सर्वों नम विश्वेषण महत्वपूर्ण नियंवण विंदु (श) सर्वों कर लिए अंतर्राष्ठीय मंगटन (श) सर्वों नम विश्वेषण महत्वपूर्ण नियंवण विंदु (श) सर्वों कर विषय अंतर्राष्ठीय मंगटन (श) सर्वों कर विषय कर निर्माता भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) भारतीय स्व निर्माता भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ समझीने की प्रति प्रस्तुन करें) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (श) विदेशी केपनी/फर्म का लाम (ख) विदेशी केपनी/फर्म का लाम (ख) विदेशी किपनिथर्म का नाम (ख) विदेशी किपनिश्व किप (ग) आवेदक क्यां प्रधायात्राला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद की दास (खेल और प्रयोगआला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद की को दा विद कोई हो) 3. उत्पाद की का (विद कोई हो) 3. उत्पाद की का (विद कोई हो) 3. उत्पाद की का (वाद को प्र रायोगआला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद की वित्र निक (ख)प्रीय न्यकक (ड)प्रम्यानेक (ड)प्रम्या जेकक (ड)प्रम्या नेकक (ड)प्रम्यानेकक (ड)प्रम्या नेकक (ड)प्रम्यानेकक (ड)प्रम्या नेकक (ड)प्रम्या नेकक (ड)प्रम्या नेकक (ड)प्रम्या नेकक (ख)प्रम्या नेकक	ख) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग	
 पंजीकरण का प्रमाण पत्र ग) कोई अन्य 7. कया फर्म्मलंगती के पास उत्पाद के लिए कोई प्रमाणन है (त्वरं और व्यापारी निर्मादा दोनों के लिए लागू) पदि हां, तो निमलिखित दरतावेजों में से कोई एक संलग्न करें (स) कारवारा विवाग (ख) अच्छी विनिर्माण प्रथा (ग) मानवीकरण के लिए अंतरीष्ट्रीय संगठन (श) नवर्षी स्वीमण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (ख) जोवदी विद्येण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (ख) कोई अन्य 8. भारतीय स्व निर्माता / भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (७) भारतीय स्व निर्माता / भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (७) भारतीय स्व निर्माता / भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (७) भारतीय स्व निर्माता / भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (७) भारतीय स्व निर्माता है, तो कृपया विनिर्मात के नाम (ख) वित्रिर्माण इत्य के लिए (के पत्नी/प्रभ के ताम (क) विदेशी उत्पाद के लिए (क) विदेशी वर्तमांत के तीप (क) विदेशी उत्पाद के लिए (क) विदेशी वर्तमांत के चीच समझौता (क) विदेशी के प्रयत्न के लिए (क) विदेशी वर्तमांत के पत्ता (ग) आवेदक और वित्रेगति के बीच समझौता (त) विदेशी वर्तमांत के पता (त) वित्रेगति के पता (त) वित्रि के स्वाप पत्र (त) विदेशी वर्तमांता के चीच समझौता (त) विदेशी वर्तमांत के पता (ग) आवेदक और वित्रेग प्रि प्रयाण पत्र / पशु चिहित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंदीवारोदिक मुक्त प्रता प्राण पत्र / पशु चिहित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंदीवारोदिक मुक्त प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को बिदर पत्र वित्र हो हो) 3. उत्पाद का वित्र (वे कोई हो) 3. उत्पाद का वित्र (वर्त के दे साग) 2. उत्पाद को श्रे श्रे योगश्र ला वित्त हि लिए (ग)सिंड नावर्व (व)रिव दे के के श्रे श्रे हो) 3. उत्पाद का वित्र (वर्त के ई हो) 3. उत्पाद को वित्र कि (त्रिक (त्रे के सान)) 2. उत्पाद को वित्र वित्र (त्रे के सान) 2. उत्पाद को वित्र वित्र (वर्त के दे हो) 3. उत्पाद की वित्र (वर्त के लिए) (ग)सिंड नावर्क (ग) उद्योग आधार	
ग) कोई अन्य 7. क्या फर्म/कंपनी के पास उत्पाद के लिए कोई प्रमाणव है हाँ / नहीं (स्वयं और व्यापारी निर्माता देनों के लिए लागू) घरे हां, तो निम्नलिवित दरतावेजों में से कोई एक संलग्न करें हाँ / नहीं (ख) अच्छी विनिर्माण प्रथा (१) मात्मकिरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन हाँ / नहीं (१) मात्मकिरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (१) मात्मकिरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (१) मात्मकिरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (१) मार्व प्रवास एक्सकच्चर प्रथाएँ (१) कोई अन्य 8 (१) कोई वर्ग्य 8. भारतीय स्व निर्माता / भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (१) कोई वर्ग्य (१) कोई वर्ग्य 9. विरिमीण इलाई का पता (१) प्रवि सर्व निर्माता के लिए (१) कोई त्या दे निर्माता व्यापारी विनिर्माता के, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ समझौत के प्री प्रयत्व करे) 9. विरेशी उत्याद के विराद के लिए (१) विरेशी कंपनी/फर्म का नाम (१) विरेशी कंपनी/फर्म का नाम (१) विरेशी निर्माता का पता (१) विरेशी निर्माता का पता (१) विरेशी निर्माता का रा होगा) हाँ / नहीं (१) नहीं (१) विरेश को दि का रा होगा) हाँ / नहीं (१) नहीं (१) विरेद को दि का प्रया (२) नहीं (२) नहीं (१) विरेद को दि को प्रया (२) नहीं (२) नहीं (१) विरेद को दि का प्रया (२) नहीं	घ) निगमन का प्रमाण पत्र	
. स्या फर्म/कंपनी के पाय उत्पाद के लिए कोई प्रमाणन है (स्वयं और व्यापारी निर्माता दोनों के लिए लागू) परि हां, तो निम्नलिकित दस्तावेजों में से कोई एक गंलप्र करें (क) कारदाना विभाग (ख) अच्छी विनिर्माण प्रथा (क) आच्छी विनिर्माण प्रथा (क) भारतीवम विक्षेपण महत्वपूर्ण नियंत्रण विंदु (क) भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता का नाम (क) विनिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदक धारतीय प्रयापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ ममज्ञीने की प्रति यस्तुन करे) 9. विदेशी करपाद क वितरक के लिए (क) विदेशी करपाद के वितरक के लिए (क) विदेशी विनिर्माता है तो कृपया विनिर्माला है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ ममज्ञीने की प्रति यस्तुन करे) 9. विदेशी करपाद के वितरक के लिए (क) विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (व) विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता हॉ / नहीं (सहायक दस्तावेन्न संसम्र करना होगा) हॉ / नहीं (श) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / खब्द्र्या प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एरदेवायोटिक सुक्त प्रयागशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद की विवरण 1. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद को कि (वरिक्ते ही) 3. उत्पाद की देशी (व) प्रेतीड -वयस्क (इ) रामायनिक (द))इम्यूनो उत्तोकक (इ) इम्यूनी जोजक (इ) इम्यूनी जोजक ((व) व्रेवा (व) व्रेवेज क्या	ङ) पंजीकरण का प्रमाण पत्र	
(स्वयं और व्यापारी निर्माता रोनों के लिए लागू) परि हां, तो निम्नलिखित रस्तावेजों में से कोई एक संलग्न करें (क) काररवाना विभाग (व) अच्छेरी विनिर्माण प्रथा (ग) मानकीकरण के लिए अंतर्गट्रीय संगठन (अ) सर्वोतम एकारूलचर प्रणारे (इ) जोविम विद्येयण महत्वपूर्ण नियंत्रण विंदु (च) कोई अन्य 8. भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) मारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता का नाम (a) विनिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदस आरतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) विंदेगी रात दे स्वुत करें) 9. विदेशी उत्पाद के विराक के लिए (क) विदेशी त्रमत्ता कर नाम (व) विदेशी निर्माता का पता (व) विदेशी विनर्माता के दीव समझौता (व) विदेशी विनर्माता क वाम (व) विदेशी विनर्माता के दीव समझौता (व) विदेशी विनर्माता के दीव समझौता (व) विदेशी विनर्माता के दीव समझौता (व) विदेशी विनिर्माता के दीव समझौता (व) विदेशी विनर्माता क दीवा स्वा (व) विदेशी विनर्माता क दीव समझौता (व) विदेशी विनर्माता क दीवा समझौता (व) विदेशी विनर्माता क दीव समझौता (व) विदेशी विनर्माता क दीं / नहीं (व) स्वरस्थ प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्ला प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक पुत्त रक्षक और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समाल) 2. उत्पाद का विदरण 1. उत्पाद का विदरण 3. उत्पाद को वेपगि (क)प्रीव रोवक ((क्र)प्रीवायोटिक (व)प्रीवायोटिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोटिक (व)प्रीवायोटिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीव कि (व)प्राव (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवक ((व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रीवायोदिक (व)प्रवाय (व)प्रीवायोदिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक (व)प्रवायायिक	च) कोई अन्य	
यदि हां, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न करें (क) कारखाना दिभाग (श) अच्छी चिनिर्माण प्रथा (श) गर्वांतम एक्वारूप प्रथाएं (इ) जोबिस विश्वेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (च) जोदे विक्रियेण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (च) जोदे दिश्विपण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (च) जोदे दिश्विपण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (च) जोदे दिश्विपण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (च) कोदे दिर्माण दर्खा क्यांगरी विनिर्माता के लाग (श) वितिर्माण इकाई का पता (ग)यदि बावेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता के नाम (क) वितिर्माण दर्खा के पता व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ ममझौते की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी जिपती/फर्म का नाम (ख) विदेशी विनर्माता के लिए (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के वीच समझौता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के वीच समझौता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के वीच समझौता (ग) अवेदक और विदेशी विनिर्माता के वीच समझौता (ग) अवेदक और विदेशी विनिर्माता के वीच समझौता (ग) अवेदक और विदेशी विनिर्माता के वीच समझौता (ग) कादेत्रक दस्तावेज्र संलग्न करना होगा) हों / नहीं (पहायक दस्तावेज्र संलग्न करना होगा) हों / नहीं (घ) स्वाराद का नाम (लेख और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद का विदरण 1. उत्पाद का विदरण (श) प्रीता टेक (ग) प्रीत - वार्वा (भ) प्रीत - वार्वा (भ) प्रीत - वयरक (इ) प्रसागयिक (इ) इस्यूग उत्पेजक (इ) इस्यायकि (इ) इस्यूग उत्पेजक (इ) इस्यायकि	7.क्या फर्म/कंपनी के पास उत्पाद के लिए कोई प्रमाणन है	हाँ / नहीं
 (क) कारखाना विभाग (ख) अच्छी विनिर्माण प्रथा (ग) मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (ध) सर्वोत्तम एक्काकर्ल्य प्रथाएँ (इ) जोबिम विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण चिँदु (क) कोई अन्य 8. भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता का नाम (ख) विनिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ ममझौते की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी कर्पती व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ ममझौते की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी त्रपति के विए (क) विदेशी त्रपति के विए (क) विदेशी त्रपति के वितरक के लिए (क) विदेशी त्रपति के वितरक के लिए (क) विदेशी विभीत्ता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (हाँ / नहीँ (सहायक दस्तावेन्न मंलय करता होगा) (दां स्वायक दसावेन प्र साण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य पर्टीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र 1. उत्पाद का विरण 1. उत्पाद का वि वरण 1. उत्पाद का दि देशी 3. उत्पाद को दि येंग्री भाग पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य पर्टीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र 1. उत्पाद का दि दश्च कोई हो) 3. उत्पाद का वि दर्ण (त्र) कोई त्योवक (ख)प्रीडा योवक (ख)प्रीडा योवक (ख)प्रीडा योवक (ख)प्रीडा- लावर्ग (भ)प्रीड - लावर्ग (भ)प्रीड - लावर्ग (भ)प्रीड - लावर्ग (भ)प्रीड - लावर्क (इ)रासायनिक (ख)इस्यू तो उत्तेजक (ख)डाय्ग्वा क्रि क्य (ख)इस्यू तो उत्तेजक (ख)डाय्ग्वा का (स्वल जीर प्रयो प्रा 	(स्वयं और व्यापारी निर्माता दोनों के लिए लागू)	
(ब) अच्छी विनिर्माण प्रथा (ग) मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (श) सर्वोत्तम एक्राकल्बर प्रथाएँ (श) सोंदीस स्व निर्माता/ मारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) मारतीय स्व निर्माता/ मारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) वित्रिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ ममझोते की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी त्रमांत का नाम (ख) विदेशी तर्मात का साम (ख) विदेशी तिर्माता के बीच ममझौता (क) विदेशी विर्माता के पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच ममझौता (क) विदेशी विर्माता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विर्माता के बीच ममझौता (क) विदेशी नर्माता के बीच ममझौता (क) विदेशी नर्माता के बीच ममझौता (क) विदेशी नर्माता के बीच ममझौता (क) विदेशी त्रमाण पत्र / स्वुच्छिता प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक सुक्त प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक सुक्त प्रमाण पत्र (क) उत्पाद का विरण (क) फ्रीड योकक (ब) प्रीयायोटिक (ग)फ्रीड- लार्बा (इ) एस्यात्री स्व (इ) इस्यूता उत्तेकक (इ) इस्यूता उत्तेकक (इ) इस्यूता उत्तेकक (इ) इस्यूता उत्तेकक (क्र) क्विज मित्रण	यदि हां, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न करें	
(ग) मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (घ) सर्वोत्तम एड्राकल्वर प्रथाएँ (इ) जोविम विक्षेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण विंदु (च) कोई अन्य 8. भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) विनिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ ममझौते की प्रति प्रस्तुत करे) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (क) विदेशी विनिर्माता के दाच समझौता (क) विदेशी विनिर्मा पत्र (क) वादव का नाम (लेवल और प्रयोगआला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद का नाम (लेवल और प्रयोगआला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद का वीवरण (क)फ़ीड योजक (ख)फ़ीटाणुनाथक (छ)इस्पूर्गा उत्तेजक (ज)दवा (क)खनिज मिथण	(क) कारखाना विभाग	
 (घ) मर्वोत्तम एक्राकल्पर प्रथाएँ (इ) जोखिम विश्वेषण महत्वपूर्ण निपंत्रण विंदु (च) कोई अन्य 8. भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) वादिर्माण इकाई का पता (ग) यदि सर्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता का नाम (ख) विनिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ ममझोते की प्रति प्रस्तुत करे) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी विगर्माता के दीच समझौता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ग) आवेदक कार नरा होगा) हाँ / नहीं (श) रवास्थ्य प्रमाण पत्र / सब्ख्यता प्रमाण पत्र / कोई अल्य एरंटीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र / पर्थु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अल्य एरंटीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र 1. उत्पाद का निवरण 1. उत्पाद का निवरण 1. उत्पाद का नाम (लेवल और प्रयोगधाला रिपोर्ट के ममान) 2. उत्पाद कोड (यदि कोई हो) 3. उत्पाद की थेणी (क)कीड न्यक (ध्रिक्रे निंग) 3. उत्पाद की थेणी (क)कीड - वयक (ध्रिक्र) (इ)इम्यूनो उत्तेजक (इ)इम्यूनो उत्तेजक (इ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)वत्ता 	(ख) अच्छी विनिर्माण प्रथा	
 (इ) जोखिम विद्वेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (च) कोई अन्य 8. भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के नाम (ख) विनिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृण्या विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ समझौते की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी निर्माता के वीच समझौता (ख) विदेशी विनिर्माता के पता (ख) वदिशी विनिर्माता के वीच समझौता (ख) विदेशी के प्रताप पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटी वारिक सुक्त प्रमाण पत्र (ख) स्वारा का विदरण 1. उत्पाद का विदरण 1. उत्पाद का विदरण 1. उत्पाद का विदरण 1. उत्पाद का विदरण 3. उत्पाद को थे प्रणी (क) कीड योचक (ख) प्रीवायोटिक (ख) कीड योचक (ख) प्रीवायोटिक (ख) प्रीवायोटिक (ख) प्रीवायोटिक (ख) प्रीवायिक (ख) प्रीतायोतिक (ख) प्रीत प्र कि (ख) प्रिता प्रक कि (ख) प्रिताया कि (ख) प्रिता प्रक कि (ख) प्रताय कि (ख) प्रताय कि (ख) प्रताय कि (ख) प्रता के प्रक्य कि (ख) प्रताय सिक (ख) प	(ग) मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन	
(च) कोई अन्य 8. भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क) भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता का नाम (b) वितिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ समझोते की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी निर्माता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (महायक रस्तावेज़ संलय करना होगा) (छ) रवादेकी प्रत्या का पत्र (प) आवेदक का दविदशी विनिर्माता के बीच समझौता (महायक रस्तावेज़ संलय करना होगा) (छ) रवास्व्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एरंतियारोटिक सुक्त प्रसाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य प्रांता वा नाम (लेवल और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को विदरणी 1. उत्पाद का नाम (लेवल और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को ह (यदि कोई हो) 3. उत्पाद को ह (यदि कोई हो) 3. उत्पाद को विदर्भ थेणी (क)फ़ीड योजक (ख)प्रोवायोटिक (ग)फ़ीड- वार्वा (श)फीड - वयसक (इ)रासायनिक (ए)इम्यू उत्तेजक (ज)दवा (आवत्ति मिश्रण		
8. भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए (क्ष) भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता का नाम (ख) विनिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ समझौते की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क्ष) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी निर्माता का पता (य) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (य) व्याव्यक दस्तावेज्ञ संलग्र करना होगा) (य) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक सुक्त प्रमाण पत्र 1. उत्पाद का नाम (लेवल और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद कोड (यदि कोई हो) 3. उत्पाद को बेणी (क)फ्रीड योजक (ख)प्रोवायोटिक (ग)फ्रीड - वयस्क (इ)रातायनिक (इ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (आ)खनिज मिथ्रणा	(ड) जोखिम विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु	
(क) भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता का नाम (ख) विनिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ ममझौत की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी निर्माता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ग) अवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ग) आवेदक क और प्रियोग प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र (ग) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र 1. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद का विवरण 2. उत्पाद को विवरण 3. उत्पाद को शे प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को दे कोई हो) 3. उत्पाद की शेणी (ख)प्रीवायोटिक (ग)फ्रीडि नावर्ग (ख)प्रीवायोटिक (ख)प्रीवा प्राकिक (ख)	(च) कोई अन्य	
(ख) विनिर्माण इकाई का पता (ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ समझौते की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी निर्माता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के वीच समझौता (ग) अविदेशी करना होगा) (ग) सवास्थ्य प्रमाण पत्र / त्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र (प) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक मुक्त प्रसाण पत्र 1. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद का विवरण 2. उत्पाद कोड (यदि कोई हो) 3. उत्पाद की येणी (क)फ़ीड गोजक (ख)फ़ीडा -वयस्क (अ)फ़ीड - वयस्क (अ)फीड - वयस्क (अ)फीड - वयस्क (अ)फीड - वयस्क (अ)फीड - वयस्क (अ)इरिया चत्तिक सिश्रण	8. भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता के लिए	
(ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ समझौते की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी निर्माता का पता (ण) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ख) विदेशी निर्माता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ख) विदेशी निर्माता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ख) विदेशी निर्माता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ख) विदेशी निर्माता का पता (ख) विदेशी निर्माता के पता (सहायक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा) (छ) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / रख्णु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक सुक्त प्रमाण पत्र 11. उत्पाद का निर्म (खब और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को विवरण 1. उत्पाद का नाम (लेबल और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को विवरण (क)फ़ीड योजक (ख)प्रीवायोटिक (ग)फ़ीड- लार्चा (अ)फ्रीड - वयसक (ङ)रादायनिक (७)फ़ीड - वयसक (७)फीड - वयसक (७)देवा (७)दवा (७)दवा <	(क) भारतीय स्व निर्माता/ भारतीय व्यापारी विनिर्माता का नाम	
 समझौते की प्रति प्रस्तुत करें) 9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी निर्माता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ग) अवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता (ग) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / रखच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र 1. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद को दिवरो विनिर्म ति रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को ड (यदि कोई हो) 3. उत्पाद की थेणी (ख)प्रोवायोटिक (ग)फ्रीड योजक (ख)प्रोवायोटिक (ग)फ्रीड -वार्वा (श)फ्रीड -वारक (ङ)रासायनिक (७)फ्रीटाणुनाशक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (ङ)खनिज मिश्रण 	(ख) विनिर्माण इकाई का पता	
9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए (क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी निर्माता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता हाँ / नहीं (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता हाँ / नहीं (सहायक दस्तावेज़ संलग्र करना होगा) हाँ / नहीं (घ) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य हाँ / नहीं (घ) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य हाँ / नहीं (घ) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / सवच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य हाँ / नहीं (घ) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / सवच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य हाँ / नहीं (घ) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / सवच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य हाँ / नहीं (घ) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हा / नहीं हा (घ) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / सवच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य हा . उत्पाद का नाम (लेबल और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद को हा (यदि कोई हो) 3. उत्पाद की श्रेणी . उतपाद को श्रेणी (क) फ्रीडा योजक (ख) प्रीवायोटिक (ग) फ्रीडा - वयस्क (इ) रासायनिक (ख) इत्या (ख) कि (ख) प्रभा (ख) इत्या (ख) स्वास्थण (ख) खिल प्रभण (ख) खीन जिल मिश्रण	(ग)यदि आवेदक भारतीय व्यापारी विनिर्माता है, तो कृपया विनिर्माण (कंपनी/फर्म के साथ	
(क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम (ख) विदेशी निर्माता का पता (ख) विदेशी निर्माता का पता (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता हाँ / नहीं (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता हाँ / नहीं (सहायक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा) हाँ / नहीं (१) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य III. उत्पाद का विवरण	समझौते की प्रति प्रस्तुत करें)	
(ख) विदेशी निर्माता का पता हाँ / नहीं (ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता हाँ / नहीं (सहायक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा) हाँ / नहीं (ष) स्वास्थ्य प्रमाण पत / स्वच्छता प्रमाण पत / पशु चिकित्सा प्रमाण पत / कोई अन्य हाँ / नहीं (ध) स्वास्थ्य प्रमाण पत / स्वच्छता प्रमाण पत / पशु चिकित्सा प्रमाण पत / कोई अन्य हाँ / नहीं (ध) स्वास्थ्य प्रमाण पत / स्वच्छता प्रमाण पत / पशु चिकित्सा प्रमाण पत / कोई अन्य हाँ / नहीं (ध) रत्याद का विवरण 1. 1. उत्पाद का विवरण 1. 2. उत्पाद कोड (यदि कोई हो) 3. 3. उत्पाद कोई योजक (ख)प्रोबायोटिक (ख)प्रीबायोटिक (ख)प्रीबायोटिक (ख)प्रीड योजक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ख)इम्यूनो उत्तेजक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ख)व्रवा (ख)व्रवग (ख)व्रवग (छ)इम्यूनो उत्तेजक	9. विदेशी उत्पाद के वितरक के लिए	
(ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता हाँ / नहीं (सहायक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा) हाँ / नहीं (ष) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य हाँ / नहीं (ष) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य हाँ / नहीं (ष) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य हाँ / नहीं (ष) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र 1. 1. उत्पाद का विवरण 2. उत्पाद को बामा (लेवल और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. 3. उत्पाद को देवो कोई हो) 3. 3. उत्पाद की श्रेणी (क)फ़ीड योजक (ख)फ़ीड योजक (ख)फ़ीडा टोजक (ख)फ़ीडा - वार्वा (श)फ़ीड - वार्वा (श)फ़ीड - वरार (ज)तिटाणुनाशक (छ)इम्पूनो उत्तेजक (ज)दवा (ख)खनिज मिश्रण (ज)वत्ता	(क) विदेशी कंपनी/फर्म का नाम	
(सहायक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा) हाँ / नहीं (भ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीवायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र ॥।. उत्पाद का विवरण 1 1. उत्पाद का विवरण 1 2. उत्पाद को विराण 1 3. उत्पाद को इ (यदि कोई हो) 3 3. उत्पाद की श्रेणी (क)फ़ीड योजक (ख)प्रोबायोटिक (ग)फ़ीड- लार्वा (ख)फ़ीड - वयसक (इ)रासायनिक (इ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (ज)दवा (त)दवा (ज)व्रिवा (ज)व्रवा (ज)व्रवा (ज)व्रीन मिश्रण	(ख) विदेशी निर्माता का पता	
 (घ) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य एंटीबायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र III. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद का विवरण 2. उत्पाद कोड (यदि कोई हो) 3. उत्पाद की श्रेणी (क)फ्रीड योजक (ख)प्रोबायोटिक (ग)फ्रीड-लार्वा (घ)फ्रीड -वयस्क (ङ)रासायनिक (ख)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (ङ)खनिज मिश्रण 	(ग) आवेदक और विदेशी विनिर्माता के बीच समझौता	हाँ / नहीं
 एंटीबायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र III. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद का नाम (लेबल और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद कोड (यदि कोई हो) 3. उत्पाद की श्रेणी (क)फ़्रीड योजक (क)फ़्रीड योजक (ख)प्रोबायोटिक (ग)फ़्रीड- लार्वा (घ)फ़्रीड -वयस्क (ङ)रासायनिक (इ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (इ)खनिज मिश्रण 	(सहायक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा)	हाँ / नहीं
III. उत्पाद का विवरण 1. उत्पाद का नाम (लेबल और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद कोड (यदि कोई हो) 3. उत्पाद की श्रेणी (क)फ़ीड योजक (ख)प्रोबायोटिक (ग)फ़ीड- लार्वा (घ)फ़ीड - वयस्क (ङ)रासायनिक (ख)इम्यूनो उत्तेजक (ज)इवा (झ)खनिज मिश्रण	(घ) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / स्वच्छता प्रमाण पत्र / पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र / कोई अन्य	
1. उत्पाद का नाम (लेबल और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान) 2. उत्पाद कोड (यदि कोई हो) 3. उत्पाद की श्रेणी (क)फ़ीड योजक (ख)प्रोबायोटिक (ग)फ़ीड- लार्वा (घ)फ़ीड - वयस्क (इ)रासायनिक (च)कीटाणुनाशक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	एंटीबायोटिक मुक्त प्रमाण पत्र	
2. उत्पाद कोड (यदि कोई हो) 3. उत्पाद की श्रेणी (क)फ़ीड योजक (ख)प्रोबायोटिक (ग)फ़ीड- लार्वा (घ)फ़ीड - वयस्क (ङ)रासायनिक (च)कीटाणुनाशक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	III. उत्पाद का विवरण	
3. उत्पाद की श्रेणी (क)फ़ीड योजक (ख)प्रोबायोटिक (ग)फ़ीड- लार्वा (घ)फ़ीड -वयस्क (ङ)रासायनिक (ङ)रासायनिक (ख)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	1. उत्पाद का नाम (लेबल और प्रयोगशाला रिपोर्ट के समान)	
(क)फ़ीड योजक (ख)प्रोबायोटिक (ग)फ़ीड- लार्वा (घ)फ़ीड -वयस्क (इ)रासायनिक (ङ)रासायनिक (इ)कीटाणुनाशक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	2. उत्पाद कोड (यदि कोई हो)	
(ख)प्रोबायोटिक (ग)फ़ीड- लार्वा (घ)फ़ीड -वयस्क (घ)फ़ीड -वयस्क (ड)रासायनिक (च)कीटाणुनाशक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	3. उत्पाद की श्रेणी	
(ग)फ़ीड- लार्वा (घ)फ़ीड -वयस्क (ड)रासायनिक (च)कीटाणुनाशक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	(क)फ़ीड योजक	
(घ)फ़ीड -वयस्क (ङ)रासायनिक (च)कीटाणुनाशक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	(ख)प्रोबायोटिक	
(ङ)रासायनिक (च)कीटाणुनाशक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	(ग)फ़ीड- लार्वा	
(च)कीटाणुनाशक (छ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	(घ)फ़ीड -वयस्क	
(छ)इम्यूनो उत्तेजक (ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	(ङ)रासायनिक	
(ज)दवा (झ)खनिज मिश्रण	(च)कीटाणुनाशक	
(झ)खनिज मिश्रण	(छ)इम्यूनो उत्तेजक	
	(ज)दवा	
(ञ)अन्य (विवरण)	(झ)खनिज मिश्रण	
	(ञ)अन्य (विवरण)	

4.उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया	
(क) क्या गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध है	हाँ / नहीं
(ख)यदि हां, तो इन-हाउस प्रयोगशाला सुविधाएं मौजूद हैं?	
(i) पानी और मिट्टी का विश्लेषण	
(ii) सूक्ष्मजीवविज्ञान	
(iii)फ़ीड विश्लेषण	
(iv) एंज़ायेम लिंक्ड इम्म्योनों एबसोरबेंट एस्से	
(v) पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन / ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन	
(vi) तरल क्रोमैटोग्राफिक मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक	
(vii) गैस क्रोमैटोग्राफी / मास स्पेक्ट्रोमेट्री (viii) अन्य	
(ग) आउटसोर्स परीक्षण प्रयोगशाला (परीक्षण किए गए मापदंडों की पाठ बॉक्स-सूची)	
(i) पानी और मिट्टी का विश्लेषण	
(ii) सूक्ष्मजीवविज्ञान	
(iii)फ़ीड विश्लेषण	
(iv) एंज़ायेम लिंक्ड इम्म्योनों एबसोरबेंट एस्से	
(v) पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन / ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन	
(vi) तरल क्रोमैटोग्राफिक मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक	
(vii) गैस क्रोमैटोग्राफी / मास स्पेक्ट्रोमेट्री (viii) अन्य	
IV. उत्पाद की एंटीबायोटिक - मुक्त स्थिति का विवरण	
 उस प्रयोगशाला का नाम जहां नमूने का विश्लेषण किया गया 	
2. प्रयोगशाला का पता	
3. प्रयोगशाला की मान्यता	
क) राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड	
ख) निर्यात निरीक्षण परिषद	
ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	
घ) अन्य सरकारी प्रयोगशाला	
4. एंटीबायोटिक अवशेषों के विश्लेषण की तारीख	
 एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए नमूना विश्लेषण का परिणाम। 	
6. विश्लेषण विधि	
(क)एलसी-एमएस- एमएस	
(ख)कोई अन्य	
7. छेड़छाड़ मुक्त तंत्र	हाँ / नहीं

<u>घोषणा</u>

मैं/हम ______(पुत्र/पुत्री/पत्नी ______िनिवासी ______घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और

विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं/हम यह पूरी तरह से जानते हैं यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी झूठी है या उन शर्तों में किसी प्रकार का विचलन/उल्लंघन है, जिन पर प्राधिकरण द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किया जाना है, तो तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन दंडात्मक उपबंधों के अनुसार जुर्माना लगाने के अतिरिक्त जारी अनुपालन प्रमाणपत्र या तो निलंबित कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा।

प्रारूप-IV

[नियम 12(1)(क) देखें]

नियम 9 के उप-नियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट तटीय जल कृषि यूनिट या क्रियाकलाप के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रीकरण सं. रजिस्ट्रीकरण की तारीख:

श्री /श्रीमति /सुश्रीकी **तटीय जलकृषि यूनिट** का तटीय जलकृषि प्राधिकरण की संख्यातारीख.....द्वारा रजिस्ट्रीकरण किया जाता है।

रजिस्ट्रीकृत तटीय जल कृषि यूनिट और अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

1. तटीय जल कृषि का प्रकार:

(फार्म: नर्सरी; समुद्री शैवाल कल्चर; पेन कल्चर; राफ्ट कल्चर; केज कल्चर; रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम; जैव-बायोफ्लोक सिस्टम)

2. तटीय जल कृषि यूनिट का स्वामित्व अधिकार:

(फ्रीहोल्ड/लीज/सरकार द्वारा सौंपी गई/आवंटित भूमि)

3. सरकार द्वारा सौंपे गए/आवंटित की वैधता:

4.तटीय जल कृषि यूनिट का स्थान:

राज्य	जिला	तालुक/मंडल	राजस्व ग्राम
राज्य	ाजला	त।लुक/मडल	राजस्व ग्राम

5.सर्वेक्षण संख्या

6. फार्म का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

- क) कुल कृषि क्षेत्र:
- ख) जल प्रसार क्षेत्र:

7. कल्चर की जाने वाली प्रजातियां:

8. स्टॉकिंग घनत्व (प्रति वर्गमीटर /घनमीटर):

9. वर्ष में की फसल(लों) संख्या:

10.रजिस्ट्रीकरण की वैधता अवधि: _____ से _____ तक

स्थान:

प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(प्राधिकरण की मुहर)

तारीख :

तटीय जल कृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें

1. रजिस्ट्रीकरण का यह प्रमाण पत्र तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 और उसके अधीन विरचित किये गए नियमों, विनियमों के उपबंधों और दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए अनुदत्त किया जाता है।

2. रजिस्ट्रीकरण का यह प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा फ्रीहोल्ड या अपनी भूमि के मामले में वैधता की शेष अवधि के लिए खेत के विधिक उत्तराधिकारी या अंतरिती को हस्तांतरणीय है।

3. लेआउट, डिजाइन, क्षेत्र और स्टॉर्किंग घनत्व या अन्य मामले में किसी भी परिवर्तन के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन होगा।

4. पर्यावरणीय अपेक्षाएं समय-समय पर तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुरूप होंगी। 5. तटीय जल कृषि फार्म का स्वामी भी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य निर्देशों/शर्तों का पालन करेगा।

6. खेत में उपयोग किए जाने वाले इनपुट का अभिलेख जैसे बीज, चारा, रसायन, प्रोबायोटिक्स, दवाएं और फसल उत्पादन विवरण और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे उपज बेची जाती है, प्रत्येक फसल के लिए बनाए रखा जाएगा और प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

7. औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ, रोगाणुरोधी एजेंट या अन्य सामग्री, जो नियम 18 में यथा

विनिर्दिष्ट और नियम 3 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों में मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, का उपयोग खेती में नहीं किया जाएगा।

प्रारूप-V

[नियम 12(1)(ख) देखें]

नियम 9 के उप-नियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट तटीय जलकृषि यूनिट या गतिविधि के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रीकरण सं	जारी करने की तारीख:	तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने प	गाँच वित्तीय वर्षों की अवधि के
लिये रजिस्ट्रीकरण संतार	रीखदाराद्वारा	(हैचरी	ो या नौपली रियरिंग हैचरी या
लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्ट	टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रि	।डिंग सेंटर का (नाम)	को रजिस्ट्रीकृत किया है ।

रजिस्ट्रीकृत और अनुमत प्रजातियों के तटीय जल हैचरी के ब्यौरे

1. सुविधा का प्रकार:

(हैचरी या नौपली रियर्रिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर)

2. अनुमत प्रजातियां:

(बीज उत्पादन/मूल पश्च लार्वा/ब्रूडस्टॉक)

3. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर का स्थान

4. विशिष्ट रोगजनक मुक्त पेरेंट पोस्ट लार्वा या ब्रूडस्टॉक के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता/विशिष्ट रोगजनक मुक्त सुविधा का विवरण

(क) विदेशी आपूर्तिकर्ता/विशिष्ट रोगजनक मुक्त सुविधा का नाम: _____

(ख) विदेशी आपूर्तिकर्ता/विशिष्ट रोगजनक मुक्त सुविधा का पता: _____

राज्य	जिला	तालुक/मंडल	राजस्व ग्राम
राज्य	।जल।	ପା୍ପ୍ର/୍ୟାତ୍ ୯	राजस्व ग्राम

5. सर्वेक्षण संख्या

6. क्षमता विवरण (जल धारण क्षमता वाले टैंकों की संख्या)

(क) परिपक्वता अनुभाग:_____ टैंकों की संख्या _____ मीट्रिक टन

- (ख) लार्वा अनुभाग: _____ टैंकों की संख्या _____ मीट्रिक टन
- (ग) लाइफ फीड सेक्शन: _____ टैंकों की संख्या _____ मीट्रिक टन
- (घ) अपशिष्ट उपचार प्रणाली: _____ टैंकों की संख्या _____ मीट्रिक टन
- 7. रजिस्ट्रीकरण की वैधता अवधि: _____ से _____ तक

प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख : _____

स्थान: _____

(प्राधिकरण की मुहर)

हैचरी, नौपली रियर्रिंग हैचरी, लाइफ फीड यूनिट, ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर और न्यूक्लियस ब्रिर्डिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए नियम और शर्तें

1. रजिस्ट्रीकरण का यह प्रमाण पत्र तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए किये गए नियमों, विनियमों के उपबंधों और दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए अनुदत्त किया जाता है।

2. रजिस्ट्रीकरण का यह प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा फ्रीहोल्ड या अपनी भूमि के मामले में वैधता की शेष अवधि के लिए खेत के विधिक उत्तराधिकारी या अंतरिती को हस्तांतरणीय है।

3. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर नियम 3 के खंड (ख), (ग) ,(घ) और (च) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक जैव सुरक्षा सुविधाओं की स्थापना / रखरखाव करेंगे।

4. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर का प्रबंधन एक योग्य प्रबंधक/तकनीशियन द्वारा किया जाएगा, जो हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर का अधिकृत प्रतिनिधि है और हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर के अधिकृत प्रतिनिधि है और हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट वा ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर में सभी उचित समय पर विशेष रूप से तटीय जल कृषि प्राधिकरण की निरीक्षण टीम द्वारा निरीक्षण के समय उपलब्ध होगा।

5. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर के अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के समय सभी प्रकार से तटीय जल कृषि प्राधिकरण की निरीक्षण टीम के साथ सहयोग करेंगे।

6. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर के अधिकृत प्रतिनिधि को निरीक्षण के समय तटीय जल कृषि प्राधिकरण की निरीक्षण टीम द्वारा अपेक्षित विवरण और/या कोई अन्य जानकारी देने के लिये सशक्त होगा और इस प्रकार दिए गए बयान को हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर स्वामी द्वारा दिया गया समझा जाएगा।

7. निरीक्षण टीम को विवरण और/या कोई अन्य विवरण देने के लिए हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर के अधिकृत प्रतिनिधि को अस्वीकार करने से हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर को इस रजिस्ट्रीकरण/वार्षिक आवंटन आदेश के अधीन दिए गए विशेषाधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

8. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिर्डिंग सेंटर हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिर्डिंग सेंटर के कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों या अन्य यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिर्डिंग सेंटर के कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों या अन्य यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिर्डिंग सेंटर के कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों या अन्य यूनिट या अधिकारियों को अनुमति नहीं देंगे। और तटीय जल कृषि प्राधिकरण के निरीक्षण दल के पास विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये बिना तटीय जल कृषि प्राधिकरण की लिखित अनुमति या प्राधिकार के जिसके लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, हैचरी या नौपली रियर्रिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर वा न्यूक्लियस ब्रिर्डिंग सेंटर वा न्यूक्लियस ब्रिर्डिंग सेंटर वा क्रिके लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, हैचरी या नौपली रियर्रिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडक प्रांच क्र फिर यो न्यूक्लियस ब्रिर्डिंग सेंटर तक पहुंच होगी।

9. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर प्रचालक तटीय जल कृषि प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में इंगित किये गये के अलावा ,कोई परिवर्तन या परिवर्धन या उन्नयन और सुधार नहीं करेगा और हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर की सुविधाओं का उपयोग नहीं करेगा, और तटीय जल कृषि प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना इस तरह के किसी भी परिवर्तन या उन्नयन और सुधार या इसके उपयोग से हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी लिए उत्तरदायी होगा।

10. हैचरी सुसंगत वर्ष के वार्षिक आवंटन आदेश में आवंटित मात्रा से अधिक ब्रूडस्टॉक का स्टॉक नहीं करेगी।

11. आयातित या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर से खरीदे गए ब्रूडस्टॉक को तटीय जल कृषि प्राधिकरण को सूचित करते हुए आयात या खरीद की तारीख से छह महीने पूरे होने पर समाप्त कर दिया जाएगा और छह महीने से अधिक ब्रूडस्टॉक को बनाए रखने को तटीय जल कृषि प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का प्रमुख उल्लंघन समझा जाएगा।

12. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर, ब्रूडस्टॉक की संख्या, स्पॉर्निंग की संख्या, उत्पादित बीज की संख्या, फीड जैसे इनपुट, प्रोबायोटिक्स और बीमारी की घटना से संबंधित अभिलेख, इनटेक और एफ्लुएंट डिस्चार्ज के लिए पानी की गुणवत्ता पैरामीटर, बिक्री के अभिलेख, तटीय जल कृषि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण संख्या, उन किसानों का पता जिन्हें बेचा गया, मृत्यु दर, शव निपटान या तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य अभिलेख बनाए रखेंगे और नियम 3 के खंड (ख), (ग) और (च) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाने वाली उनकी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट में इन्हें रिपोर्ट करेंगे। 13. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर ताजा पानी के खेतों के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण या राज्य सरकार के साथ रजिस्ट्रीकृत खेतों को केवल प्रमाणित विशिष्ट रोगजनक मुक्त बीज बेचेंगे।

14. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर नियम 18 में विनिर्दिष्ट और नियम 3 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी निषिद्ध एंटीबायोटिक्स या फार्माकोलॉजिकल रूप से सक्रिय पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा।

15. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर से उत्सर्जित किया गया अपशिष्ट जल नियम 3 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अंतिम उत्सर्जन बिंदुओं के लिए मानकों के अनुरूप होगा।

16. हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर जल कृषि के स्थायी और उत्तरदाई विकास के प्रयोजन से तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों के उपबंधों और दिशानिर्देशों के साथ-साथ किन्ही भी अतिरिक्त शर्तों और समय-समय पर निर्धारित रक्षा उपायों का पालन करेगा।

17. उपरोक्त निबंधनों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन हैचरी या नौपली रियरिंग हैचरी या लाइफ फीड यूनिट या ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर या न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर को, तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त इसके रजिस्ट्रीकरण/वार्षिक आवंटन आदेश को रद्द करने, बैंक गारंटी को वापस करने के लिए उत्तरदायी बनाएगा।

18. जब भी प्राधिकरण के ज्ञान में यह आता है कि आवेदक ने झूठी जानकारी या दस्तावेज या किसी मिथ्या व्यपदेशन या तात्विक तथ्यों को छिपाकर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रारूप-VI

[नियम 18 (6) देखें]

जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र क्र. :..... जारी करने की तारीख:.....

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जलकृषि इनपुट ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विनिर्दिष्ट मानकों/एंटीबायोटिक-मुक्त प्रास्थिति का अनुपालन किया है:

प्रमाणित जलकृषि इनपुट के ब्यौरे

1. इनपुट का नाम:

2.उत्पाद कोड: _____

3.इनपुट का प्रवर्ग:____

4. कंपनी/फर्म का नाम और पता: _____

5.कंपनी का प्रवर्ग:___

(भारतीय स्व विनिर्माता/भारतीय व्यापारी निर्माता/

विदेशी उत्पाद के वितरक)

6. वैधता अवधि :

स्थान:____

तारीख :

35

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (प्राधिकरण की मुहर)

जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र के लिए शर्तें

1. अनुपालन का यह प्रमाण पत्र तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों के उपबंधों और दिशानिर्देशों के अधीन दिया जाता है।

2. अनुपालन प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय नहीं है।

3. अनुपालन का यह प्रमाण पत्र केवल प्रमाणित उत्पाद के लिए मान्य है।

4. प्रमाण पत्र पांच वर्ष के लिए वैध है और एंटीबायोटिक मुक्त प्रास्थिति का अनुपालन करने पर समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

5. प्रमाणित जलकृषि इनपुट तटीय जल कृषि प्राधिकरण के विनियमों और नियम 3 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

6. प्रमाणित जलकृषि इनपुट में औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ, रोगाणुरोधी एजेंट या अन्य सामग्री नहीं होगी जो नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट और नियम 3 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट दिशानिर्देश के अनुसार मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है ।

7. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन की अनुरूपता हेतु, यथास्थिति, निर्माताओं या आयातकों की भंडारण या विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।

8. बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण टास्कफोर्स या तटीय जल कृषि प्राधिकरण के अभिहित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

9. यदि कोई औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ, रोगाणुरोधी एजेंट या अन्य सामग्री जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, उत्पाद में पाई जाती है, तो तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम की धारा 14 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन अधिरोपित की जाने वाली किसी शास्ति के अतिरिक्त अनुपालन प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा और प्रमाणित जल कृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. जे-1903336/4/2021-एफ वाई (ई-19119)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department Of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2024

G.S.R 33(E).– In exercise of the powers conferred by section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) and in supersession of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005);

(b) "Authority" means the Coastal Aquaculture Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(c) "biosecurity measures" means all biosecurity measures and programmes including physical, chemical and biological measures necessary to protect the coastal aquaculture units and stocks from the ingress and consequences of all diseases that represent a high risk;

(d) "biosecurity audit" means an audit to examine, the types of biosecurity measures, their relevance, execution and effectiveness in securing such coastal aquaculture units and stocks from the ingress of any disease;

(e) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;
(f) "farm" means a coastal aquaculture unit where culturing of fish, including crustacean, mollusc, finfish, seaweed or any other aquatic life is done under controlled conditions in ponds, pens, cages, rafts, enclosures or otherwise, in saline or brackish water in coastal areas and includes nursery rearing, but does not include freshwater aquaculture;

(g) "fee" means any fee stipulated in these rules;

(h) "Form" means a Form appended to these rules;

(i) "Guidelines" means any of the Guidelines referred to in rule 3;

(j) "Hatchery" means a coastal aquaculture unit carrying on coastal aquaculture activity of breeding and seed production of fish, including crustacean, mollusc, finfish, seaweed or any other aquatic life, in saline or brackish water and includes rearing of Nauplii and Live Feed, but does not include freshwater aquaculture;

(k) "high health stock" means any fish stocks including crustacean, molluse, finfish, or any other aquatic species that are raised in bio secure facilities, following bio secure management measures, fed with bio secure feeds and has the established history of freedom from specific pathogens for a continuous period of at least six months;

(1) "live feed" means the live invertebrates, micro algae and such other organisms either cultured or captured from wild and used alive as the feed for different stages of any fish, including crustacean, mollusc, finfish, or any other aquatic species;

(m) "nursery" means a coastal aquaculture unit either indoor or outdoor, intended to rear the larval forms of any fish, including crustacean, mollusc, finfish, seaweed or any other aquatic life, to a juvenile to transfer to the farm where the juveniles are grown to a commercial size;

(n) "member" means member of the Authority appointed under sub-section (3) of section 4 of the Act and includes the Chairperson;

(o) "regulations" mean the regulations made by the Authority under section 25 of the Act;

(p) "Schedule" means any of the Schedule appended to these rules;

(q) "Specific Pathogen Free" means any fish stocks including crustacean, mollusc, finfish, or any other aquatic species and any bio secured coastal aquaculture unit, following bio secure management measures, using bio secure feeds and has the established history of freedom from specific pathogens for a continuous period of at least two years;

(r) "specific pathogen tolerant" means the any fish stocks including crustacean, mollusc, finfish, or any other aquatic species tolerant to a specific disease such that the stock can be infected but may not develop the disease or it may develop it to a lesser extent;

(s) "specific pathogen resistant" means a qualitative trait of any fish stocks including crustacean, mollusc, finfish, or any other aquatic species having resistant to infection by a specific pathogen.

(t) "notification" means a notification published in the Official Gazette.

(2) The Words and expressions used herein and not defined but defined in the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) or the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Guidelines.– For the purposes of ensuring that coastal aquaculture does not cause any detriment to the coastal environment and to protect the livelihood of various sections of the people living in the coastal areas, all coastal aquaculture units and activities shall comply with the following Guidelines to be issued in compliance with section 3 of the Act, namely:–

(a) Guidelines for regulating coastal aquaculture;

(b) Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of Specific Pathogen Free Litopenaeus vannamei;

(c) Guidelines for seed production and culture of Specific Pathogen Free Penaeus monodon;

(d) Guidelines for the health monitoring, disease surveillance and Specific Pathogen Free certification of coastal aquaculture units and stocks in India;

(e) Guidelines for certificate of compliance for aquaculture inputs;

(f) Guidelines for the establishment and operation of Nucleus Breeding Centres and Broodstock Multiplication Centres in India;

(g) Guidelines for solid waste management in coastal aquaculture units or activities.

4. Terms and conditions of service of Chairperson and members.— (1) The Chairperson shall be entitled to such salary and allowances and such conditions of service in respect of leave, pension, and other matters as admissible to a Secretary to the Government of India.

(2) The Secretary of the Authority shall be an officer not below the rank of a Joint Secretary to Government of India to be appointed on deputation basis by the Central Government through Central Staffing Scheme of the Government of India, initially for a term of three years, which may be extended for one more term of three years, or till he attains the age of superannuation, whichever is earlier.

(3) The members appointed under clauses (b), (c), (d), (e), (f), (fa) and (g) of sub-section (3) of section 4 of the Act shall be part-time members and shall not be entitled for any salary and allowances under these rules:

Provided that non-official members shall be entitled to sitting fees as well as Travelling Allowance, Dearness Allowance, etc. as may be fixed by the Central Government from time to time.

(4) A member appointed under clauses (b), (c), (d), (e), (f), (fa) and (g) of sub-section (3) of section 4 of the Act shall cease to be a member if such member ceases to hold the office by virtue of which he was appointed.

(5) The Chairperson may resign his office by giving notice in writing to the Central Government and upon such resignation being accepted by the Central Government, the Chairperson shall be deemed to have vacated his office.

(6) A member may resign his office by a letter addressed to the Chairperson.

(7) The office of a member shall fall vacant from the date on which the resignation of such member is accepted by the Central Government or on expiry of thirty days from the date of the receipt of the resignation by the Chairperson, whichever is earlier.

(8) The Central Government may remove any member who becomes subject to any of the disqualifications specified in section 5 of the Act.

(9) The Central Government may also remove any member if he, without the approval of the Chairperson, fails to attend three consecutive meetings of the Authority.

(10) A member of the Authority nominated by the Central Government under sub-section (3A) of section 4 of the Act, shall exercise the power of the Chairperson relating to-

(i) deciding the date and place of Authority meetings;

(ii) calling meetings of the Authority;

(iii) approving the agenda for such meetings;

(iv) inviting special invitees to the meetings of the Authority;

(v) presiding over meetings, and;

(vi) such other powers and functions as may be assigned to him by the Central Government.

(11) The Secretary shall function as the Chief Executive Officer of the Authority and shall be responsible for the implementation of the work programs and decisions arrived by the Authority or by the committees set up by it and discharge the duties imposed on him under these rules.

(12) The Secretary shall, in consultation with the Chairperson, fix the date, time, place and also draw up agenda for every meeting.

(13) The Secretary shall have powers of general superintendence over the functioning of the Authority, which shall include,-

(a) to grant leave to the officers and staff of the Authority;

(b) to exercise administrative control over all divisions and officers of the Authority;

(c) to call for documents and record and to inspect or cause to be inspected, the accounts and places of storage or of business as required under these rules;

(d) to sanction expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the functioning of the office of the Authority;

(e) cause all important papers and matters to be presented to the Authority as early as practicable; and

(f) issue directions as to the method of carrying out the decisions of the Authority.

(14) The Secretary shall ensure timely conduct of meetings of the District, Sub-Divisional Level or such other committees, as per the timeline specified in the regulations, for the speedy and timely disposal of matters related to the implementation of the Act and these rules.

(15) The Secretary shall oversee the functioning of authorised officers and adjudicating officers under the Act for the speedy and timely disposal of matters related to the implementation of the Act on the field.

5. Functions of Authority.— The Authority shall perform the following other functions in addition to the functions specified under section 11 of the Act, namely.—

(i) to ensure that the agricultural lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and the land meant for public purposes and national parks and sanctuaries shall not be converted for construction of coastal aquaculture farms so as to protect the livelihood of coastal community;

(ii) to deal with any issues pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;

(iii) to survey the entire coastal area of the country and advise the Central Government and the State Governments to formulate suitable strategies for achieving eco-friendly coastal aquaculture development;

(iv) may develop a nationwide aquaculture mapping and zonation, including the following, namely:-

(a) use of high resolution geographic information system maps, integrated with land surveys, subdivisions, boundaries and land ownership merged with the land use map and regulatory requirements under the law;

(b) identify and locate the potential areas, based on multiple parameters including the water source such as sea front, estuary, river, creek, backwater, the type of land through the multicriteria decision support system that are validated by the field surveys;

(c) define broad zones suitable for different type of aquaculture and other allied activities or species or stocking density or in combination of all in such zones to deter and abate any environmental hazard;

(v) to advice and assist the States to take steps for containment of infection and disease management through development of Aquaculture Management Areas with enhanced traceability;

(vi) to take steps for the grant of auto registration for the coastal aquaculture units located in the potential zones identified through aquaculture maps;

(vii) to advise and extend support to the State Governments to construct common infrastructure such as common water in-take and discharge canals by the coastal aquaculture farms and common effluent treatment systems for achieving eco-friendly and sustainable development of coastal aquaculture;

(viii) to fix or adopt standards, certify, monitor, regulate or prohibit coastal aquaculture inputs such as seed, feed, growth supplements including probiotics, therapeutants and such other inputs used in coastal aquaculture for the maintenance of the water bodies and the organisms reared therein and other aquatic life for the prevention, control and abatement of any detriment to the coastal aquaculture or coastal environment as may be specified in the Guidelines for certificate of compliance for aquaculture inputs referred to in clause (e) of rule 3;

(ix) to carry out and sponsor investigations and studies or schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies in coastal aquaculture;

(x) to collect and disseminate data and other scientific and socio-economic information in respect of matters related to coastal aquaculture;

(xi) to prepare manuals, codes and audio-visual material relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating thereto;

(xii) to organise through media and other means of communication a comprehensive programme regarding sustainable utilisation and fair and equitable sharing of the coastal resources for aquaculture purpose;

(xiii) to plan and organise training of personnel engaged or likely to be engaged in sustainable utilisation of the coastal resources for aquaculture purposes;

(xiv) to constitute various technical committees, sub-committees, working groups, sub-groups that may comprise of the members and officers of the Authority, scientists and officers of the national research institutes or State Governments, public representatives or representatives of the civil society or coastal aquaculture association or local body or farmer producer organisations for preparation of technical manuals, code of conduct, etc.;

(xv) to direct the owners or operators of the coastal aquaculture units to carry out such modifications to minimise the impacts on coastal environment including stocking density and the use of aquaculture inputs certified by the Authority;

(xvi) to order seasonal closure of the coastal aquaculture units for the sustainability of the coastal aquaculture practices, maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods or for any other reasons considered necessary in the interest of coastal environment;

(xvii) to make recommendations to the Government for amending the Guidelines from time to time taking into account the changes in technology, farming practices, etc, and incorporating modifications, as may be necessary, in such Guidelines, to ensure environmental protection and the livelihoods of the coastal communities;

(xviii) to safeguard the coastal aquaculture and the environment from the impact of diseases and pests, through risk analysis, risk mitigation measures, inspection and implementation of mitigation response arrangements;

(xix) to formulate requirements for the health monitoring, disease surveillance and certification of coastal aquaculture units and stocks as Specific Pathogen Free by ensuring freedom from diseases as specified in the Guidelines for health monitoring, disease surveillance and Specific Pathogen Free certification of coastal aquaculture units and stocks in India referred to in clause (d) of rule 3.

6. Powers and functions of one man Authority.— (1) The one man authority to be appointed under subsection (2) of section 11 of the Act shall exercise the powers of a District Magistrate with regard to the compensation as may be settled between the workers and the management.

(2) While settling the compensation to be paid to the workers, factors such as the likely loss of income for the workers, the alternate employment opportunities for them and the paying capacity of the employer may be taken into account.

(3) For the purposes of ensuring that the amount of compensation settled is paid to the workers, the one man authority shall exercise the powers of the Collector and District Magistrate under the land revenue laws of the respective States.

7. Power to enter on any coastal aquaculture unit.– (1) The person authorised by the Authority shall have the powers to take one or more persons including police personnel to carry out the functions mentioned in this rule.

(2) The powers of a person authorised by the Authority to enter on any coastal aquaculture unit shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) the Authority's decisions to make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry as well as removal or demolition of any structure shall be intimated to the owner of the coastal aquaculture unit or his representative at least twenty-four hours in advance in writing and delivered to him by registered post or by messenger and such notice shall also be pasted at a prominent place in the premise of the coastal aquaculture unit:

Provided that if the owner refuses to accept the notice, such pasting shall be deemed to be due service of the notice on him:

Provided further that the requirement of notice may be waived by the Authority in such cases and for such reasons to be recorded in writing, as it deems fit:

(ii) the activities mentioned in section 12 of the Act shall be carried out in the presence of the owner or his representative if he desires to do so and such owner may also be permitted to bring his own staff (not more than two) to assist in the inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;

(iii) the removal or demolition of any structure shall be carried out under a panchanama and wherever possible a representative of the local body may be included in the team and his signature recorded in the panchanama:

shall,-

Provided that the owner shall be liable to pay the cost of demolition and cost of damage to the environment, if any, assessed in such manner as may be specified in the Guidelines;

(iv) the persons authorised by the Authority to perform the functions mentioned under clauses (a) and (b) of section 12 of the Act shall do so only during the daytime before sunset;

(v) the persons authorised by the Authority to perform the functions under clause (a) of section 12 of the Act shall endeavour that such functions are carried out without causing any damage to the civil structures, equipment, machinery or the standing crop.

8. Other functions to be performed by an authorised person.— Any person authorised by the Authority

(i) take samples of water, soil, aquaculture input and the farmed animal for the purpose of detection of banned antibiotics, chemicals and other pharmacologically active compounds adopting appropriate procedures for collection, analysis, reporting and follow up action;

(ii) subject to the provisions of rule 7, remove or demolish any coastal aquaculture unit or any structure therein causing pollution that has been ordered by the Authority to be removed or demolished under clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the Act;

(iii) drain the water from the coastal aquaculture unit or destroy the standing crop therein, causing pollution that has been ordered by the Authority to be so destroyed;

(iv) authorise or recognise laboratories to carry out analysis of soil, water, aquaculture inputs, farmed animals or other farmed aquatic life for the purpose of health monitoring and disease surveillance; detection of banned antibiotics, chemicals and other pharmacologically active substances or such other material.

9. Registration and fees.— (1) Every application for registration of any coastal aquaculture unit or coastal aquaculture activity under section 13 of the Act shall be made in Form-I or Form-II, specific to each coastal aquaculture unit or activity specified in Schedule-II, to be obtained from the office of the Member Convener of Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee, or from the office of the Authority or downloaded from the website of the Authority.

(2) The application for the registration of any coastal aquaculture unit or activity in the case of .---

(a) sea weed culture, cage culture, raft culture, pen culture, Recirculatory Aquaculture System, Bio-floc, nurseries, etc., and traditional coastal aquaculture farms irrespective of their size, shall be made in Form-I, by the owner or operator thereof to the Sub- Divisional Level Committee or directly to the District Level Committees (in the absence of a Sub-Division in a particular District) where the coastal aquaculture unit is located.

(b) Hatchery, Nauplii Rearing Hatchery, Live Feed Unit, Nucleus Breeding Centre and Broodstock Multiplication Centre shall be made in Form-II, by the owner or operator thereof directly to the Authority.

(3) The Authority may, in the public interest, make provision for on-line filing of an application for registration.

(4) Every application for registration of a coastal aquaculture unit or activity shall be accompanied with-

(a) a fee as specified in Schedule-I; and

(b) the documents as specified in Schedule-II.

(5) The fees for registration shall be payable in the form of a Demand Draft or electronically through online mode in favour of the Member Convener of the Sub-Divisional Level Committee or District Level Committees in the absence of a Sub-Division in a particular District or in favour of the Coastal Aquaculture Authority.

(6) In case of any defect in the application, the Member Convener of the Sub-Divisional Level Committee concerned shall within seven days of receipt of application, inform the applicant in writing, to rectify the defect within fifteen days from the date of receipt of such information:

Provided that if the applicant fails to rectify the defect within such period, the application for registration shall be deemed to have been rejected.

(7) The Sub-Divisional Level Committee or District Level Committees in the absence of a Sub-Division in a particular District may, if satisfied that the application for registration complies with the requirements, recommend the same for registration in the manner provided in rule 10.

(8) Where the application for registration is refused, the reasons for such refusal shall be recorded in writing and a copy of the order of refusal shall be furnished to the applicant.

(9) On receipt of the application from the Sub-Divisional Level Committee or the Divisional Level Committee, as the case may be, the Authority or any officer authorised by the Authority may require the applicant to furnish within a such period as may be specified by it, such additional information as he may consider necessary for the purpose of registration or renewal and every such applicant shall be bound to furnish such information within the specified period.

(10) The Authority may, upon satisfaction, grant registration or by order, refuse registration or renewal thereof, if the applicant fails to furnish the required information or furnishes incorrect information and a copy of the order together with reasons for such refusal shall be communicated to the applicant.

(11) The grant of registration or refusal thereof shall be made within a period of sixty days from the date of receipt of application by the Authority:

Provided that the time limit for processing the application by the Sub-Divisional Level Committee, the District level committee and the Authority, shall be as specified in the regulations.

(12) Any person aggrieved by an order of refusal under this rule may, within thirty days from the date of receipt by him of a copy of the order of refusal, appeal to the Chairperson who may either affirm, vary or set aside such order.

10. Manner of considering application for registration of certain coastal aquaculture units or activities.— (1) On receipt of an application for registration under sub-rule (2) of rule 9, the Sub-Divisional Level Committee or the District Level Committee (in the absence of a Sub-Division in a particular District) shall scrutinise the application including documents furnished therewith in respect of the coastal aquaculture units irrespective of their size and process them as follows, namely:—

(a) in the case of coastal aquaculture farms up to 2.0 hectare water spread area, sea weed culture, cage culture, raft culture, pen culture, Recirculatory Aquaculture System, Bio-floc, nurseries etc., and traditional coastal aquaculture farms irrespective of their size, Sub-Divisional Level Committee upon satisfaction of the information furnished therein, shall recommend the application directly to the Authority for consideration of registration,-

(b) in the case of coastal aquaculture farms above 2.0 hectare of water spread area and upto 5.0 hectare of water spread area, the Sub-Divisional Level Committee shall recommend the application directly to the Authority for consideration of registration only after making such inquiry including inspection as it thinks fit, to satisfy itself that the registration of such farm shall not be detrimental to the coastal environment;

(c) in the case of coastal aquaculture farms above 5.0 ha of water spread area, the Sub-Divisional Level Committee shall recommend the application to the District Level Committee for consideration of registration,—

(i) after making such inquiry including inspection as it thinks fit, to satisfy itself that the registration of such farm shall not be detrimental to the coastal environment;

(ii) after making further inquiries to ascertain that the coastal aquaculture farm conforms to the stipulations laid down in the Guidelines for regulating coastal aquaculture referred to in clauses (a), (b) and (c) of rule 3.

(2) On receipt of an application under clause (c) of sub-rule (1), the District Level Committee, upon satisfaction, shall further recommend the application to the Authority for consideration of registration.

(3) For the purposes of this rule, the compositions of the Sub-Divisional Level and the District Level Committees shall be as under, namely:-

(A) Sub-Divisional Level Committee:

- (a) Revenue Divisional Officer or Sub-Collector of a sub-division -Chairperson, ex officio;
- (b) Tahsildar or Mandal Revenue officer within the sub-division Member, ex officio;
- (c) Sub-divisional Agriculture Officer or equivalent- Member, ex officio;
- (d) Assistant Conservator of Forest or equivalent Member, ex officio;
- (e) Sub-divisional officer of Irrigation or Water Resources- Member, ex officio;
- (f) Block Development Officer- Member, ex officio;

(g) Assistant Director of Fisheries in the district or equivalent - Member Convener, ex officio.

(B) District Level Committee:

(a) District Collector or Deputy Commissioner of the District or Additional Collector or Joint Collector or Additional Deputy Commissioner-Chairperson, ex officio;

- (b) Revenue Divisional Officer or Sub-Collector of sub-division- Member, ex officio;
- (c) Chief Executive Officer of Zila parishad or equivalent- Member, ex officio;
- (d) District Head of Agriculture- Member, ex officio;
- (e) Divisional Forest Officer or equivalent- Member, ex officio;
- (f) District Head of Irrigation or Water Resources- Member, ex officio;
- (g) Representative from Marine Products Export Development Authority- Member, ex officio;

(h) any other Government Official in the District to be co-opted by the Collector or Deputy Commissioner of the District- Member, ex officio;

(i) District Head of Fisheries- Member Convener, ex officio.

(4) Any recommendations under this rule by the District Level Committee or the Sub-Divisional Committee, as the case may be, shall be made by a quorum consisting of two thirds of the members including the Chairperson and the Member Convener, at its meeting for making such recommendation.

11. Manner of considering application for registration of coastal aquaculture Hatchery, Nauplii Rearing Hatchery, Live Feed Unit, Broodstock Multiplication Centre and Nucleus Breeding Centre.—

(1) No person shall establish Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or a Nucleus Breeding Centre without obtaining prior permission, by making an application with relevant documents, in the case of,-

(a) Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit in Form-II, to the Authority; and

(b) Broodstock Multiplication Centre or a Nucleus Breeding Centre, in the Form specified in the Guidelines for establishment and operation of Nucleus Breeding Centres and Broodstock Multiplication Centres in India referred to in clause (f) of rule 3, to the Central Government.

(2) On receipt of such application for prior permission under sub-rule (1), the Authority or the Central Government, as the case may be, shall verify the particulars given in the application along with documents attached therewith and process the application in such manner as may be specified in the Guidelines referred to in clauses (a), (b), (c) and (f) of rule 3.

(3) The Authority or the Central Government shall issue a prior permission for the construction of Hatchery, Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit, Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre on being satisfied that the application complies with the Guidelines referred to in clauses (a), (b), (c) and (f), of rule 3;

(4) Upon receipt of the prior permission under the sub-rule (3), the owner or operator of the facility shall construct the Hatchery, Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit or Nucleus Breeding Centre or Broodstock Multiplication Centre, in accordance with the biosecurity measures specified in the Guidelines referred to in clauses (a), (b), (c) and (f) of rule 3 and shall intimate the completion of construction to the Authority for inspection of the unit, along with an application in Form-II for registration.

(5) Upon such intimation, the Technical and Inspection Committee constituted for such purpose shall inspect the coastal aquaculture units or activities and furnish the report with its specific recommendations to the Authority within three weeks of such intimation.

(6) The deficiencies or shortfalls, if any, observed and communicated by the Technical and Inspection Committee, shall be rectified by the owner or operator and the compliance of the same shall be communicated to the Authority.

(7) On receipt of compliance report under sub-rule (5) or sub-rule (6), the Authority shall grant the registration within a period of sixty days from the date of receipt of the application by the Authority and order of any refusal shall be communicated to the applicant duly furnishing the reasons therefor.

(8) Any owner or operator aggrieved by an order of refusal under sub-rule (7) may, within thirty days from the date of receipt of such order of refusal, prefer appeal to the Chairperson in writing, who may either affirm, vary or set aside such order of refusal.

12. Form for certificate of registration.— (1) The Authority may grant the certificate of registration including through electronic means,—

(a) in Form-IV, in the case of coastal aquaculture unit or activity referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 9; and

(b) in Form- V, in the case of coastal aquaculture unit or activity referred to in clause (b) of sub-rule (2) of rule 9.

(2) The certificate of registration granted under these rules shall be valid for five years from the date of such registration and shall be renewed for similar period with the same registration number in accordance with the procedure laid down in rule 13 and subject to such terms and conditions as may be specified in the certificate.

(3) In case of coastal aquaculture units established on the lands allotted or assigned by the Government, the validity of registration of coastal aquaculture unit shall be co terminus with the period for which the land has been allotted or assigned or reallotted or reassigned by the Government:

Provided that the cumulative validity of such registration shall not exceed five years and no separate application for extension of validity of registration shall be required under this sub-rule within such period of five years for which the land has been reallotted or reassigned.

(4) The coastal aquaculture units registered by the Authority shall have the right to access and draw the quality saline water or seawater from the nearest source and to discharge the treated effluent by laying pipeline without causing any damage to the coastal environment in compliance with the procedures as may be specified in the Guidelines.

13. Renewal of registration.— (1) Every application for renewal of registration of a coastal aquaculture unit or activity shall be made by the owner or operator thereof, before ninety days from the date of expiry of its period of validity, to the Authority in Form-I, or Form-II, specified in Schedule-II, along with the documents establishing the ownership and operational status of the coastal aquaculture unit or activity.

(2) The Authority on being satisfied with the application under sub-rule(1), shall renew the registration for a further period of five years.

(3) In case of delay in making application for renewal of registration within the period specified in sub- rule (1), the application for renewal of registration of the coastal aquaculture unit or activity shall be accompanied with a request for condoning the delay, specifying the reasons for the delay and shall be accompanied by such additional fee, which shall be two times the applicable fee for renewal of registration for the period from the date of expiry of such registration.

(4) The Authority, if satisfied that the delay was due to sufficient cause, may condone the delay in making application for renewal within the specified time, subject to payment of fees specified in sub-rule (3):

Provided that all the registration of whose validity has expired as on the date of publication of this notification in the Official Gazette, may be condoned on payment of such fees as the Authority deems fit, if an application for condonation of the delay is made within one year from the date of such publication.

(5) The Authority may undertake any inquiries including inspections, as deems fit, to conform the claims made in the application under these rules by itself or through Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee and the owner or operator of coastal aquaculture unit shall be liable for any acts of omission or commission under these rules, the Act, the regulations or the Guidelines.

(6) The fees payable for renewal of registration shall be the same as specified in Schedule-I for registration of a coastal aquaculture unit or activity and shall be paid to the Authority in the form of a Demand Draft or electronically through online mode.

(7) The time limit for consideration of renewal of registration shall be as specified in the regulations.

(8) Where the Authority is satisfied that further continuation of the said coastal aquaculture unit or activity is harmful to the coastal environment, it shall refuse to renew the registration thereof:

Provided that the Authority shall, before such refusal for renewal of the registration, give the concerned owner or operator, an opportunity for being heard and a copy of the order together with the reasons for the refusal shall be communicated to such owner or operator.

(9) Any owner or operator aggrieved by an order of refusal of renewal may, within thirty days from the date of receipt by him of a copy of the order of refusal, appeal to the Chairperson who may affirm, vary or set aside such order.

14. Issuance of duplicate certificate of registration of coastal aquaculture unit or certificate of compliance for aquaculture inputs.— (1) Any loss or mutilation of the certificate of registration of a coastal aquaculture unit or activity or a certificate of compliance for aquaculture inputs shall be reported forthwith, by the owner or operator, to the police authority concerned.

(2) The application for grant of a duplicate certificate of registration of coastal aquaculture unit or certificate of compliance for aquaculture inputs shall be accompanied with a fee of five hundred rupees to be paid electronically or in the form of a Demand Draft drawn in favour of the Coastal Aquaculture Authority along with a non-traceable certificate issued by the police authority concerned or a self-declaration in the case of damaged certificate.

(3) The Authority shall issue a duplicate certificate of registration of the coastal aquaculture unit or a duplicate certificate of compliance for aquaculture inputs, as the case may be, ordinarily within fifteen days from the date of receipt of such application after duly verifying the facts and documentary evidence, if any, and satisfying itself as to the genuineness of the application.

15. Cancellation of registration. — (1) Where the Authority is satisfied that any person has obtained a certificate of registration under sub-rule (1) of rule 12 by furnishing false information or in contravention of any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration, it shall, without any prejudice to any other action that may be taken against such person, cancel the certificate of registration of coastal aquaculture unit or activity:

Provided that before cancelling such certificate, the person concerned shall be given an opportunity of being heard and a copy of the order together with the reasons for the cancellation shall be communicated to the person concerned.

(2) Any person aggrieved by an order of cancellation under this rule may, within thirty days from the date of receipt by him of a copy of the order of cancellation, appeal to the Chairperson who may either affirm, vary or set aside such order.

16. Transfer of ownership or interest therein of coastal aquaculture unit or activity. ----

(1) Every application for transfer of ownership or interest therein of coastal aquaculture unit by way of sale or by operation of law, shall be made with documentary evidence for substantiating the claim and accompanied with the fees as specified in Schedule-I.

2) The Authority shall, after making such enquiry as it deems fit, allow the transfer of ownership of coastal aquaculture unit for the remaining period of validity of registration ordinarily within a period of fifteen days from the date of receipt of such application:

Provided that the Authority may, by order, refuse an application for transfer of ownership or interest therein of a coastal aquaculture unit if the applicant fails to furnish the information asked for or furnishes incorrect information and a copy of the order together with reasons for such refusal shall be communicated to the applicant.

(3) Any owner or operator aggrieved by an order of refusal under sub-rule (2) may, within thirty days from the date of receipt of such order of refusal, prefer an appeal to the Chairperson in writing who may either affirm, vary or set aside such order of refusal.

(4) If, during the period of validity of the registration, the owner or operator of a coastal aquaculture unit or activity desires to make any change in the certificate of registration, he shall apply to the Authority at least thirty days before the expiry of the period of validity of such registration and the Authority shall after making such enquiries, as it considers necessary, where it agrees to the change, cause the details of such change to be entered in the certificate of registration.

17. Manner of assessing cost of damage to environment.-

(1) The Authority shall constitute a committee to be called the environmental monitoring committee consisting of such members as it deems fit, to assess the cost of damage to the environment and cost of demolition as may be specified in the Guidelines.

(2) The operator or owner of such coastal aquaculture unit or activity shall be liable for payment of the assessed cost of damage to coastal environment, including the cost of demolition of such unit, into the account of the Authority.

(3) The receipts of amount shall be maintained by the Authority and be utilised for the purposes as may be specified in the Guidelines.

18. Standards and certification of aquaculture inputs.—

(1) The Authority shall constitute expert committees consisting of independent scientific experts including representatives from stake holders as it deems appropriate, who shall recommend —

(a) new standards of product or labelling;

(b) standards of product or labelling developed by any other competent authority or institution, for different categories of aquaculture inputs for adoption; and

(c) for prohibition of such pharmacologically active substance, antimicrobial agent or other material, the use of which in coastal aquaculture may cause harm to human health, based on the best scientific evidences available to it, including the following, namely: -

(i) Chloramphenicol;

(ii)Nitrofurans including: Furaltadone, Furazolidone, Furylfuramide, Nifuratel,Nifuroxime, Nifurprazine, Nitrofurantoin, Nitrofurazone;

(iii) Neomycin;

(iv) Nalidixic acid;

(v) Sulphamethoxazole;

(vi) Aristolochiaspp and preparations thereof;

(vii) Chloroform;

(viii) Chlorpromazine;

(ix) Colchicine;

(x) Dapsone;

(xi) Dimetridazole;

(xii) Metronidazole;

(xiii) Ronidazole;

(xiv) Ipronidazole;

(xv) Other nitroimidazoles;

(xvi) Clenbuterol;

(xvii) Diethylstilbestrol (DES);

(xviii) Sulfonamide drugs (except approved Sulfadimethoxine;

(xix) Sulfabromomethazine and Sulfaethoxypyridazine);

(xx) Fluroquinolones;

(xxi) Glycopeptides.

(2) On the acceptance of the recommendation of such expert committee, the Authority shall, from time to

time,-

(a) specify the standards developed or adopted for different categories of aquaculture inputs;

(b) by an order, prohibit such pharmacologically active substance, antimicrobial agent or other material for use in any coastal aquaculture;

(c) undertake such other measures as may be recommended by the expert committees for confirming the standards and freedom from pharmacologically active substances, antimicrobial agents and other prohibited substances;

(d) provide adequate publicity to the standards for different categories of inputs and share the list of such pharmacologically active substance, antimicrobial agent or other material that are prohibited for use in any coastal aquaculture activity with all the stakeholders concerned.

(3) No aquaculture inputs shall be made available or used in coastal aquaculture without the certification from the Authority, except those specifically exempted by the Authority, as may be specified in the Guidelines for certificate of compliance for aquaculture input referred to in clause (e) of rule 3.

(4) Every application for certificate of compliance of an aquaculture input shall be in Form-III, accompanied with such documents as specified in Schedule-III, and with a fee of ten thousand rupees per product to be paid electronically or in the form of a Demand Draft drawn in favor of the Coastal Aquaculture Authority.

(5) The Authority shall scrutinise the application including the documents furnished therewith to conform that the aquaculture input complies with the standards and is free from the pharmacologically active substances, antimicrobial agents and other prohibited substances, as specified in the Guidelines for certificate of compliance for aquaculture input referred to in clause (e) of rule 3.

(6) Where the Authority is satisfied that the aquaculture input conforms to the standards, the Authority may grant the certificate of compliance through electronic means in Form-VI.

(7) The grant of certification or refusal, as the case may be, shall be made within a period of ninety days from the date of receipt of application for certification.

(8) The certificate of compliance granted under the sub - rule (6) shall be valid for a period of five years from the date of grant of such certificate of compliance.

(9) Every application for the renewal of validity of certificate of compliance of an aquaculture input shall be in Form-III, accompanied with such documents specified in Schedule-III and fee as specified in sub-rule 4.

(10) The certificate of compliance of an aquaculture input granted under sub-rule (6) shall be renewed by the Authority for a similar period in accordance with the procedures specified in the Guidelines for certificate of compliance for aquaculture input referred to in clause (e) of rule 3.

(11) The Authority shall monitor the compliance of aquaculture inputs in the manner specified in the Guidelines for certificate of compliance for aquaculture input referred to in clause (e) of rule 3.

19. Health monitoring, disease surveillance and Specific Pathogen Free certification.-

(1) The Specific Pathogen Free certification shall be mandatory for —

(a) all Broodstock Multiplication Centres, Nucleus Breeding Centres, Live Feed Units for Artemia and Polychaete worms and the stocks therein; and

(b) any other coastal aquaculture unit or stock as the Central Government may, by an order, specify from time to time.

(2) The Authority may recommend the need for Specific Pathogen Free certification for any coastal aquaculture units and stocks.

(3) The Central Government may, from time to time, specify —

(a) the competent authority for effective implementation of health monitoring, disease surveillance and Specific Pathogen Free certification;

(b) the list of referral laboratories;

(c) the pathogens of concern or any other matter connected therewith, for species-specific coastal aquaculture unit in consultation with the Technical Advisory Committee constituted for the purpose.

(4) The Central Government may grant —

(a) accreditation of Specific Pathogen Free status to any coastal aquaculture unit or stock; and

(b) authorisation to sell the stocks as High Health or Specific Pathogen Free stock.

(5) The process of health monitoring, disease surveillance, chain of custody sampling and testing to conform the freedom from diseases or pathogens and the manner of certification shall be as specified in the Guidelines for health monitoring, disease surveillance and Specific Pathogen Free certification of coastal aquaculture units and stocks in India, referred to in clause (d) of rule 3.

20. The form and time for preparation of budget.— (1) The Authority shall, in each financial year, prepare a budget for the Authority for the next financial year and submit it for sanction to the Central Government on or before such dates as may be appointed by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government and the sanction for that expenditure by the competent authorities is received.

(3) The budget shall be prepared containing the following or as may be directed by the Central Government, indicating,-

(a) the estimated opening balance;

(b) the estimated receipts referred to in sub-section (1) of section 17 of the Act;

(c) the estimated expenditure classified under the following broad heads or such other heads as per the schemes approved by the Central Government, namely:-

- (i) administration;
- (ii) development;
- (iii) statistics;
- (iv) inspection or works;
- (v) financial and other assistance / subsidy scheme;
- (vi) others.

(4) Wherever applicable, full details shall be given under various sub-heads for each broad head specified in sub-rule (3), indicating estimated expenditure including that of pay of officers, expenses of establishment, allowance, honoraria, contingencies, and the like.

(5) Supplementary estimates of expenditure, if any, shall be submitted for the sanction of the Central Government in such form and on such dates as may be directed by it in this behalf.

21. The form and time for preparation and submission of annual report.-

(1) The Chairperson or such employee of the Authority as may be authorised in this behalf, shall prepare, as soon as may be after the commencement of each financial year, an annual report which shall include an account of the activities of the Authority during the previous financial year, containing the following information, namely: —

(a) a statement of corporate and operational goals and objectives of the Authority;

(b) annual targets and physical and financial terms set for various activities together with a brief review of the actual performance with reference to those targets;

(c) an administrative report on the activities of the Authority during the previous financial year and an account of the activities which are likely to be taken up during the next financial year;

(d) a summary of the actual financial results during the previous financial year and year of report;

(e) important changes in policy and specific measures either taken or proposed to be taken, which have influenced or are likely to influence the profitability or functioning of the Authority;

(f) new projects or expansion schemes contemplated, together with their advantages, financial implications and programme for execution;

(g) important changes in the organisational set up of the Authority;

(h) report on employer-employee relations and welfare activities of the Authority; and

(i) report on such other miscellaneous subjects as may be deemed fit by the Authority or the Central Government, for reporting to the latter.

(2) The annual report shall be placed for adoption in the meeting of the Authority and shall be signed by the Chairperson or in his absence by two members authorised for the purpose by the Chairperson and authenticated by fixing the common seal of the Authority and required copies thereof shall be submitted to the Central Government by the 31st day of December of the following year.

22. Form and manner of maintaining accounts of Authority.-

(1) The Authority shall maintain accounts of all receipts and expenditure relating to every financial year.

(2) A separate bank account shall be maintained for the registration fee.

(3) The expenditure incurred in a particular financial year shall be shown under separate heads and sub-heads.

(4) The opening balance, if any, shall also be stated as such, separately.

(5) The closing balance of the year shall be shown at the foot of the accounts on the expenditure side.

(6) The books of accounts and other books in relation to the accounts will be maintained in the form as laid down in the various General Financial Rules, the Central Treasury Rules and the Receipts and Payment Rules, in force from time to time.

(7) Except as otherwise provided in these rules, the provisions of the Central Treasury Rules, the Delegation of Financial Power Rules, 1978 and the General Financial Rules, 2017 of the Central Government, for the time being in force, shall subject to such modifications or adaptations as may be made by the Authority therein with the previous approval of the Central Government, apply to all financial transactions of the Authority.

Schedule-I

[See rules 9 (3)(a), 13(6) and 16(1)]

Fee for registration/renewal/transfer of ownership or interest therein of coastal aquaculture units or activities

S.No	Coastal aquaculture unit or activity	Fee			
		Registration / renewal/ transfer of ownership or interest therein			
1	Farm				
	Up to 5.0 hectare water spread area	Two hundred rupees (or fraction of a hectare), subject to a minimum of five hundred rupees			
	Above 5 hectare up to 10 hectare water spread area	One thousand rupees plus five hundred rupees per hectare (or fraction of a hectare) in excess of 5 hectares.			
	Above 10 hectare water spread area	Three thousand five hundred rupees plus One thousan rupees per hectare (or fraction and above of a hectare) i excess of 10 hectares.			
2	Hatchery, Nauplii Rearing Hatchery, Live	Registration fee of ten thousand rupees			
	Feed Unit	Monitoring fee of fifty thousand rupees and			
		Performance guarantee as may be specified by the Authority.			
3	Broodstock Multiplication Centre or Nucleus	Registration fee of twenty thousand rupees			
	Breeding Centre	Monitoring fee for freedom from disease and			
		Performance guarantee as may be specified by the Authority.			
4	Sea weed culture	Rupees one hundred per registration			
5	Pen culture, raft culture and cage culture etc.	Two rupees per cubic meter subject to minimum of Two hundred rupees			
6	Recirculatory Aquaculture System and Bio- floc systems in indoor or outdoor cement cisterns	Ten rupees per cubic meter subject to minimum of five hundred rupees			

Schedule-II

[See rules 9(1), (3)(b) and 13(1)]

Application Forms and documents for registration/renewal of coastal aquaculture unit or activities

Sl.No	Farm, seaweed culture, pen culture, raft culture, cage culture, Recirculatory Aquaculture System and Bio-floc	Hatchery, Nauplii Rearing Hatchery, Live Feed Unit, Broodstock Multiplication Centre and Nucleus Breeding Centre
(1)	(2)	(3)
1	Duly filled in application in Form-I	Duly filled in Form-II
2	Applicable registration fee proof of electronic payments including Unique Transaction Reference Number	Applicable registration fee proof of electronic payments including Unique Transaction Reference Number.
3	Copy of the registered sale deed / lease deed of the site / proof of Government assigned /allotment	Copy of the registered sale deed / lease deed of the site / proof of Government assigned /allotment document/ in

	document/ in local language and the translated English version with self-attestation	local language and the translated English version with self-attestation
4	Partnership deed, if applicable	Partnership deed, if applicable
5	Company/Firm registration certificate (if applicable)	Company /firm registration certificate. If leased, copy of the registered lease agreement
6	Copy of Field Measurement Book sketch of the site	Copy of Field Measurement Book sketch of the site.
7	Layout of the farm (Duly depicting the layout of Effluent Treatment Plant for farms with water spread area more than 5 hectares and also for farming of exotic species with stocking density of above 20 Number. Post Larvae per meter ² irrespective of the extent of water spread area)	Declaration in Part A of Form-II on fifty rupees non judicial stamp paper
8	Blueprint for the construction approved by the competent authority if any and if applicable	Blueprint for the construction approved by the competent authority
9	Environment Impact Assessment report (Mandatory for farms /mariculture units above 10 hectare water spread area)	Layout of the Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre along with drainage system.
10	Environment Management Plan report (Mandatory for farms/mariculture units above 40 hectare water spread area)	Water quality test report from the water source.
11	No Objection Certificate from local administration	No Objection Certificate from local administration
12	Project report, if applicable	Certified audited financial statement of the firm for the last three years (if applicable)
13	Any other document (please specify)	Terms and conditions of agreement with the Indian firms
14		Copy of the Memorandum of Understanding /agreement indicating a firm commitment for the supply of Specific Pathogen Free shrimp Broodstock or Parent Post-larvae as per the requirement
15	_	Certificate of freedom from disease issued by Competent Authority for the facility for at least for a continuous period of two years
16	-	Diagnostic reports of the facility of the overseas supplier during the recent surveillance from a Government authorised or World Organisation for Animal Health referral laboratory

Schedule-III

[See rules 18(4) and (9)]

Application Form and documents for certificate of compliance for aquaculture inputs / renewal

Sl.No	Form and documents	
(1)	(2)	
1	Duly filled application for each product separately in Form-III	
2	Applicable processing fee in the form of a Demand Draft	
3	Details of applicant company such as certificate of incorporation, Goods and Services Tax certificate, micro, small or medium enterprises, etc.)	
4	Copy of the agreement between applicant company and merchant manufacturer (if applicable) (for Indian manufactured product only)	
5	Details of manufacturing facility (License to work a factory/ Good Manufacturing Practice or Best	

	Aquaculture Practices or Hazard Analysis and Critical Control Point System or International Organisation for Standardisation certificate of registration, etc.) (applicable for both Indian manufactured product and imported product)
6	Process certification for imported product (Good Manufacturing Practice or Best Aquaculture Practices or Hazard Analysis and Critical Control Point System or International Organisation for Standardisation or any other certificate)
7	Original label, in accordance with the Guidelines for certificate of compliance for aquaculture inputs referred to in clause (e) of rule 3
8	Manufacturing Process (Detailed) and testing process for quality control
9	Original laboratory report (NOT earlier than a month) from National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for the parameters as specified in the Guidelines for certificate of compliance for aquaculture inputs referred to in clause (e) of rule 3
10	Undertaking for sample retention and reimbursing the cost of samples collected by the task force in the format specified in the Guidelines for certificate of compliance for aquaculture inputs referred to in clause (e) of rule 3
11	Notarised self-declaration in the format specified in the Guidelines for certificate of compliance for aquaculture inputs referred to in clause (e) of rule 3
12	Notarised agreement between applicant company and overseas principal manufacturer (for imported products only)
13	Health certificate / sanitary certificate/ veterinary certificate or any other certification indicating antibiotic-free status issued by the country of origin
14	Tamper proof mechanism if any available (with detailed description and illustration)
15	List of records maintained in the unit

FORM-I

[See rules 9(1), (2)(a) and 13 (1)]

Application for registration/renewal of coastal aquaculture unit or activity referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 9

1	Applicant details	:	Passport size photo
	(a) Name of the applicant(s)/ registered company/ establishment (in BLOCK LETTERS)	: :	
	(b) Permanent Address	:	
	(c) Address for Communication	:	
	(d) Mobile number	:	
	(e)Email ID	:	
	(f) Aadhar number	:	
2.	Details of coastal aquaculture unit/activity: farms; nursery; seaweed culture; pen culture; raft culture; cage culture; Recirculatory Aquaculture System; Bio-floc systems for which registration is applied for: please specify		
	(a) State	:	
	(b) District	:	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

	(c) Taluk / mandal	:				
	(d) Revenue village	:				
	(e) Survey Number(s)	:				
	(f) Geo coordinates	Latitude Longitude		gitude		
	(mandatory for mariculture units)					
	(g) Ownership right (whether freehold or lease hold or Government assigned / allotted land/coastal public water bodies) please furnish details	:				
	 (h) Validity period of lease hold / Government assigned / allotted land/coastal water bodies 	From		То		
3.	Type of culture for which registration is applied for					
	(a) Farm with earthen Ponds	:				
	(b) Pens	:				
	(c) Cages	:				
	(d) Rafts	:				
	(e) Enclosures	:				
	(f) Others (specify)	:				
4.	Details of the coastal aquaculture unit/acticulture; Recirculatory Aquaculture System		vity: farms; nursery; seaweed culture; pen culture; raft culture; cage ; Bio-floc systems			
	(a) Newly constructed	Yes / No	Yes / No			
	(b) Already existing / operating	Yes / No				
	(c) If , already existing/operating, details of the following:(i) Date of commencement of operations	:				
	(ii) If previously registered by Coastal Aquaculture Authority, registration number and expiry date	:				
	(d) Total area	Number	Unit are	ea	Total area	
	 (1) coastal aquaculture unit: farms; nursery; Recirculatory Aquaculture System ; Bio-floc systems (hectare) 					
	(2) seaweed culture: pen culture; raft culture; cage culture; Mariculture units (meter ² / meter ³)					
	(e) Water Spread Area	Number	Water spread a per unit		Total water spread area	
	(1) coastal aquaculture unit: farms; nursery; Recirculatory Aquaculture System; Bio-floc systems (hectare)					
	(2) seaweed culture: pen culture; raft culture; cage culture; Mariculture units (meter ² / meter ³)					
5.	If the whole or a part of the above coastal a please furnish details	art of the above coastal aquaculture unit(s) falls under any one of the following categories, ils				

	Category	Village	Survey Numbe	
	(a) Agricultural land			
	(b) Forests land			
	(c) Land for village common purpose			
	(d) Land meant for public purpose			
	(e) Wetland			
	(f) Mangrove			
6.	Water source for the aquaculture unit			
	(a) Sea	Yes / No		
	(b) Creek/estuary/ canal/ back water	Yes / No		
	(c) If water source is as mentioned in(b) above, indicate the name of the source	:		
7.	Distances of the unit site from the follow	ing		
	(a) High tide line	:		
	(b) Nearest drinking water source	:		
	(c) Agricultural land	:		
	(d) Mangrove	:		
	(e) Marine protected area	:		
	(f) Adjacent aquaculture farm	:		
	(g) Human settlements (Indicate the population of the settlement)	:		
	(h) National parks	:		
	(i) Sanctuaries	:		
	(j) Reserve forests	:		
	(k) Breeding, spawning grounds and other aquatic life	:		
	(1) Beaches	:		
	(m) Coral reefs	:		
	(n) Heritage area	:		
8.	Species and stocking density	Species		tocking density (Numbers per meter ² / eter ³)
	(a) Crustacean			
	(b) Mollusc			
	(c) Finfish			
	(d) Seaweed			
	(e) Any other			
9.	Details of bio-security arrangements	- -	•	
	(a) Crab fencing	:		
	(b) Bird fencing	:		
	(c) Hand wash / foot bath	:		
	(d) Reservoirs	:		

	(e) Filters	:
10	Furnish Project Report giving details with sketch (to scale) of design and layout of the aquaculture farm in operation/ proposed along with operational details, water intake and wastewater treatment facility	:
11.	If Effluent Treatment System has been in operation/ proposed, please furnish layout, design and technical details	:
12.	Whether Environment Impact Assessment/ Environment Management Plan were carried out on the environment of the aquaculture farm with reference to other land uses in its neighbourhood and based on operational details of the unit as furnished in the project report, please state specifically, whether–	:
	(a) the aquaculture activity has the effect of causing water logging of adjacent areas or polluting the drinking water source	:
	(b) by use of supplementary feeds/ medicines / drugs, etc. will consequently increase sedimentation which will be harmful to the environment	:
	(c) such activity would cause siltation, turbidity with detrimental implication on local fauna and flora	:
13.	If, Environment Impact Assessment has been done, please attach the report (Mandatory for coastal aquaculture unit /mariculture units above 10 hectare water spread area)	
14.	If Environment Management Plan has been drawn up, please furnish details (Mandatory for coastal aquaculture unit /mariculture units above 40hectare water spread area)	:
15.	Details of remittance of processing fee	:

Declaration

I/ We _______ son (s) / daughter (s) / wife of _______ at ______ at ______ hereby declare that the information furnished above is true to the best of my/our knowledge and belief. The coastal aquaculture unit /mariculture operations carried out by me/ us had not neither polluted the environment nor damaged the ecology of the adjacent area. I am / we are fully aware that if it is found that the information furnished by me / us is false or there is any kind of deviation / violation of the conditions on which certificate of registration may be issued by the Authority, the certificate of registration issued may be either suspended or cancelled and liable for penal action under Coastal Aquaculture Authority Act or the rules, regulations and guidelines made thereunder.

Place:

Date:

FORM-II

[See rules 9(1), (2)(b), 11 (1)(a), (4) and 13 (1)]

Application for registration/renewal of coastal aquaculture unit or activity referred to in clause (b) of sub-rule (2) (b) of rule 9

1	Name of the applicant (in BLOCK LETTERS)			Passport size photo
2	The application made for registration of	Nucleus Breeding Centre	Ye	s/No
		Broodstock Multiplication Centr		s/No
		Hatchery	Ye	s/No
		Nauplii Rearing Hatchery	Ye	s/No
		Live Feed (Artemia Polychaete)	or Ye	s/No
3	Whether applying for prior permission/ fresh registration / renewal of registration	:		
4	If applied for renewal of registration, furnish the following details of such registration:			
	(a) Coastal Aquaculture Authority registration number			
	(b) Date of registration			
	(c) Validity period	From To		
5	Details of prior permission for construction			
6	Name of the coastal aquaculture unit			
7	Address of the coastal aquaculture unit along with PIN code			
8	Contact details			
	(a) Communication address			
	(b) Mobile number			
	(c) E mail ID			
9	Details of Board of Directors and Managing Director with copy of Memorandum of Association / Memorandum of Article			
10	Certified audited financial statement of the firm for the last three years (if applicable)			
11	The application made for registration of	Nucleus Breeding Centre	Ye	s / No
		Broodstock Multiplication Centr		s/No
12	Type of the operation (Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre)	_	Post larvae	Broodstock
13	Species to be produced (Specify only one species)			
	(a) Specific Pathogen Free <i>penaeus monodon</i>	Yes / No		
	(b) Specific Pathogen Free litopenaeus vannamei	Yes / No		
	(c) Scampi (Specify species name)			

	(d) Marine finfish (Specify species name)		
	(e) Crab (Specify species name)		
1.4	(f) Others(Specify species name)		
14	Ownership rights of the Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre		
	(Government /society/public limited/ private/proprietary/partnership)		
15	Location of the Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre		
	(a) State		
	(b) District		
	(c) Taluk or mandal		
	(d) Revenue village		
	(e) Survey number		
	(f) Geo coordinates	Latitude	Longitude
		Latitude	Longhude
16	Total autont of the Hateham, or Neurlii Desning Hateham, or		
16	Total extent of the Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre site (in m ²)		
17	Distance from High Tide Line (in metres)		
18	Whether owned or leased (enclose supporting documents)		
19	If on lease, specify the lease period and also attach copy of the registered lease deed.		
20	Infrastructure available (as applicable)		
	Facilities	Ca	pacity
	A. Seawater intake system:		
	(i) Seawater required/day		
	(ii) Number and capacity of the pump		
	(iii) Filtration system and number of pressure sand filter installed (State number of low sand filter, Rapid sand filter and cartridge filters)		
	(iv) UltraViolate sterilisation (Number of lamps with total amps)		
	(v) Number of storage tanks		
	(vi) Capacity of each storage tank		
	(vii) Number of chlorination tanks and capacity		
	(viii) Number of sedimentation tanks and capacity		
	B. Freshwater intake system		
	(i) Pumps :		
	(ii) High Density Polyethylene cement overhead tank		
	C. Maturation / spawning		
	(i) Number of maturation tanks		
	(ii) Capacity of each tank		
	(iii) Number of spawning /hatching tanks (whether cement or Fiber Reinforced Plastics, if so, details)		
	(iv) Capacity of each tank		
	D. Larval rearing		
	(i) Number of larval rearing tanks		
	(ii) Number and capacity of early larval rearing tanks		
	(iii) Number and capacity post-larval rearing tanks		
	E. Grow out		
	(i) Number of maturation tanks		

	(ii) Capacity of each tank(iii) Number of spawning / hatching tanks (whether cement or Fiber Reinforced Plastics, if so, details)(iv) Capacity of each tank	
	F. Live Feed culture facilities	
	(i) Number and capacity of Indoor algal culture tanks (Fiber Reinforced Plastics)(ii) Number and capacity of outdoor tanks	
	(iii) Number and capacity of artemia hatching tanks (Fiber Reinforced Plastics)	
	G. Feed / storage facility	
	H. Common facilities	
	(i) Number and capacity (in Kilovolt amperes) of generators	
	(ii) Number and capacity (in Horsepower) of air blower / compressor	
	(iii) Staff quarters	
	(iv) Office buildings	
	I. Hatchery laboratory	
	(i)Water analysis laboratory	
	(ii) Microbiology laboratory	
	(iii) Polymerase Chain Reaction laboratory	
	(iv) Deep freezer	
	(v) Incinerator	
	(vi) Other laboratory facilities	
21	Source of Specific Pathogen Free shrimp post larvae for Broodsto for Nucleus Breeding Centre:	ck Multiplication Centre or Broodstock
	(i) Name of the overseas Specific Pathogen Free facility	
	(ii) Address of the overseas Specific Pathogen Free facility (including email ID)	
	(iii) Details of the Indian representative of the overseas supplier with mobile number and email ID	
	(iv) Details of the firm	
	(v) Country of registration	
	(vi) Location of the facility	
	(vii) Terms and conditions of agreement with the Indian firms (copy to be enclosed)	
	(viii) Details of extent of commercial supply of Specific Pathogen Free Parent Post Larvae or Broodstock	
	(ix) Details of any other multiplication centre operated in any other country	
	(x) Reproductive performance of Specific Pathogen Free Broodstock of the firm in terms of size at maturity, Latency period for maturation, Fecundity, number of spawning per female, hatching rate and Survival rate from nauplii to Post Larvae	
	(xi) Performance of Post Larvae derived from Specific Pathogen Free Broodstock of the firm in commercial culture for growth and disease	
	(xii) The performance of the Parent Post Larvae derived from Specific Pathogen Free Broodstock of the firm supplied to Broodstock Multiplication Centre (including survival rate, growth and disease-free status)	
	(xiii) attach separate sheets with complete details	
	(xiv) Copy of the Memorandum of Understating/agreement	

	indicating a firm commitment for the supply of Specific Pathogen Free Shrimp Broodstock or Parent Post Larvae as per the requirement is to be enclosed.	
22	Detailed infrastructure and personnel of overseas Specific Pathoge	en Free facility
	(i) Lay-out plan of the Specific Pathogen Free facility (attach diagram with explanation)	
	(ii) Water treatment and supply	
	(iii) Rearing facilities	
	(iv) Laboratory facilities	
	(v) Biosecurity (disinfection protocol, shower room, fencing, etc.)	
	(vi) Number of technical staff and details of their expertise (Attach bio-data)	
	(vii) Financial status of last three years along with audited statement	
23	Disease surveillance at the Specific Pathogen Free facility	
	(i) List of pathogens excluded in the facility	
	(ii) Methodology followed for the diagnosis (or diagnostic protocols followed)	
	(iii) Certificate (issued by Government) of disease free nature of the facility for the last two years to be enclosedFrequency of surveillance	
	(iv) Details of the diagnostic reports during the recent surveillance from a Government authorized or World Organisation for Animal Health referral laboratory	
24	Details of Selective Breeding Programme	
	(i) Source of founder population (Number of geographic location/number of Specific Pathogen Free facilities sourced)	
	(ii) Genetic divergence of the population (Number of families from each location /each Specific Pathogen Free facility).	
	(iii) Frequency of introduction of further families in to founder population	
	(iv) Type of selection programme followed	
	(v) Number of lines and number of families maintained	
	(vi) Number of generations raised	
	(vii) Minimum effective population size over the generations	
	(viii) Traits considered for selection	
	(ix) Genetic gain over the generations	
	(x) Name and brief bio-data of the geneticist involved in drafting the breeding plan.	
	(xi) Breeding plan indicating the specific details to avoid inbreeding	
25	Details of Indian Broodstock Multiplication Centre facility	
	(i) Annual capacity proposed (Number of Broodstock (In numbers) or Parent Post Larvae (in million) per annum)	
	(ii) Requirements of Specific Pathogen Free broodstock (In numbers) or Parent Post Larvae (in million) and the frequency of import per annum	
	(iii) Number of months / years of rearing proposed	
	(iv) Survival anticipated during rearing from Parent Post Larvae to broodstock/generating the broodstock	

26	Infrastructure facilities proposed	
	(i) Land area	
	(ii) Location	
	(iii) Whether any existing facility is being remodeled as Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre? If so, indicate its prior use and the present condition	
	(iv) Distance between the nearest Hatchery/farm	
	(v) Lay-out plan of the posed facility indicating the quarantine, water intake and treatment; rearing tanks under closed conditions, biosecurity features, Effluent Treatment System, etc., indicate the capacity and number of tanks (attach diagram with explanation)	
	(vi) Details of the diagnostic laboratory facility	
	(vii) Brief cost estimates and source of funding	
	(viii) Technical staff proposed to be involved in the operation of Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre and their brief bio-data indicating their area of expertise	
	(ix) List of pathogens proposed to be tested in the Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre and the surveillance protocol to be followed	
	(x) Sampling details	
	(xi) Frequency of sampling and testing	
	(xii) Any other particulars/details	
27	Species produced at present, if any in the Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre	
28	Installed capacity and utilisation (million / annum)	
29	Statement of anticipated annual production indicating production (million)	
	(a) Shrimp/scampi	Nauplii
	(b) Marine finfish	Fry
		Fingerlings
	(c) Crab	Instars
		Crablets
30	Whether the following Bio-security arrangements are available in the Hatchery	
	 (i) Peripheral Fencing (ii) Physical separation of the sections (iii) Shower and Change room (iv) Vehicle dip (v) Foot bath (vi) Hand wash 	
31	Give details of the Effluent Treatment System in the Hatchery complex (Number of tanks with capacity in metric ton)	
32	Details of qualified technical staff employed, their names and qualifications with contact details.	
33	Details of fees paid	Amount : Demand Draft number and date : Bank:

Declaration

I/ We ______ son(s)/daughter(s) / wife of residing at-

hereby declare that the information furnished above is true to the best of my/our knowledge and belief. I am/ we are fully aware that if it is found that the information furnished by me/us is false or there is any kind of deviation/ violation of the conditions on which certificate of registration may be issued by the Authority, the certificate of registration issued may be either suspended or cancelled and liable for penal action under Coastal Aquaculture Authority Act or the rules, regulations and guidelines made thereunder.

Place:

Date:

Signature of the applicant or applicants

PART-A

Declaration to be furnished by the owner of the Hatchery, Nauplii Rearing Hatchery, Live Feed Unit, Nucleus Breeding Centre and Broodstock Multiplication Centre along with Form-II

(to be signed on fifty rupees non-judicial stamp paper)

1. I/We.....son(s) ofand owner (s) of the million per

2. I/We declare that I/We have already set up/provided the physical facilities specified in the Guidelines and that I/We shall continue to provide such facilities, failing which the registration granted to me may be cancelled and liable for penal action under Coastal Aquaculture Authority Act and the rules, regulations and Guidelines made thereunder.

3. I/We hereby declare that I/We shall follow the the specific Guidelines and safeguards required for Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre for raising/producing......(species name).

4. I/We undertake to produce in my/our Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre only seed following the specifications laid down, failing which I/We agree to the cancellation of the registration and liable for penal action under Coastal Aquaculture Authority Act and the rules, regulations and Guidelines made thereunder .

5. I/We also undertake to carryout improvements, additions, alterations or up-gradation suggested by Coastal Aquaculture Authority, failing which I/We understand that the Coastal Aquaculture Authority can cancel the registration.

6. I/We also agree to abide by any instruction that may be issued by the Coastal Aquaculture Authority from time to time regarding the operation of the Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre, failing which I/We understand that the Coastal Aquaculture Authority can cancel the registration.

7. I/We also agree to inspection of the Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre by any Designated officer(s) of Coastal Aquaculture Authority at anytime, without prior intimation.

8. I/We also agree to provide the production records, laboratory, analysis sheets, etc., to the Inspection team and shall submit regular reports as required by Coastal Aquaculture Authority.

9. I/We also agree to submit to Coastal Aquaculture Authority, any returns regarding production of seeds and supply to farmers and the running of the Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre and maintenance of any record as may be specified By Coastal Aquaculture Authority from time to time.

10. I/We also agree to issue a quality certificate to accompany the consignment of seed shipped from any establishment (self-certification) regarding the Specific Pathogen Free status of the seed.

11. I/We also agree to settle disputes if any on the quality of the seeds with farmers with due diligence.

12. I/We also agree to conform the environmental requirements as specified in the Guidelines referred to in clauses (a), (b), (c) and (f) of rule 3 and the regulations made in this behalf by the Coastal Aquaculture Authority from time to time.

13. I/We also agree to comply with any instructions/ conditions as may be from time to time issued by the Authority

14. I/We also agree to maintain the record of inputs used in the Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre like Broodstock, nauplii, feed, chemicals, probiotics, medicines and the harvest details such as production and name and address of the person to whom the produce is sold shall be maintained for every cycle and reported to the Authority.

15. I/We also agree not to use any pharmacologically active substances, antimicrobial agents or other material which may cause harm to human health as specified in the Guidelines referred to in clause (e) of rule 3.

16. I/We agree to deposit a performance bank guarantee as specified by the Authority, towards the registration of the Hatchery or Nauplii Rearing Hatchery or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre.

17. I/We agree to sell the seed only to the farmers registered with the Coastal Aquaculture Authority (on production of a copy of the Registration Certificate issued by Coastal Aquaculture Authority) and permitted (copy of the permission letter issued by Coastal Aquaculture Authority) to culture such species.

Place:

Date:

FORM-III

[See rules 18(4) and (9)]

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR AQUACULTURE INPUTS/RENEWAL

I. Applicant details	Passport
1. Name of the Applicant	size
2. Applicant Designation	photo
(a)Managing Director	
(b) Director	
(c)Authorised Person	
(enclose authorisation letter)	
3. ID Proof of the applicant	
(a)Aadhar	
(b) Driving License	
(c)Voter Id	
(d) Passport	
(e)Any other(specify-text box)	
4. Whether applying for fresh compliance/renewal for compliance	
5. If applied for renewal compliance, furnish the details, if any	
(a) Coastal Aquaculture Authority registration number	
(b) Date of registration	
(c) Validity period	From
	То
II. Details of the Firm/Company	

Signature with address and seal

1. Name of the Registered company/firm	
(a)Individual	
(b) Corporate	
(c)Consortium	
(d) Others	
2. Contact details	
(a)Mobile number	
(b) Email id	
3. Address of the company/firm	
4. Address for communication	
5. Category of the company/firm	
(a)Indian own manufacturer	
(b) Indian merchant manufacturer	
(c)Distributor of overseas product	
6. Whether registered with authorised agency of Government	Yes/No
If yes, any one of the following documents to be attached	
(a) Goods and Services Tax	
(b) Micro small & medium enterprises,	
(c) Udyog Aadhar	
(d) Certificate of incorporation	
(e) Certificate of registration	
(f) Any others	X7 (N1-
7. Do the firm/company possess any certification for the product (Applicable for both own and merchant manufacturer)	Yes/No
If yes, any one of the following documents to be attached	
(a) Department of factories	
(b) Good manufacturing practice	
(c) International Organization for Standardization	
(d) Best Aquaculture Practices	
(e) Hazard Analysis Critical Control Point	
(f) Any others	
8. For Indian own manufacturer/ Indian merchant manufacturer	
(a)Name of the Indian own manufacturer/ Indian merchant manufacturer	
(b) Address of the manufacturing unit	
(c)If applicant is Indian merchant manufacturer, please furnish copy of the agreement with manufacturing company/firm)	
9. For distributor of overseas product	
(a)Name of the overseas company/firm	
(b) Address of the overseas manufacturer	
(c)Agreement between applicant and overseas manufacturer	Yes/No
(supporting document to be attached	
(d) Health Certificate/ Sanitary Certificate/ Veterinary Certificate/ Any other Antibiotic Free Certificate	Yes/No

III. Details of the product	
1. Name of the Product (same as in the label and laboratory report)	
2. Product code (if any)	
3. Category of the product	
(a)Feed additive	
(b) Probiotic	
(c)Feed- larval	
(d) Feed -adult	
(e)Chemical	
(f) Disinfectant	
(g) Immuno stimulant	
(h) Drug	
(i) Mineral mixture	
(j) Others (specify)	
4. Manufacturing Process of the Product	
(a)Whether Quality Testing laboratory facility available	Yes/No
(b) If yes, in-house laboratory facilities existing	
(i) Water and soil analysis	
(ii) Microbiology	
(iii) Feed analysis	
(iv) Enzyme Linked Immuno Absorbant Assay	
(v) Polymerase Chain Reaction /Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction	
(vi) Liquid Chromatographic Mass Spectrometric	
(vii)Gas chromatography/mass spectrometry	
(viii) Others	
(c)Outsource testing laboratory (text box-list of the parameters tested)	
(i) Water and soil analysis	
(ii) Microbiology	
(iii) Feed analysis	
(iv) Enzyme Linked Immuno Absorbant Assay	
(v) Polymerase Chain Reaction /Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction	
(vi) Liquid Chromatographic Mass Spectrometric	
(vii) Gas chromatography/mass spectrometry	
(viii) Others	
IV. Details of the antibiotic - free status of the product	
8. Name of the laboratory where sample analyzed	
9. Address of the laboratory	
10. Accreditation of the laboratory	
(a) National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories	
(b) Export Inspection Council	
(c) Indian Council of Agricultural Research	
(d) Other Government laboratory	
11. Date of analysis of Antibiotic residue	
12. Result of the sample analysis for Antibiotic residue	

13. Analysis Method	
(a) Liquid Chromatographic Mass Spectrometric	
(b) Any Other	
14. Tamper Proof Mechanism	Yes/No

Declaration

I/We	(son(s)/	daughter(s	s)/wife of
		residing	at
	hereby	declare that the	ne information
furnished above is true to the best of my/our knowledge and belief. I am	/ We are ful	ly aware that if	the information

furnished by me/us is false or there is any kind of deviation/violation of the conditions on which the certificate of compliance to be issued by the Authority, the certificate of compliance issued will be either suspended or cancelled besides imposing penalty as per the penal provisions under Coastal Aquaculture Authority Act or the rules, regulations and Guidelines made thereunder.

Place:

Date:

State

Signature of the applicant(s)

FORM-IV

[See rule 12(1)(a)]

Certificate of registration of coastal aquaculture unit or activity referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 9

Reg. No				Date of registration:								
The	coastal	aquaculture	unit	of	Shri/	Smt/	N	//s				
									son	/dau	ghter/wife	of
											residing	at
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			is	registered	by	the	Coastal	Aquaculture
Autho	rity <i>vide</i> No.				dated _			·	•			-

Details of the coastal aquaculture unit registered and technology to be followed

1. Type of coastal aquaculture unit

(farms: nursery; seaweed culture; pen culture; raft culture; cage culture; Recirculatory Aquaculture System; Bio-floc systems)

Revenue Village

:

2. Ownership right of the coastal aquaculture unit:

(Freehold/lease/Government assigned/allotted land)

- Validity of Government assigned/allotted: 3.
- 4. Location of the coastal aquaculture unit:

District Taluk/Mandal

- 5. Survey Number (s) :
 - 6. Area of the farm (in hectare)
 - a) Total Farm Area :
 - b) Water Spread Area :
 - 7. Species to be cultured :

- 8. Stocking density (per meter²/meter³):
- 9. Number of crop(s)/ year :
- 10. Validity period of registration: From_____ to _____

Place :

Date :

Signature of the Officer issuing the Certificate

(Seal of the Authority)

Conditions for registration of coastal aquaculture farm

1. This certificate of registration is granted subject to the provisions of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, and the rules, regulations and Guidelines framed thereunder.

2. This certificate of registration is transferable by the Authority to the legal-heir or transferee of the farm for the remaining period of validity in case of freehold or own land.

3. Any change in the layout, design, area and stocking density or other matter shall have the approval of the Authority.

4. The environmental requirements shall conform to the Guidelines and the regulations issued in this behalf by the Coastal Aquaculture Authority from time to time.

5. The owner of the coastal aquaculture farm shall also comply with such other instructions/ conditions as may be from time to time issued by the Authority.

6. Record of inputs used in the farm like seed, feed, chemicals, probiotics, medicines and the harvest details such as production and name and address of the person to whom the produce is sold shall be maintained for every crop and reported to the Authority.

7. Pharmacologically active substances, antimicrobial agents or other material which may cause harm to human health as specified in rule 18 and the Guidelines referred to in clause (e) of rule 3 shall not be used in farming.

FORM-V

[See rule 12(1) (b)]

Certificate of registration of coastal aquaculture unit or activity referred to in clause (b) of sub-rule (2) of rule 9

Details of the coastal aqua Hatchery registered and permitted candidate species

1. Type of facility

(Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre)

2. Species permitted:

(Seed Production/Parent Post Larvae/Broodstock)

3. Location of the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre

4. Details of the overseas supplier/Specific Pathogen Free facility for Specific Pathogen Free Parent Post larvae or broodstock

- (a) Name of the overseas supplier/Specific Pathogen Free facility:
- (b) Address of the overseas supplier/Specific Pathogen Free facility:_____

State	District	Taluk/Mandal	R	evenue Village	
	5. Survey Number (s) :				
	6. Capacity details (Number	of tanks with water hold	ing capacity)		
	(a) Maturation Section :_	Number of tanks	Metric	e ton	
	(b) Larval Section:	Number of tanks	Metric ton		
	(c) Live feed section:	Number of tanks	Metric to	on	
	(d) Effluent Treatment Sy	ystem:Number of	tanks	_ Metric ton	
	7. Validity period of registra	tion: From to _			
Place :					Signature of the Officer
Date :					issuing the Certificate

(Seal of the Authority)

Terms and conditions for registration of Hatchery, Nauplii Rearing Hatchery, Live Feed Unit, Broodstock Multiplication Centre and Nucleus Breeding Centre

1. This certificate of registration is granted subject to the provisions of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and the rules regulations and Guidelines made thereunder.

2. This certificate of registration is transferable by the Authority to the legal-heir or transferee of the farm for the remaining period of validity in case of freehold/own land.

3. The Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre shall establish/maintain the required biosecurity facilities as specified in the Guidelines referred to in clauses (b), (c) (d) and (f) of rule 3.

4. The Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre shall be managed by a qualified Manager/Technician, who is the authorised representative of the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre and shall be available in the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre at all reasonable times particularly at the time of inspection by the inspection team of the Coastal Aquaculture Authority.

5. The authorised representative of the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre shall cooperate with the inspection team of Coastal Aquaculture Authority in all respects at the time of inspection.

6. The authorised representative of the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre shall be empowered to give statement and/ or any other information required by the inspection team of Coastal Aquaculture Authority at the time of inspection and the statement so given shall be deemed to be given by the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre owner.

7. Refusal of the authorised representative of the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre to give statement and/or any other particulars to the inspection team shall render the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre to be deprived of the privilege given under this registration/Annual Allocation Order.

8. The Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre shall not allow any person or persons or other entity or authorities other than the employees of the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre and the inspection team of the Coastal Aquaculture Authority shall have access to the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre without the written permission or authorisation of the Coastal Aquaculture Authority for the specific purpose for which they are authorised.

9. The Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre operator shall not make any alterations or additions or up gradations and improvement and put into use the facilities of the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or

Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre other than what has been indicated in the registration certificate, without the prior approval of Coastal Aquaculture Authority and any such alteration or up gradation and improvement carried out or usage of the same without approval of Coastal Aquaculture Authority would render the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre liable to cancellation of its registration.

10. The Hatchery shall not stock broodstock in excess of the quantity allotted in the Annual Allocation Order of the relevant year.

11. The imported broodstock or procured from Broodstock Multiplication Centre shall be culled on the completion of six months from the date of the import or procurement with intimation to the Coastal Aquaculture Authority and any retention of broodstock beyond six months shall be considered as a major violation of Coastal Aquaculture Authority Guidelines.

12. The Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre shall maintain records pertaining to the number of broodstock, number of spawning, number of seed produced, inputs like feed, probiotics and incidence of disease occurrence, water quality parameters for intake and effluent discharge, records of sales, Coastal Aquaculture Authority registration number, address of farmers to whom sold, mortality, carcass disposal or any other records specified by the Coastal Aquaculture Authority from time to time and report these in their quarterly compliance report to be submitted to the Coastal Aquaculture Authority as per the format specified in the Guidelines referred to in clauses (b), (c) and (f) of rule 3.

13. The Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre shall sell only certified Specific Pathogen Free seed to the farms registered with the Coastal Aquaculture Authority or with the State Government for fresh water farms.

14. The Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre shall not use any prohibited antibiotics or pharmacologically active substances specified in rule 18 and the Guidelines referred to in clause (e) of rule 3.

15. The wastewater discharged from the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre shall conform to the standards for the Final Discharge Points specified in the Guidelines referred to in clause (a) of rule 3.

16. The Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre shall comply with the provisions of the Coastal Aquaculture Authority Act and the rules, regulations and Guidelines made thereunder as well as any additional conditions or safeguards that may be stipulated from time to time for the purpose of sustainable and responsible development of aquaculture.

17. Any violation of the above terms and conditions shall render the Hatchery or Nauplii Rearing Centre or Live Feed Unit or Broodstock Multiplication Centre or Nucleus Breeding Centre liable to cancellation of its registration / Annual Allocation Order, revoking of bank guarantee in addition to any penalty under the Coastal Aquaculture Authority Act and the rules, regulations and Guidelines made thereunder.

18. The registering Authority reserves the right to cancel the certificate whenever it comes to the knowledge of the Authority that the applicant has obtained the registration certificate by furnishing false information or documents or any misrepresentation or suppression of material facts.

FORM-VI

[See rule 18 (6)]

Certificate of compliance for aquaculture input

Certificate No.

Date of issue:

Certified that the following aquaculture input has complied with specified standards/ antibiotic-free status as per the documentary evidences furnished:

The details of the certified aquaculture input

- 1. Name of the input:_____
- 2. Product code:_____
- 3. Category of the input:_____
- 4. Name and Address of the company/firm:_____

5. Category of the company:_

(Indian own manufacturer/ Indian merchant manufacturer/

distributor of overseas product)

6. Valid up to:_____

Place :

Date :

Authorised signatory

(Seal of the Authority)

Conditions for certificate of compliance for aquaculture inputs

1. This certificate of compliance is granted subject to the provisions of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and the rules, regulations and Guidelines made thereunder.

2. The certificate of compliance is not transferable.

3. This certificate of compliance is valid for the product certified only.

4. The certificate is valid for five years and can be renewed for a similar period, if complied with antibiotic-free status.

5. The certified aquaculture input shall conform to the regulations of the Coastal Aquaculture Authority and the Guidelines referred to in clause (e) of rule 3.

6. The certified aquaculture input shall not contain pharmacologically active substances, antimicrobial agents or other material which may cause harm to human health as specified in rule 18 and the Guidelines referred to in clause (e) of rule 3.

7. The Inspection Committee shall randomly inspect the storage or manufacturing facilities of the manufacturers or importers, as the case may be, for conforming the compliance without any prior notice.

8. Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the taskforce or the designated officer of the Coastal Aquaculture Authority.

9. In case any pharmacologically active substances, antimicrobial agents or other material which may cause harm to human health is found in the product, the certificate of compliance shall be suspended or cancelled and delisted from the list of certified aquaculture inputs in addition to any penalty as may be imposed under section 14 of the Coastal Aquaculture Authority Act and the rules, regulations and Guidelines made thereunder.

[F. No. j-1903336/4/2021-Fy (E-19119)]

NEETU KUMARI PRASAD, Joint Secretary

68